रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08102024-257748
CG-DL-E-08102024-257748

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3982] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 7, 2024/आश्विन 15, 1946
No. 3982] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 7, 2024/ASVINA 15, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7, अक्तूबर, 2024

का.आ. 4341(अ).— नियम का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्र सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी करने का प्रस्ताव करती है:

सरकार तरल अपशिष्ट के समग्र रूप से और इसके प्रत्येक पहलू के अलग-अलग प्रबंधन के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करती है। ये पहलू हैं: तरल अपशिष्ट न्यूनीकरण; तरल अपशिष्ट के संग्रह का प्रबंधन; तरल अपशिष्ट का शोधन; शोधित अपशिष्ट जल या गाद/ मलगाद का पुनः उपयोग/उपयोग; शेष बचे शोधित अपशिष्ट जल या गाद/ मलगाद का निस्सरण/निपटान।

इसे एतद् द्वारा, ऐसी जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिसके इससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

इस प्रारूप अधिसूचना में निहित प्रस्तावों से संबंधित आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हों, निर्दिष्ट अवधि के भीतर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली- 110 003 के पते पर या इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई-मेल: sohsmd-mef@gov.in पर भेजे जा सकते हैं।

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर कोई भी विचार केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

प्रारूप नियम

अध्याय 1

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ:- (1) इन नियमों को तरल अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2024 कहा जाएगा;

(2) ये 01 अक्टूबर, 2025 से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुप्रयोग:- (1) ये नियम प्रत्येक शहरी निकाय के साथ-साथ ग्रामीण स्थानीय निकाय और सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों और संस्थाओं पर लागू होंगे जो अपशिष्ट जल, अपशिष्ट जल शोधन केन्द्रों से निकलने वाले गाद और मलगाद के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाली सभी संस्थाएं शामिल हैं, चाहे वे सरकार, निजी क्षेत्र या सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित की जा रही हों, अर्थात औद्योगिक क्षेत्रों/टाउनशिप, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड), फूड पार्कों सहित विशेष अधिसूचित क्षेत्र, और भारतीय रेलवे के नियंत्रण वाले क्षेत्र जिनमें रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक और रेलवे पटरियों से सटे जमीन के टुकड़े, हवाई अड्डे, एयरबेस, पत्तन और बंदरगाह, रक्षा प्रतिष्ठान, सार्वजनिक और निजी प्रतिष्ठान, राज्य और केंद्र सरकार के संगठन, तीर्थ स्थान, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थान, सार्वजनिक या निजी सभी भूमि मालिक, व्यक्ति या निगम निकाय, कब्जे में लिए गए भूमि के टुकड़े, प्रत्येक घरेलू, संस्थागत वाणिज्यिक और अन्य गैर-आवासीय तरल अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले, जिसमें जल का अत्यधिक उपयोग करने वाले भी शामिल है।

(2) अन्य नियमों और विनियमों के अंतर्गत निर्धारित किए गए दायित्व इन नियमों के अंतर्गत निर्धारित किए गए दायित्वों के साथ अनुपूरित हो जाएंगे।

3. परिभाषाएं: - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "**प्राधिकार**" का तात्पर्य राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा, जैसा भी मामला हो, किसी केन्द्र के संचालक या स्थानीय निकाय या तरल अपशिष्ट के प्रसंस्करण और निपटान के लिए जिम्मेदार किसी अन्य एजेंसी को दी गई अनुमति से है;

(ख) "**जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग**" या "बीओडी" का तात्पर्य उस दर से है जिस पर जीव एरोबिक स्थितियों के तहत अपघट्य कार्बनिक पदार्थों को स्थिर करते समय जल या अपशिष्ट जल में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं;

(ग) "**ब्लैकवाटर**" का तात्पर्य तरल फ्लशिंग शौचालय, यूरिनल से निकलने वाले अपशिष्ट से है;

(घ) "**जल का व्यापक उपयोगकर्ता**" का अर्थ केंद्रीय सरकार के विभागों या उपक्रमों, राज्य सरकार के विभागों या उपक्रमों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या निजी कंपनियों, अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, अन्य शैक्षणिक संस्थानों, छात्रावासों, होटलों, बाजारों, पूजा स्थलों, स्टेडियमों और खेल परिसरों या किसी अन्य निजी या सार्वजनिक वाणिज्यिक या संस्थागत प्रतिष्ठानों या आवासीय सोसायटी द्वारा अधिगृहीत भवन से है, जिनका औसत जल उपयोग प्रतिदिन 5000 लीटर से अधिक है;

(ड.) "**वाणिज्यिक इकाई**" से तात्पर्य ऐसी संरचना से है जो आवासीय इकाई नहीं है, लेकिन जिसमें मलजल उत्पन्न करने वाली सुविधाएं जैसे सिंक, स्नानघर, शावर, शौचालय, मूत्रालय, बर्तन और कपड़े धोने की मशीन या तरल अपशिष्ट के लिए फर्श की नालियां शामिल हैं, और ये केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं;

(च) " **डिस्लजिंग**" से अभिप्रेत है यंत्रीकृत रूप से गाद निकालना;

(छ) "**कीटाणुरहित**" या "**कीटाणुशोधन**" का अर्थ है ऐसी किसी भी प्रक्रिया का उपयोग जिसे तरल अपशिष्ट में निहित अधिकांश सूक्ष्म जीवों को प्रभावी ढंग से मारने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें अनिवार्य रूप से सभी रोगजनक (रोग पैदा करने वाले) जीव शामिल हैं, जैसा कि ई. कोली सांद्रता को एक विशिष्ट स्तर तक कम करने से संकेत मिलता है; इन प्रक्रियाओं में क्लोरीन, ओजोन और पराबैंगनी प्रकाश जैसे उपयुक्त ऑक्सीकरण एजेंट शामिल हैं, और ये यहीं तक सीमित नहीं हैं बल्कि इनके अलावा और भी हैं;

(ज) "**निपटान प्रणाली**" का अर्थ तरल अपशिष्ट शोधन इकाई से निकलने वाले निस्सरण के निपटान के लिए आम तौर पर मान्यता प्राप्त प्रणाली है और इसमें रिसाव गड्ढे, नाली, वाष्पोत्सर्जन प्रणालियां और रेत के टीले शामिल हैं, परंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है बल्कि इनके अलावा और भी हैं;

(झ) "बहिस्राव" से तरल औद्योगिक अपशिष्ट अभिप्रेत है;

(ञ) "**विस्तारित उपयोगकर्ता उत्तरदायित्व**" से तात्पर्य जल के पर्यावरणीय रूप से अनुकूल प्रबंधन के लिए उपयोगकर्ता के उत्तरदायित्व से है, जिसमें उत्पन्न अपशिष्ट जल का शोधन, पुनः उपयोग और सुरक्षित निपटान शामिल है, परंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है बल्कि इनके अलावा और भी हैं;

(ट) "**मलगाद**", जिसमें "**सेप्टेज**" भी शामिल है, का अर्थ है अर्ध-ठोस पदार्थ जो ऑनसाइट स्वच्छता प्रणालियों (ओएसएस) जैसे गड्ढे वाले शौचालय, सेप्टिक टैंक में जमा होते हैं;

(ठ) "**ग्रेवाटर**" का अर्थ है अनुपचारित घरेलू अपशिष्ट जल, जिसमें तरल फ्लशिंग शौचालय और/या मूत्रालय का पानी शामिल नहीं है और इसमें बाथटब, शावर, वॉशबेसिन, रसोई सिंक, डिशवॉशर, कपड़े धोने की मशीन, कपड़े धोने के टब से निकलने वाला अपशिष्ट जल शामिल है;

(ड) "**तरल अपशिष्ट**" से तात्पर्य किसी भी तरल/अपशिष्ट जल और संबद्ध गाद से है, जिसमें मल गाद भी शामिल है, जिसे पर्यावरण में ऐसी मात्रा, संरचना और तरीके से छोड़ा जाता है जिससे पर्यावरण की गुणवत्ता प्रभावित होने की संभावना हो;

(ढ) "**तरल अपशिष्ट उत्पादक**" से तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह, प्रत्येक आवासीय परिसर और गैर-आवासीय प्रतिष्ठान से है, जो तरल अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं;

(ण) "**तरल अपशिष्ट न्यूनीकरण**" से तात्पर्य तरल अपशिष्ट को उसके स्रोत पर न्यूनीकरण करना है, ताकि उपचारित और उपयोगित /निपटान किए जाने वाले प्रदूषकों के साथ-साथ मात्रा को भी न्यूनतम किया जा सके ;

(त) "**स्थानीय निकाय**" इन नियमों के प्रयोजन के लिए इसका तात्पर्य, नगर निगम, नगर परिषद, नगरपालिका, नगरपालिका बोर्ड, नगर पंचायत और टाउन पंचायत, जनगणना वाले शहर, अधिसूचित क्षेत्र और अधिसूचित औद्योगिक टाउनशिप, पंचायती राज संस्थाएं, चाहे उन्हें भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसी भी नाम से पुकारा जाता हो;

(थ) "**ऑफ-साइट जल**" का अर्थ है घरेलू जल आपूर्ति जो निजी जल आपूर्ति स्रोत से है और जो परिसर की संपत्ति रेखा के 100 मीटर के भीतर न तो परिसर के भीतर है और न ही बाहर है; या सार्वजनिक जल आपूर्ति स्रोत से है जो परिसर के भीतर नहीं है;

(द) "**स्थलीय तरल अपशिष्ट प्रणाली**" से उस स्थान पर स्थित तरल अपशिष्ट प्रणाली अभिप्रेत है जहां तरल अपशिष्ट उत्पन्न होता है;

(ध) "**आवासीय इकाई**" से तात्पर्य ऐसी संरचना से है जो एक आवासीय इकाई है जिसमें मलजल उत्पन्न करने वाली सुविधाएं जैसे सिंक, स्नानघर, शावर, शौचालय, मूत्रालय, बर्तन और कपड़े धोने की मशीन या तरल अपशिष्ट के लिए फर्श की नालियां शामिल हैं, ये यहीं तक सीमित नहीं हैं बल्कि इनके अलावा और भी हैं;

(न) "**पुनः उपयोग उत्तरदायित्व**" से अनुसूची ।। के अंतर्गत थोक उपयोगकर्ताओं और उद्योगों पर उपचारित जल के न्यूनतम पुनः उपयोग के संबंध में दायित्व अभिप्रेत है;

(प) "**सीवेज पिट**" से तात्पर्य एक प्रकार के अवशोषण तंत्र से है जो एक ऊर्ध्वाधर, भूमिगत पात्र के रूप में काम करता है जो इस प्रकार निर्मित होता है कि पार्श्व दीवारों के माध्यम से मिट्टी के अवशोषण द्वारा तरल अपशिष्ट जल का निपटान हो सके; अधिकतम क्षैतिज आयाम ऊर्ध्वाधर आयाम से अधिक नहीं होगा;

(फ) "**सेप्टिक टैंक**" से तात्पर्य तरल अपशिष्ट शोधन इकाई से है जिसे उपयोग/निपटान से पहले प्राथमिक शोधन और अवायवीय शोधन के लिए डिज़ाइन किया गया है;

(ब) "**गाद**" से तात्पर्य अपशिष्ट जल स्थिरीकरण तालाबों और अन्य तरल अपशिष्ट शोधन प्रणालियों में उनकी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने के बाद जमा हुए अर्ध-ठोस पदार्थों से है;

(भ) "**राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**" का तात्पर्य जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 4 के अंतर्गत गठित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से है और इसमें केन्द्र शासित प्रदेश से संबद्ध प्रदूषण नियंत्रण समिति भी शामिल है।

(म) "**तूफान के कारण आए जल का प्रबंधन**" से तात्पर्य तूफान जल के मात्रात्मक और गुणात्मक प्रबंधन तथा तूफान जल प्रबंधन प्रणालियों की योजना, डिजाइन, निर्माण, संचालन, रखरखाव और वित्तपोषण से जुड़े कार्यों से है;

(य) " **उपयोगकर्ता शुल्क** " से तात्पर्य स्थानीय निकाय/प्राधिकृत एजेंसी द्वारा किसी तरल अपशिष्ट उत्पादक पर तरल अपशिष्ट संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और उपयोग/निपटान सेवाओं की पूर्ण या आंशिक लागत को कवर करने के लिए लगाया गया शुल्क है;

(कक) "**अपशिष्ट** जल" का अर्थ है काला पानी या ग्रे पानी या बहिःस्राव।

(2) इसमें प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किए गए, किन्तु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें संबंधित अधिनियमों में दिया गया है।

4. तरल अपशिष्ट प्रबंधन:- तरल अपशिष्ट प्रबंधन में निम्नलिखित का पर्यावरण की दृष्टि से उचित प्रबंधन शामिल है:

क. अपशिष्ट जल;

ख. अपशिष्ट जल के शोधन के दौरान उत्पन्न गाद और मल गाद;

ग. उपचारित अपशिष्ट जल या गाद/ मल गाद का पुनः उपयोग/उपयोग/निपटान।

अध्याय II

अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग सहित इसका पर्यावरण की दृष्टि से उचित प्रबंधन

1. अपशिष्ट जल उत्पादक के कर्तव्य :- (1) प्रत्येक अपशिष्ट जल उत्पादक,

(क) उद्योगों से उत्पन्न अपशिष्ट जल को छोड़कर, स्थानीय निकाय या स्थानीय निकाय द्वारा अधिकृत किसी एजेंसी, यदि कोई हो, द्वारा उपलब्ध जल निकासी प्रणालियों में निपटान करेगा;

(ख) उत्पन्न अपशिष्ट जल का निपटान खुली भूमि या जलाशय में इस प्रकार नहीं करेगा कि इससे पर्यावरण की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े;

(ग) राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकार के अनुमोदन के बाद स्थानीय निकाय के उपनियमों या उपयुक्त विनियमन में यथा अधिसूचित उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करेगा।

2. जल के बड़े पैमाने पर उपयोग करने वालों के कर्तव्य :- (1) जल का बड़े पैमाने पर उपयोग करने वाले प्रत्येक उपयोगकर्ता को, उन उद्योगों को छोड़कर जिनका जल उपभोग प्रतिदिन 5000 लीटर से अधिक है या जिनका प्रदूषण भार बीओडी के अनुसार प्रतिदिन 10 किलोग्राम से अधिक है;

(क) केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर फॉर्म 1(क) के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण प्रमाणपत्र में पंजीकरण के वैध बने रहने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करना होगा। पंजीकरण के दौरान दी गई जानकारी और पंजीकरण में निर्दिष्ट शर्तों में कोई भी बदलाव होने पर स्थानीय निकाय को सूचित किया जाएगा;

(ख) निम्नलिखित के लिए उपभोग किए गए जल के आधार पर उत्पन्न अपशिष्ट जल के लिए विस्तारित उपयोगकर्ता उत्तरदायित्व (ईयूआर) देयता होगी :

(i) उत्पन्न अपशिष्ट जल का शोधन सुनिश्चित करना;

(ii) **तालिका 1** में दिए गए लक्ष्यों के अनुसार निर्दिष्ट उपयोगों के लिए उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करना;

(ग) इन नियमों के प्रवृत्त होने के बाद निर्मित किसी भी नए केन्द्रों/परिसर से उत्पन्न अपशिष्ट जल के शोधन के लिए एमओएचयूए/डीडीडब्ल्यूएस/सीपीसीबी द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देश/परामर्शिका/मैनुअल के अनुसार उपयुक्त तकनीकों का उपयोग करते हुए अपेक्षित क्षमता की स्थल पर विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल शोधन सुविधा स्थापित और संचालित करेगा। यदि थोक उपयोगकर्ता ऐसी सुविधाओं के लिए अपेक्षित क्षमता की विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल शोधन सुविधा स्थापित करने और उपयुक्त तकनीकों का उपयोग करने में सक्षम नहीं है, तो उसे पंजीकृत अपशिष्ट जल शोधन

संयंत्रों से ईयूआर प्रमाणपत्र खरीदकर विस्तारित उपयोगकर्ता उत्तरदायित्व देयता को पूरा करने के लिए उपयुक्त स्थानीय निकाय (उस शहर के भीतर) या संबंधित प्राधिकरण से अपशिष्ट जल की इसी मात्रा के लिए छूट प्राप्त करनी होगी ;

(घ) इन नियमों के प्रवृत्त होने से पहले मौजूद किसी भी केन्द्र के लिए उत्पन्न अपशिष्ट जल के शोधन के लिए एमओएचयूए/डीडीडब्ल्यूएस/सीपीसीबी द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देश /परामर्शिका/मैनुअल के अनुसार उपयुक्त तकनीकों का उपयोग करके अपेक्षित क्षमता की स्थल पर विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल शोधन सुविधा स्थापित और संचालित कर सकता है, जो अनिवार्य होगा, बशर्ते वे अन्य नियम और विनियमन के तहत उत्तरदायी हों। यदि थोक उपयोगकर्ता स्थल पर अपेक्षित क्षमता की विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल शोधन सुविधा स्थापित करने और ऐसी सुविधाओं के लिए उपयुक्त तकनीकों का उपयोग करने में सक्षम नहीं है, तो यह पंजीकृत अपशिष्ट जल शोधन केन्द्रों से ईयूआर प्रमाणपत्र खरीदकर विस्तारित उपयोगकर्ता उत्तरदायित्व दायित्व प्राप्त करेगा, बशर्ते कि सुविधा जल निकासी नेटवर्क से जुड़ी हो, जो अपशिष्ट जल शोधन सुविधा से जुड़ी हो।

(ड.) पंजीकृत अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों और/या ईटीपी/सीईटीपी से ईयूआर प्रमाणपत्र, यदि लागू हो, प्राप्त करना होगा;

(च) इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात किसी भी नवनिर्मित केन्द्र/परिसर में दोहरी पाइपिंग करेगा;

(छ) अपशिष्ट जल परिवहन प्रणाली को उस बिंदु तक स्थापित और बनाए रखना होगा जहां इसे सार्वजनिक जल निकासी प्रणाली या स्थल पर विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र, जैसा भी लागू हो, से जोड़ा जाता है;

(ज) प्रत्येक नए थोक उपयोगकर्ता को, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकार के अनुमोदन के बाद स्थानीय निकाय के उपनियमों या उपयुक्त विनियमन में यथा अधिसूचित, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय / डीडीडब्ल्यूएस के दिशानिर्देशों के अनुसार मलजल नेटवर्क के निर्माण के लिए स्थानीय निकाय को शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसका उपयोग स्थानीय निकायों द्वारा मलजल के एकत्रीकरण और उसके परिवहन के लिए नेटवर्क के निर्माण हेतु किया जाएगा;

(झ) प्रपत्र 1 (सी) के अनुसार विस्तारित उपयोगकर्ता उत्तरदायित्व योजना तैयार करेगा, जिसे एसपीसीबी और संबंधित स्थानीय निकाय को प्रस्तुत किया जाएगा;

(ण) नए थोक उपयोगकर्ताओं के लिए तालिका 1 और मौजूदा थोक उपयोगकर्ताओं के लिए तालिका 2 के अनुसार उपचारित अपशिष्ट जल के न्यूनतम पुनः उपयोग के संबंध में दायित्व होगा। उपचारित जल के न्यूनतम पुनः उपयोग का आकलन कुल मीठे पानी की खपत के संबंध में होगा। हालांकि, उन केन्द्रों/परिसरों के मामले में जहां साइट पर विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल शोधन सुविधाएं नहीं हैं, ऐसा दायित्व उपचारित अपशिष्ट जल की उपलब्धता के अधीन होगा;

तालिका 1

क्र.सं.	थोक उपयोगकर्ता की श्रेणी	उपचारित अपशिष्ट जल का न्यूनतम पुनः उपयोग (खपत किये गये जल का प्रतिशत)			
		2027-28	2028-29	2029-30	2030-31 और उसके बाद
1.	आवासीय सोसायटी	20	30	40	50
2 .	संस्थागत / वाणिज्यिक / प्रतिष्ठान जैसे सरकारी कार्यालय/निजी कार्यालय	20	20	40	40

तालिका 2

क्र.सं.	थोक उपयोगकर्ता की श्रेणी	उपचारित अपशिष्ट जल का न्यूनतम पुनः उपयोग (खपत किये गये जल का प्रतिशत)			
		2027-28	2028-29	2029-30	2030-31 और उसके बाद

1.	आवासीय सोसायटी	10	15	20	25
2.	संस्थागत/वाणिज्यिक/प्रतिष्ठान जैसे सरकारी कार्यालय/निजी कार्यालय	10	10	20	20

(ट) पंजीकृत अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों या सीईटीपी से पुनः उपयोग उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा, यदि उपचारित अपशिष्ट जल के न्यूनतम पुनः उपयोग के संबंध में दायित्व विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल शोधन सुविधा और/या ईटीपी के माध्यम से पूरा नहीं किया जाता है तो;

(ठ) प्रत्येक माह की 7 तारीख तक पूर्ववर्ती माह के स्थल पर विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल शोधन सुविधा के संचालन पर मात्रात्मक डेटा उपलब्ध कराएगा, जिसमें खपत किया गया जल, उत्पन्न अपशिष्ट जल, उपचारित अपशिष्ट जल, उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग/बिक्री, निस्सरण किया गया उपचारित अपशिष्ट जल, अपशिष्ट जल के शोधन के बाद उत्पन्न कीचड़ और/या जैविक खाद/मृदा कंडीशनर/बायोगैस तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय /डीडीडब्ल्यूएस/सीपीसीबी द्वारा तैयार दिशा-निर्देशों/मैनुअल के अनुसार अन्य प्रासंगिक विवरण केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराएगा ;

(ड) प्रत्येक वर्ष 30 जून तक फॉर्म 3 के अनुसार, ऑन-साइट विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल शोधन सुविधा के संबंध में एसपीसीबी को वार्षिक रिटर्न दाखिल करेगा , जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष में खपत किए गए ताजे पानी, उत्पन्न अपशिष्ट जल, उपचारित अपशिष्ट जल, उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग/बिक्री के साथ-साथ उपचारित अपशिष्ट जल के उपयोगकर्ताओं का विवरण होगा। इसमें उत्पन्न गाद की मात्रा, उपचारित गाद/जैविक खाद/मृदा कंडीशनर/बायोगैस और उपचारित गाद/जैविक खाद/मृदा कंडीशनर/बायोगैस के उपयोग के बारे में जानकारी होगी, जिसमें उपचारित गाद/जैविक खाद/मृदा कंडीशनर/बायोगैस के उपयोगकर्ताओं का विवरण और केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अन्य प्रासंगिक विवरण शामिल होंगे;

(ढ) केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर ईयूआर दायित्व के संबंध में एसपीसीबी को वार्षिक रिटर्न दाखिल करेगा। पंजीकृत अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों का विवरण जहां से विस्तारित उपयोगकर्ता उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र प्राप्त किए गए हैं, प्रदान किया जाएगा;

(ण) इन नियमों के अंतर्गत अनिवार्य पंजीकरण न कराने वाली किसी अन्य इकाई के साथ लेन-देन नहीं करेगा।

3. अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों के संचालकों के कर्तव्य :- (1) अपशिष्ट जल शोधन सुविधा का प्रत्येक संचालक:

(क) केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपचारित अपशिष्ट जल और मल गाद शोधन के लिए ईयूआर प्रमाणपत्र बनाने से पहले फॉर्म 2(क) के अनुसार खुद को पंजीकृत करेगा ;

(ख) केवल इसके साथ संबद्ध बाध्य संस्थाओं (जल के बड़े पैमाने पर उपयोगकर्ता) के लिए विस्तारित उपयोगकर्ता उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र जारी करेगा ;

(ग) प्रत्येक माह की 7 तारीख तक पूर्ववर्ती माह के अपशिष्ट जल शोधन सुविधा के संचालन पर मात्रात्मक आंकड़े केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराएगा, जिसमें उपचारित अपशिष्ट जल, उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग, उपचारित अपशिष्ट जल का निस्सरण तथा अन्य प्रासंगिक विवरण शामिल होंगे;

(घ) प्रत्येक माह की 7 तारीख तक अपशिष्ट जल के शोधन के बाद उत्पन्न गाद और/या जैविक खाद/मृदा कंडीशनर/बायोगैस, उपचारित गाद/जैविक खाद/मृदा कंडीशनर/बायोगैस के उपयोग पर मात्रात्मक आंकड़े केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराएगा, जिसमें उपचारित गाद/जैविक खाद/बायोगैस के उपयोगकर्ताओं का विवरण, गाद और/या जैविक खाद/मृदा कंडीशनर की गुणवत्ता और अन्य प्रासंगिक विवरण शामिल होंगे;

(ड.) मासिक आधार पर अपनी वेबसाइट पर, जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होगी, पूर्ववर्ती माह के अपशिष्ट जल शोधन सुविधा के संचालन संबंधी मात्रात्मक डेटा उपलब्ध कराएगा जिसमें उपचारित अपशिष्ट जल, उपचारित अपशिष्ट जल की पुनर्प्राप्ति, उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग, उपचारित अपशिष्ट जल का निस्सरण, अपशिष्ट जल के शोधन के बाद उत्पन्न गाद और/या जैविक खाद/मृदा कंडीशनर/बायोगैस, उपचारित गाद/जैविक खाद/मृदा कंडीशनर/बायोगैस का उपयोग, उपचारित गाद/जैविक खाद/मृदा कंडीशनर/बायोगैस के उपयोगकर्ताओं का विवरण, गाद और/या जैविक खाद/मृदा कंडीशनर की गुणवत्ता और अन्य प्रासंगिक विवरण शामिल हैं;

(च) उपचारित जल के साथ-साथ उन सभी जल निकायों के जल की गुणवत्ता की भी निगरानी करेगा जहां उपचारित जल स्वयं या इसके द्वारा अधिकृत एजेंसी के माध्यम से छोड़ा जाता है; और इसकी रिपोर्ट मासिक आधार पर केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर दी जाएगी;

(छ) डीएएफडब्ल्यू या संबंधित विभाग द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिकृत एजेंसियों/प्रयोगशालाओं/परीक्षण केंद्रों द्वारा अपशिष्ट जल के शोधन के बाद उत्पन्न जैविक खाद/मृदा कंडीशनर/किसी अन्य उपोत्पाद का गुणात्मक परीक्षण मासिक आधार पर सुनिश्चित किया जाएगा और इसकी रिपोर्ट केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर दी जाएगी ;

(ज) अपशिष्ट जल शोधन सुविधा के संबंध में एसपीसीबी को प्रत्येक वर्ष 30 जून तक वार्षिक रिटर्न दाखिल करेगा, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष में खपत किए गए ताजे पानी की मात्रा, उत्पन्न अपशिष्ट जल, उपचारित अपशिष्ट जल, उपचारित अपशिष्ट जल की पुन:प्राप्ति, उपचारित अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग/ बिक्री के साथ-साथ उपचारित अपशिष्ट जल के उपयोगकर्ताओं का ब्यौरा होगा। इसमें उत्पन्न गाद की मात्रा, उपचारित गाद/जैविक खाद/मृदा कंडीशनर/ बायोगैस/ किसी अन्य उप-उत्पाद की मात्रा और उपचारित गाद/जैविक खाद/मृदा कंडीशनर/बायोगैस/किसी अन्य उप-उत्पाद के उपयोग के साथ-साथ उपचारित गाद/जैविक खाद/बायोगैस/किसी अन्य उप-उत्पाद के उपयोगकर्ताओं का ब्यौरा और अन्य प्रासंगिक ब्यौरा केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर शामिल होगा ;

(झ) केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर ईयूआर प्रमाणपत्रों के संबंध में एसपीसीबी को तिमाही और वार्षिक रिटर्न दाखिल करेगा। जारी किए गए विस्तारित उपयोगकर्ता उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों का विवरण और इन ईयूआर प्रमाणपत्रों को प्राप्त करने वाली इससे जुड़ी संस्थाओं का विवरण प्रदान किया जाएगा;

(ण) केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पुन: उपयोग उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र तैयार करेगा जिसे उद्योगों/थोक उपयोगकर्ताओं द्वारा प्राप्त किया जाएगा;

(ट) उद्योगों के लिए पुन: उपयोग उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र तैयार करने से पहले केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करेंगे ;

(2) नीचे तालिका 3 में दिए अनुसार अपशिष्ट जल की न्यूनतम पुनर्प्राप्ति लक्ष्य सुनिश्चित करेगा।

तालिका 3

वर्ष के पुन:प्राप्ति लक्ष्य (%)		
2027-28	**2028-29**	**2029-30 और उसके बाद**
55	60	65

इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए नोट:

न्यूनतम प्रतिशत लक्ष्य की पुन:प्राप्ति का अर्थ है विभिन्न उपयोगिताओं जैसे कूलिंग टावर, बॉयलर, या बागवानी, स्वच्छता और सिंचाई के लिए पुनः उपयोग हेतु प्राप्त सभी अपशिष्ट जल की कुल मात्रा का प्रतिशत।

न्यूनतम पुन:प्राप्ति लक्ष्य अपशिष्ट जल में गाद की मात्रा के प्रतिशत के अधीन है। यदि उचित/आवश्यक समझा जाए, तो वर्ष के लिए पुन:प्राप्ति लक्ष्य को अपशिष्ट जल में गाद की मात्रा के प्रतिशत के बराबर मात्रा से कम किया जा सकता है।

(3) यदि जल के थोक उपयोगकर्ता और विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों के संचालक एक ही इकाई हैं, तो ऐसे मामलों में अपशिष्ट जल शोधन सुविधा के संचालक को इस धारा के अंतर्गत निर्धारित पंजीकरण और रिपोर्टिंग अपेक्षाओं से छूट दी जाएगी।

4. सार्वजनिक अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरणों सहित स्थानीय निकाय के कर्तव्य:- (1) सार्वजनिक अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण सहित स्थानीय निकाय:

(क) जहां लागू हो, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय/डीडीडब्ल्यूएस द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और सीपीसीबी द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करते हुए, जहां आवश्यक हो, स्वयं या अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से संग्रहण, शोधन, पुनः उपयोग और उपयोग/निपटान सहित अपशिष्ट जल के पर्यावरण की दृष्टि से उचित प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा।

(ख) इन नियमों की **अनुसूची-I के** अनुसार संग्रहण, शोधन, पुनः उपयोग और उपयोग/निपटान सहित अपने अधिकार क्षेत्र में अपशिष्ट जल के पर्यावरण की दृष्टि से उचित प्रबंधन के लिए एक कार्य योजना तैयार करेगा जिसमें उन क्षेत्रों को ध्यान में रखा जाएगा जहां पहले से ही जल निकासी नेटवर्क उपलब्ध कराया गया था और/या गैर सीवर क्षेत्रों, जैसी भी स्थिति हो, को भी ध्यान में रखा जाएगा,;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि खुली भूमि या जल निकाय में अनुपचारित अपशिष्ट जल का इस प्रकार से उत्सर्जन न हो कि पर्यावरण की गुणवत्ता पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़े;

(घ) अपशिष्ट जल/जल निकासी प्रणाली की स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए एक या एक से अधिक अधिकृत संस्थाओं को नियुक्त कर सकता है;

(ङ.) यह सुनिश्चित करेगा कि चाहे स्वयं द्वारा या स्थानीय निकाय द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा स्थापित और संचालित अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संबंधित एसपीसीबी में पंजीकृत हों;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि सभी अपशिष्ट जल शोधन सुविधाएं, चाहे वे स्वयं द्वारा स्थापित और संचालित हों या स्थानीय निकाय द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा, जियो-टैग की गई हों और जीआईएस मानचित्र पर स्थित हों;

(छ) यह सुनिश्चित करेगा कि सी.पी.सी.बी. द्वारा निर्धारित लागू दिशा-निर्देशों और मानकों का अनुपालन स्वयं द्वारा या इसकी अधिकृत एजेंसी के माध्यम से स्थापित और संचालित अपशिष्ट जल शोधन सुविधा द्वारा किया जाता हो;

(ज) उन सभी जल निकायों की जल गुणवत्ता की भी निगरानी करेगा जहां उपचारित जल को स्वयं या इसके द्वारा अधिकृत एजेंसी के माध्यम से छोड़ा जाता है; और इसकी रिपोर्ट मासिक आधार पर केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर दी जाएगी;

(झ) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अपशिष्ट जल शोधन सुविधाएं उपचारित अपशिष्ट जल को पुनः प्राप्त करें ताकि इसका उपयोग पुनः प्रक्रिया के लिए, या विभिन्न उपयोगिताओं जैसे कूलिंग टावरों, बॉयलरों, या बागवानी, स्वच्छता और सिंचाई के लिए किया जा सके;

(ञ) अपने अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न अपशिष्ट जल, आगामी पांच वर्षों के लिए अपशिष्ट जल उत्पादन का अनुमान, जल निकासी नेटवर्क और अंतराल का कवरेज, उपचारित अपशिष्ट जल, पुन: उपयोग किया गया/बेचा गया अपशिष्ट जल, उत्पन्न, उपचारित और पुन: उपयोग किया गया/बेचा गया गाद, शोधन के बाद अपशिष्ट जल की पुन:प्राप्ति, उत्तरदायी संस्थाओं द्वारा प्राप्त ईयूआर प्रमाणपत्रों का ब्यौरा और केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अन्य प्रासंगिक ब्यौरे के संबंध में एसपीसीबी को प्रत्येक वर्ष 30 जून तक वार्षिक रिटर्न दाखिल करेगा। वार्षिक रिटर्न में अपशिष्ट जल उपचार के संबंध में संयंत्रवार जानकारी शामिल होगी। यदि अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र स्थानीय निकाय द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा स्थापित और संचालित किया जाता है, तो ऐसे मामलों में, स्थानीय निकाय द्वारा अधिकृत एजेंसी, प्रत्येक तिमाही के पूरा होने के बाद अगले महीने की 30 तारीख तक स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित प्रारूप में तिमाही रिटर्न दाखिल करेगी।

(2) इन नियमों के प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रत्येक स्थानीय निकाय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अनुमोदन के पश्चात् अपने उपनियमों या विनियमों में यथा अधिसूचित उपयोगकर्ता शुल्क लगाएगा।

(3) शहरी स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत, अपशिष्ट जल शोधन से संबंधित समुचित सरकार के नामित प्राधिकरण सहित प्रत्येक स्थानीय निकाय, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अनुमोदन के पश्चात् उपर्युक्त के उल्लंघन के लिए अपने उपनियमों या विनियमों में यथा अधिसूचित जुर्माना या दंड लगाने का प्रावधान करेगा।

5. अपशिष्ट जल के शोधन के लिए विस्तारित उपयोगकर्ता उत्तरदायित्व (ईयूआर) प्रमाणपत्र :-

(1) अपशिष्ट जल शोधन केन्द्र (केन्द्रों) को उपचारित नगरपालिका अपशिष्ट जल और मल कीचड़ शोधन के लिए ईयूआर प्रमाण पत्र तैयार करने से पहले केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा;

(2) केवल पंजीकृत अपशिष्ट जल शोधन केन्द्रों और/या ईटीपी/सीईटीपी को केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपचारित अपशिष्ट जल के लिए ईयूआर प्रमाणपत्र तैयार करना अनिवार्य है, जिसे ईयूआर दायित्वों की पूर्ति के लिए पानी के थोक उपयोगकर्ताओं द्वारा खरीदा जाएगा;

(3) पंजीकृत अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों को केवल उन उत्तरदायी संस्थाओं के लिए ईयूआर प्रमाणपत्र उत्पन्न करना अनिवार्य है जो इसके साथ संबद्ध हैं;

(4) एसपीसीबी केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर ईयूआर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत करेगा ;

(5) अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों के लिए विस्तारित उपयोगकर्ता उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया जाएगा :

विस्तारित उपयोगकर्ता उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र (लीटर में) = प्रसंस्करण के लिए प्राप्त अपशिष्ट जल की मात्रा (लीटर में)

नोट: पुनर्चक्रणकर्ताओं के लिए विस्तारित उपयोगकर्ता उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र प्रसंस्करण के लिए प्राप्त अपशिष्ट जल की मात्रा के आधार पर तैयार किया जाएगा।

(6) ऐसे सभी लेन-देन को अपशिष्ट जल शोधन केन्द्र द्वारा तिमाही और वार्षिक रिटर्न दाखिल करते समय केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अभिलेखबद्ध और प्रस्तुत किया जाएगा;

(7) किसी विशेष वर्ष में अपशिष्ट जल शोधन केन्द्र द्वारा तैयार किए गए विस्तारित उपयोगकर्ता उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र उसी वर्ष के लिए थोक उपयोगकर्ताओं के दायित्वों को पूरा करने के लिए वैध होंगे;

(8) इन नियमों के प्रकाशन के बाद आगामी वर्षों में अपशिष्ट जल शोधन और पुनः उपयोग के लिए उत्तरदायी नई इकाई के मामले में, विस्तारित उपयोगकर्ता उत्तरदायित्व लक्ष्य इस संबंध में की गई घोषणा के आधार पर लागू होंगे;

(9) अपशिष्ट जल शोधन केन्द्रों द्वारा ईयूआर तैयार करने के लिए लगाए जाने वाले शुल्क को इस संबंध में सीपीसीबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अंतिम रूप दिया जाएगा;

(10) प्रत्येक ईयूआर प्रमाण पत्र तैयार करने के लिए अपशिष्ट जल शोधन केन्द्रों द्वारा लिया जाने वाला शुल्क, स्थानीय निकाय द्वारा मलजल एकत्रीकरण अवसंरचना के विकास और रखरखाव, या एसपीसीबी द्वारा अपशिष्ट जल शोधन केन्द्रों के ऑडिट आदि के लिए, जिसे संबंधित स्थानीय निकाय और एसपीसीबी के साथ साझा किया जाएगा, इस संबंध में सीपीसीबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा;

(11) ईयूआर प्रमाणपत्र की लागत, उत्तरदायी इकाई द्वारा दायित्व का अनुपालन न करने की स्थिति में पर्यावरण क्षतिपूर्ति का 50% होगी।

अध्याय III

मल- गाद का पर्यावरण की दृष्टि से उचित प्रबंधन

1. सेप्टिक टैंक, लाइन्ड/अनलाइन्ड टैंक, ट्विन पिट, सिंगल पिट सहित ऑनसाइट स्वच्छता प्रणाली के उपयोगकर्ता के कर्तव्य: - (1) ऑनसाइट स्वच्छता प्रणाली का उपयोगकर्ता:

(क) इस संबंध में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय या पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय निकाय द्वारा जारी निदेशों के अनुसार सेप्टिक टैंक से गाद हटाएगा। अतिप्रवाह, रुकावट या पर्यावरणीय संदूषण को रोकने के लिए सेप्टिक टैंकों को उपयोग के आधार पर आमतौर पर हर 3 से 5 साल में नियमित रूप से खाली और साफ किया जा सकता है;

(ख) स्थानीय निकाय या पंजीकृत मल गाद शोधन सुविधा या अपशिष्ट जल शोधन सुविधा के लिए गाद हटाने और परिवहन के लिए पंजीकृत किसी भी सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई गाद हटाने की सेवाओं का उपयोग करेगा;

(ग) सुनिश्चित करेगा कि मल का निपटान खुली भूमि या जल निकाय में नहीं किया जाता है;

(घ) मल गाद को हटाने और इसके परिवहन के साथ-साथ शोधन हेतु आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के परामर्श से सीपीसीबी द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करेगा;

(ङ) सेप्टिक टैंक में हानिकारक रसायनों, गैर-जैवअवक्रमणीय वस्तुओं, तेल या वसा को फ्लश करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये अपशिष्ट के विघटन हेतु आवश्यक जीवाणुक क्रियाकलाप को बाधित कर सकते हैं, टैंक की दक्षता को कम कर सकते हैं और पर्यावरणीय नुकसान पहुंचा सकते हैं;

(च) सुनिश्चित करेगा कि सेप्टिक टैंक कामगारों के लिए जोखिम पैदा किए बिना रखरखाव के लिए सुलभ है, और दुर्घटनाओं या अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए इसमें सुरक्षित, सुरक्षा कवर हैं;

(छ) सेप्टिक टैंक के डिजाइन, उसकी संस्थापना और रखरखाव संबंधी मानकों के संबंध में दिशानिर्देशों का पालन करेगा। इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि जल स्रोतों के संदूषण से बचने के लिए सेप्टिक प्रणालियों का उचित तरीके से निर्माण और उन्हें अवस्थित किया गया है;

(ज) लीक, दरारें, या खराबी के किसी भी संकेत के लिए सेप्टिक टैंक का निरीक्षण किया जाना महत्वपूर्ण है। उपयोगकर्ताओं को सुनिश्चित करना चाहिए कि भूजल या सतह के जल के संदूषण को रोकने के लिए मरम्मत तुरंत की जाती है;

(झ) सेप्टिक प्रणाली पर भार को कम करने के लिए दक्ष जल उपयोग की पद्धति अपनाएगा, जिससे इसकी प्रभावकारिता को कायम रखने और इसके प्रचालन की उपयोग अवधि को बढ़ाने में मदद मिलती है।

2. गाद हटाने की सेवाओं के प्रचालक के कर्तव्य :- (1) गाद हटाने की सेवाओं का प्रचालक,

(क) केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करेगा। पंजीकरण के प्रमाण-पत्र में वैध रहने के लिए पंजीकरण हेतु पूरी की जाने वाली अपेक्षित शर्तें निर्दिष्ट होंगी। पंजीकरण के दौरान प्रदान की गई जानकारी और पंजीकरण में निर्दिष्ट शर्तों में किसी भी परिवर्तन के बारे में स्थानीय निकाय को सूचित किया जाएगा;

(ख) मशीनीकृत प्रणाली से गाद हटाना, पीपीई किट का उपयोग और मल गाद का परिवहन पर्यावरणीय अनुकूल रीति से किया जाना सुनिश्चित करेगा;

(ग) मल गाद परिवहन प्रणाली को उस बिंदु तक स्थापित और उसका रखरखाव करेगा, जहां तक यह पंजीकृत मल गाद शोधन सुविधा या अपशिष्ट जल शोधन सुविधा से जुड़ा हो;

(घ) गाद हटाने, परिवहन और मल गाद के शोधन हेतु ऑनसाइट स्वच्छता प्रणाली के उपयोगकर्ता से शुल्क प्राप्त करेगा और पंजीकृत मल गाद शोधन सुविधा या अपशिष्ट जल शोधन सुविधा, जहां मल की ढुलाई की जाती है, के साथ-साथ स्थानीय निकाय और एसपीसीबी को दिशा-निर्देशों के अनुसार स्थानीय निकायों द्वारा यथा निर्धारित हिस्सा देगा;

(ङ) साइट पर गाद हटाने की स्वच्छता सुविधाओं की संख्या, हटाई और परिवहन की गई मल गाद की मात्रा, पंजीकृत मल गाद शोधन सुविधा या अपशिष्ट जल शोधन सुविधा, जहां मल गाद का परिवहन किया जाता है, के ब्यौरे सहित पिछले महीने में सेवाओं के प्रचालन संबंधी मात्रात्मक डेटा और अन्य संगत ब्यौरा हर महीने की 7 तारीख तक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर उपबल्ध कराएगा;

(च) साइट पर गाद हटाने की स्वच्छता सुविधाओं की संख्या, हटाई और परिवहन की गई मल गाद की मात्रा, पंजीकृत मल गाद शोधन सुविधा या अपशिष्ट जल शोधन सुविधा, जहां मल गाद का परिवहन किया जाता है, के ब्यौरे और अन्य संगत ब्यौरे के संबंध में प्रत्येक वर्ष 30 जून तक एसपीसीबी को वार्षिक विवरणियां केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करनी होंगी;

3. मल गाद शोधन संयंत्रों के प्रचालक के कर्तव्य: (1) मल गाद शोधन संयंत्रों का प्रचालक;-

(क) केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करेगा। पंजीकरण के प्रमाण-पत्र में वैध रहने के लिए पंजीकरण हेतु पूरी की जाने वाली अपेक्षित शर्तें निर्दिष्ट होंगी। पंजीकरण के दौरान प्रदान की गई जानकारी और पंजीकरण में निर्दिष्ट शर्तों में किसी भी परिवर्तन के बारे में स्थानीय निकाय को सूचित किया जाएगा;

(ख) सुनिश्चित करेगा कि उसकी सुविधा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों या दिशा-निर्देशों के अनुसार है;

(ग) सुनिश्चित करेगा कि वह कोई भी कार्यकलाप केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार करता है;

(घ) सुनिश्चित करेगा कि मल गाद का शोधन संगत दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाए;

(ङ) सुनिश्चित करेगा कि इकाई के किसी भी क्रियाकलाप से उत्सर्जित होने वाले खतरनाक अपशिष्ट का प्रबंधन खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 के तहत किए गए उपबंधों के अनुसार किया जाता है;

(च) सुनिश्चित करेगा कि उसकी सुविधाएं जियो टैग की गई हैं;

(छ) पिछले महीने की मल गाद शोधन सुविधा के प्रचालन, प्राप्त मल गाद की मात्रा, जैविक खाद/मृदा कंडीशनर/बायोगैस/अन्य उत्पादों, यदि कोई हो, के उत्सर्जन सहित शोधित मल गाद की मात्रा और अन्य संगत विवरण के संबंध में मात्रात्मक आंकड़े हर महीने की 7 तारीख तक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराएगा;

(ज) अपशिष्ट जल के शोधन के बाद उत्सर्जित गाद और/या जैविक खाद/मृदा कंडीशनर/बायोगैस, शोधित गाद/जैविक खाद/मृदा कंडीशनर/बायोगैस का उपयोग/बिक्री, शोधित गाद/जैविक खाद/बायोगैस के उपयोगकर्ताओं का विवरण, गाद और/या जैविक खाद/मृदा कंडीशनर की गुणवत्ता सहित पिछले महीने की ऑनसाइट स्वच्छता प्रणाली के प्रचालन के संबंध में मात्रात्मक डेटा और अन्य संगत ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर मासिक आधार पर उपलब्ध कराएगा, जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होगा;

(झ) प्राप्त मल गाद की मात्रा, जैविक खाद/मृदा कंडीशनर/बायोगैस/अन्य उत्पादों, यदि कोई हो, के उत्सर्जन सहित शोधित मल गाद की मात्रा और अन्य संगत ब्यौरे के संबंध में पिछले महीने की मल गाद शोधन सुविधा के प्रचालन के संबंध में हर वर्ष 30 जून तक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर एसपीसीबी को वार्षिक विवरणियां दाखिल करेगा;

(ञ) इस संबंध में दिशा-निर्देशों के अनुसार स्थानीय निकायों द्वारा यथा निर्धारित गाद हटाने वाले सेवा प्रदाता द्वारा एकत्र किए गए शुल्क को प्राप्त करेगा;

(ट) इन नियमों के तहत अधिदेशित पंजीकरण नहीं कराने वाली किसी अन्य संस्था के साथ सरोकार नहीं रखेगा;

(ठ) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग या अन्य संबंधित विभाग द्वारा इस उद्देश्य के लिए प्राधिकृत एजेंसियों/प्रयोगशालाओं/परीक्षण केंद्रों द्वारा मल गाद के शोधन के बाद उत्सर्जित जैविक खाद/मृदा कंडीशनर/अन्य उत्पादों, यदि कोई हो, का गुणात्मक परीक्षण मासिक आधार पर सुनिश्चित करेगा।

4. स्थानीय निकाय के कर्तव्य:- (1) प्रत्येक स्थानीय निकाय,

(क) आवासनन और शहरी कार्य मंत्रालय/पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा विकसित दिशानिर्देशों और सीपीसीबी द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए स्वयं या अधिकृत एजेंसी के माध्यम से, जैसा भी आवश्यक हो, मल गाद के पर्यावरणीय अनुकूल रीति से प्रबंधन हेतु उत्तरदायी होगी;

(ख) गाद हटाने वाले सेवा प्रदाताओं के साथ-साथ मल गाद शोधन संयंत्रों के प्रचालकों को विशिष्ट आधार पर और साथ ही अधिक से अधिक संख्या में नियुक्त कर सकती है जिससे ऐसे प्रचालकों की आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो सके;

(ग) सुनिश्चित करेगी कि भूमि अथवा जल निकाय में अशोधित मल गाद न छोड़ा जाए;

(घ) आवासनन और शहरी कार्य मंत्रालय/पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, यथा लागू, का अनुसरण करते हुए, **अनुसूची-I** के अनुसार एकत्रण, शोधन और उपयोग/निपटान सहित अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में उत्सर्जित मल गाद का पर्यावरणीय अनुकूल रीति से प्रबंधन करने हेतु एक कार्य योजना तैयार करेगी;

(ङ) मल गाद के पर्यावरणीय अनुकूल प्रबंधन हेतु, यथा उपयुक्त और लागू, कार्य योजना तैयार करने के उद्देश्य से विशेष रूप से सीवेज नेटवर्क से न जुड़े घरों और लोगों के कारण उत्सर्जित होने वाली मल गाद की मात्रा का आकलन करने, घरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले ओएसएस जैसेकि सेप्टिक टैंक, लाइन्ड/अनलान्ड टैंक, ट्विन पिट, सिंगल पिट के प्रकार और आकार, ओएसएस के आकार, गाद हटाने की आवृत्ति तथा गाद और सतह पर तैरनेवाले तरल पदार्थ के वर्तमान में निपटान और मल गाद के लक्षणों, शोधन और निपटान विधियों के विकल्प, संग्रह, शोधन और निपटान के लिए अवसंरचना स्थापित करने और अंतराल के संबंध में एक अध्ययन करेगा। मल गाद के लक्षण-वर्णन के दौरान पीएच, ठोस सांद्रता, रासायनिक ऑक्सीजन मांग (सीओडी), जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी), और रोगजनकों सहित विभिन्न मापदंडों पर विचार किया जाना चाहिए। कार्य योजना तैयार करते समय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय/पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और सीपीसीबी द्वारा निर्धारित मानकों, यथा लागू, का अनुपालन किया जाएगा;

(च) सुनिश्चित करेगी कि केवल पंजीकृत गाद हटाने वाला सेवा प्रदाता या स्थानीय निकाय अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में गाद हटाने संबंधी प्रचालन कार्य स्वयं करे;

(छ) सुनिश्चित करेगी कि केवल पंजीकृत मल गाद शोधन सुविधाएं या स्थानीय निकाय अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में मल गाद का शोधन स्वयं करे;

(ज) सुनिश्चित करेगी कि स्थानीय निकाय सहित सभी गाद हटाने वाले सेवा प्रदाताओं के गाद हटाने वाले वाहनों में मल गाद के निस्सरण के अवस्थान के साथ-साथ निस्सरण दर की निगरानी करने के लिए प्रवाह निगरानी मीटर के साथ जीपीएस ट्रैकिंग प्रणाली संस्थापित की गई है;

(झ) सुनिश्चित करेगी कि एकत्रित मल गाद को शोधन के लिए केवल पंजीकृत मल गाद शोधन सुविधा पर ले जाया जाता है;

(ञ) अनुसूची-I के अनुसार आईटी आधारित उपकरणों का उपयोग करके ऑनसाइट स्वच्छता प्रणालियों के माध्यम से नियमित रूप से गाद हटाने के लिए नागरिकों के अनुरोधों पर कार्रवाई करने के लिए उपयुक्त और व्यावहार्य प्रावधान करेगी;

(ट) **अनुसूची-I** के अनुसार यथा उपयुक्त आईटी आधारित उपकरणों का उपयोग करते हुए पर्यावरणीय अनुकूल रीति से मल गाद का एकत्रण, परिवहन, शोधन और निपटान सुनिश्चित करने के लिए निगरानी कार्यढांचा तैयार करेगी;

(ठ) अपने अधिकार क्षेत्र में उत्सर्जित मल गाद, मल गाद उत्सर्जन के अनुमान, मल गाद प्रबंधन नेटवर्क की व्याप्ति और अंतराल, जैविक खाद/मृदा कंडीशनर/बायोगैस/अन्य उत्पादों, यदि कोई हों, के उत्पादन सहित शोधित मल गाद के संबंध में वार्षिक विवरणियां और संगत ब्यौरा हर वर्ष की 30 जून तक एसपीसीबी को केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करेगी। वार्षिक विवरणी में मल गाद शोधन सुविधा-वार सूचना शामिल होगी। ऐसे मामलों, जिनमें मल गाद शोधन सुविधा स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अभिकरण द्वारा स्थापित और प्रचालित की जाती है, में स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अभिकरण प्रत्येक तिमाही के पूरा होने के बाद अगले महीने की 30 तारीख तक तिमाही विवरणी दाखिल करेगी;

(ड) संगत उपनियमों या विनियमों में उपरोक्त के उल्लंघन के लिए जुर्माना या शास्ति लगाने का उपबंध करेगी;

अध्याय IV

उद्योग द्वारा अपशिष्ट जल का शोधन और पुन:उपयोग

1. उद्योगों के कर्तव्य:- (1) बीओडी के संदर्भ में 5000 एलपीडी से अधिक की जल खपत या प्रतिदिन 10 किग्रा से अधिक प्रदूषण भार वाला उद्योग

(क) केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करेगा। पंजीकरण के प्रमाण-पत्र में वैध रहने के लिए पंजीकरण हेतु पूरी की जाने वाली अपेक्षित शर्तें निर्दिष्ट होंगी। पंजीकरण के दौरान प्रदान की गई जानकारी और पंजीकरण में निर्दिष्ट शर्तों में किसी भी परिवर्तन के बारे में स्थानीय निकाय को सूचित किया जाएगा;

(ख) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में यथा उल्लिखित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) द्वारा निर्धारित बहि:स्राव निस्सरण संबंधी मानकों का अनुपालन करेगा;

(ग) उद्योग के प्रकार के आधार पर पीएच, अस्थायी ठोस-पदार्थों, जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी), रासायनिक ऑक्सीजन मांग (सीओडी), भारी धातुओं और विशिष्ट विषाक्त पदार्थों जैसे प्रदूषकों के संबंध में निर्धारित सीमाओं का अनुपालन करेगा;

(घ) उपयोग/निस्सरण से पूर्व निर्धारित मानकों के अनुसार औद्योगिक बहिस्रावों का शोधन करने के लिए ईटीपी की संस्थापना और उचित रखरखाव करेगा या साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों (सीईटीपी) का उपयोग करेगा;

(ङ) औद्योगिक परिसरों के बाहर, विशेष रूप से जल-दुर्लभ क्षेत्रों में या कतिपय उच्च-प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए विनियमों द्वारा यथा अधिदेशित क्षेत्र में किसी भी द्रव बहिस्राव का निस्सरण नहीं किया जाना सुनिश्चित करते हुए यथा लागू विधि के तहत लागू या अधिदेशित हो या मौजूदा विनियमों के अनुसार अपशिष्ट जल का शोधन करने के लिए शून्य द्रव निस्सरण प्रणालियां अपनाएगा;

(च) औद्योगिक प्रक्रियाओं के भीतर शोधित बहिस्राव/अपशिष्ट जल के पुन:उपयोग के माध्यम से शुद्ध जल के अंतर्ग्रहण को न्यूनतम और पर्यावरणीय निस्सरण भार को कम करेगा। उद्योगों को संवृत्त-परिपथ प्रणालियों और जल संरक्षण प्रौद्योगिकियों का अन्वेषण करना चाहिए;

(छ) सभी बहिस्राव प्रबंधन कार्यकलापों का स्थापना हेतु सहमति (सीटीई) और प्रचालन हेतु सहमति (सीटीओ) में निर्धारित विशिष्ट शर्तों के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित एसपीसीबी से इन्हें प्राप्त करेगा और उनका अनुपालन करेगा;

(ज) बहिस्राव की मात्रा और प्रदूषक भार को कम करने के लिए स्वच्छतर उत्पादन तकनीकों, प्रक्रिया आशोधनों और उन्नत शोधन प्रौद्योगिकियों को अपनाना होगा;

(झ) बहिस्राव प्रबंधन की सर्वोत्तम पद्धतियों, प्रौद्योगिकी उपयोग और अनुपालन अपेक्षाओं के संबंध में कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण आयोजित करेगा और उनका क्षमता निर्माण करेगा;

(ञ) आकस्मिक गैस-रिसाव या बहिस्राव प्रबंधन प्रणालियों के विफल होने की स्थिति में अधिसूचना की प्रक्रियाएं, रोकथाम उपाय और सुधारात्मक कार्रवाईयों सहित आपातकालीन अनुक्रिया योजना तैयार और कार्यान्वित करेगा;

(ट) बहिस्राव प्रबंधन पद्धतियों और अनुपालन की स्थिति के बारे में संगत जानकारी का खुलासा करेगा;

(ठ) सुनिश्चित कर सकता है कि बहिस्राव शोधन और निगरानी प्रणालियों की संस्थापना, प्रचालन, रखरखाव और उन्नयन के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन आवंटित किए गए हैं;

(ड) निर्दिष्ट दिशाउपयोग करेगा:निर्देशों के अनुसार जल अपेक्षित प्रचालनों में शोधित अपशिष्ट जल का पुन-;

(ढ) खपत किए गए जल, उत्सर्जित अपशिष्ट जल, शोधित अपशिष्ट जल, शोधित अपशिष्ट जल के पुन:उपयोग/बिक्री, निस्सरित शोधित जल की गुणवत्ता, अपशिष्ट जल के शोधन के बाद उत्सर्जित गाद और/या जैविक खाद/मृदा कंडीशनर/बायोगैस के संबंध में ईटीपी के प्रचालन संबंधी मात्रात्मक डेटा और अन्य संगत ब्यौरा प्रत्येक माह की 7 तारीख तक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराएगा;

(ण) खपत किए गए जल, उत्सर्जित अपशिष्ट जल, शोधित अपशिष्ट जल, शोधित अपशिष्ट जल के पुन:उपयोग/बिक्री, निस्सरित शोधित जल की गुणवत्ता, अपशिष्ट जल के शोधन के बाद उत्सर्जित गाद और/या जैविक खाद/मृदा कंडीशनर/बायोगैस से संबंधित ईटीपी और अन्य संगत ब्यौरा के संबंध में एसपीसीबी को केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर हर वर्ष की 30 जून तक वार्षिक विवरणी दाखिल करेगा;

(त) उद्योग के पास ईटीपी नहीं होने के मामले में खपत किए गए जल, उत्सर्जित अपशिष्ट जल, शोधन के लिए सीईटीपी को भेजे गए अपशिष्ट जल के संबंध में मात्रात्मक डेटा और अन्य संगत ब्यौरा केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर प्रत्येक माह की **7** तारीख तक उपलब्ध कराएगा**;**

(थ) शोधित अपशिष्ट जल के न्यूनतम पुन:उपयोग के संबंध में **अनुसूची-II** में दिए गए उद्योगों का नीचे तालिका 4 के अनुसार दायित्व होगा। शोधित जल के न्यूनतम उपयोग का आकलन कुल शुद्ध जल की खपत के संबंध में होगा। पुन:उपयोग संबंधी लक्ष्य में उद्योग द्वारा संबंधित एसपीसीबी द्वारा प्रमाणन के अध्यधीन शोधित औद्योगिक बहिस्राव का उपयोग भी शामिल है;

तालिका 4

क्र.सं.		**शोधित अपशिष्ट जल का न्यूनतम उपयोग**			
		2027-28	**2028-29**	**2029-30**	**2030-31 और उसके बाद से**
1.	औद्योगिक इकाइयां	60	70	80	90

(द) शोधित अपशिष्ट जल के न्यूनतम पुन:उपयोग संबंधी दायित्व को विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल शोधन सुविधा और/या ईटीपी के माध्यम से पूरा नहीं किए जाने के मामले में पंजीकृत अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों या सीईटीपी से पुन:उपयोग संबंधी उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा;

(ध) शोधित अपशिष्ट जल के पुन:उपयोग के साथ-साथ अपशिष्ट जल की पुन:प्राप्ति के लिए इस संबंध में सीपीसीबी द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेगा;

(न) इन नियमों के तहत अधिदेशित पंजीकरण नहीं कराने वाली किसी अन्य संस्था के साथ सरोकार नहीं रखेगा;

(2) सीजीडब्ल्यूबी की "भारत के गतिशील भू-जल संसाधनों संबंधी राष्ट्रीय संकलन, 2022" रिपोर्ट के अनुसार अति-दोहित, संवेदनशील और अर्ध-संवेदनशील क्षेत्रों में अवस्थित उद्योग, शोधित अपशिष्ट जल के पुन:उपयोग हेतु सक्रिय उपाय करेंगे।

2. ईटीपी/सीईटीपी के प्रचालक के कर्तव्य:- (1) प्रत्येक ईटीपी/सीईटीपी प्रचालक,

(क) राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा प्रत्यायित इन-हाउस सुविधाओं या तृतीय पक्षकार की प्रयोगशालाओं का उपयोग करके शोधित बहिस्रावों की गुणवत्ता की नियमित रूप से निगरानी करेगा;

(ख) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सहमति शर्तों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रदूषकों संबंधी आंकड़ों सहित बहिस्राव गुणवत्ता के संबंध में नियमित रिपोर्टें प्रस्तुत करेगा। सतत वास्तविक समय के डेटा प्रसतुतीकरण हेतु ऑनलाइन निगरानी प्रणालियां भी अनिवार्य की जाएं;

(ग) अशोधित उत्सर्जित गाद को पर्यावरण में नहीं छोड़ा जाना सुनिश्चित करते हुए उत्सर्जित गाद का उचित हथालन, शोधन और उपयोग/निपटान सुनिश्चित करेगा। खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 के अनुसार गाद का निपटान, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन विनियमों के अनुसार किया जाना चाहिए;

(घ) नीचे दी गई तालिका 5 में यथा उल्लिखित सहित अपशिष्ट जल की न्यूनतम पुन:प्राप्ति सुनिश्चित करेगा;

तालिका 5

वर्ष के लिए पुन:प्राप्ति लक्ष्य (%)		
2027-28	**2028-29**	**2029-30 और उसके बाद से**
70	80	90

इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए टिप्पणी :

न्यूनतम प्रतिशत लक्ष्य की पुन:प्राप्ति से कूलिंग टावरों, बॉयलरों जैसी विभिन्न उपयोगिताओं या बागवानी, स्वच्छता और सिंचाई के लिए पुन:उपयोग हेतु पुन:प्राप्त सभी अपशिष्ट जल की कुल मात्रा का प्रतिशत अभिप्रेत है।

न्यूनतम पुन:प्राप्ति का लक्ष्य अपशिष्ट जल में गाद सामग्री के प्रतिशत के अध्यधीन है। यथा उपयुक्त/अपेक्षित समझे जाने के मामले में वर्ष के लिए पुन:प्राप्ति के लक्ष्य को अपशिष्ट जल में गाद सामग्री की मात्रा के प्रतिशत के समतुल्य मान तक घटाया जा सकता है।

(ङ) उद्योगों से अपशिष्ट जल के अलावा अपशिष्ट जल प्राप्त कर सकता है;

(च) केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पुन:उपयोग उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्र तैयार करेगा जिसे उद्योगों और/या थोक उपयोगकर्ताओं द्वारा खरीदा जाएगा;

(छ) थोक उपयोगकर्ताओं के लिए ईयूआर प्रमाणपत्रों को उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जल के अलावा प्राप्त अपशिष्ट जल के बराबर ही तैयार कर सकता है;

(ज) स्रोत के साथ प्राप्त अपशिष्ट जल, शोधित अपशिष्ट जल, शोधित अपशिष्ट जल का पुन:उपयोग/बिक्री, निस्सरित शोधित अपशिष्ट, शोधित अपशिष्ट जल की पुन:प्राप्ति सहित पिछले महीने के ईटीपी/सीईटीपी के प्रचालन संबंधी मात्रात्मक डेटा और अन्य संगत ब्यौरा प्रत्येक महीने की 7 तारीख तक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर शामिल हैं;

(झ) अपशिष्ट जल के शोधन के बाद उत्सर्जित गाद और/या जैविक खाद/मृदा कंडीशनर/बायोगैस, शोधित गाद/जैविक खाद/बायोगैस के उपयोगकर्ताओं के विवरण सहित शोधित गाद/जैविक खाद/मृदा कंडीशनर/बायोगैस के उपयोग, गाद और/या जैविक खाद/मृदा कंडीशनर की गुणवत्ता के संबंध में पिछले महीने के मात्रात्मक डेटा और अन्य संगत ब्यौरा प्रत्येक माह की 7 तारीख तक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराएगा;

(ञ) शोधित अपशिष्ट जल, शोधित अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग/बिक्री, निस्सरित शोधित अपशिष्ट, अपशिष्ट जल के शोधन के बाद उत्सर्जित गाद और/या जैविक खाद/मृदा कंडीशनर/बायोगैस, शोधित गाद/जैविक खाद/मृदा कंडीशनर/बायोगैस के उपयोग, शोधित गाद/जैविक खाद/बायोगैस के उपयोगकर्ताओं के विवरण, गाद और/या जैविक खाद/मृदा कंडीशनर की गुणवत्ता सहित पिछले महीने में अपशिष्ट जल शोधन सुविधा के प्रचालन संबंधी मात्रात्मक डेटा और अन्य संगत ब्यौरा मासिक आधार पर अपनी वेबसाइट पर डालेगा जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होगा,

(ट) शोधित जल के साथ-साथ उन सभी जल स्रोतों, जिनमें शोधित जल का निस्सरण किया जाता है, की जल गुणवत्ता की भी निगरानी स्वयं या इसके द्वारा प्राधिकृत एजेंसी के माध्यम से करेगा; और इसे केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर मासिक आधार पर संसूचित किया जाएगा;

(ठ) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग या संबंधित विभाग द्वारा इस उद्देश्य के लिए प्राधिकृत अभिकरणों/प्रयोगशालाओं/परीक्षण केंद्रों द्वारा अपशिष्ट जल के शोधन के बाद उत्सर्जित जैविक खाद/मृदा कंडीशनर/बायोगैस और किसी अन्य उत्पाद का मासिक आधार पर गुणात्मक परीक्षण सुनिश्चित करेगा और इसे केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर संसूचित किया जाएगा;

(ड) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में स्रोत के साथ प्राप्त अपशिष्ट जल, शोधित अपशिष्ट जल, शोधित अपशिष्ट जल के पुन:उपयोग/बिक्री, निस्सरित शोधित अपशिष्ट हेतु ईटीपी/सीईटीपी के संबंध में वार्षिक विवरणियां और अन्य संगत ब्यौरा एसपीसीबी को हर वर्ष की 30 जून तक दाखिल करेगा; इसमें केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर उत्सर्जित गाद, शोधित गाद/जैविक खाद/मृदा कंडीशनर/बायोगैस/किसी अन्य उत्पाद की मात्रा और शोधित गाद/जैविक खाद/बायोगैस के उपयोगकर्ताओं के विवरण के साथ शोधित गाद/जैविक खाद/मृदा कंडीशनर/बायोगैस/ शोधित गाद/जैविक खाद/बायोगैस/किसी अन्य उत्पाद के उपयोग के संबंध में दी गई जानकारी और अन्य संगत ब्यौरा शामिल होगा;

(ढ) केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर ईयूआर प्रमाण-पत्र के साथ-साथ पुन:उपयोग उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्र, यथा लागू, के संबंध में एसपीसीबी को वार्षिक विवरणियां दाखिल करेगा। जारी किए गए विस्तारित उपयोगकर्ता उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों के ब्यौरे के साथ-साथ इन ईयूआर प्रमाणपत्रों की खरीद करने वाले अपने प्रचालन वाले शहर के भीतर संस्थाओं का ब्यौरा उपलब्ध कराया जाएगा।

(2) यदि बीओडी के संदर्भ में 5000 एलपीडी से अधिक की जल खपत या प्रतिदिन 10 किग्रा से अधिक प्रदूषण भार वाले उद्योग स्वयं ईटीपी के प्रचालक हैं तो ऐसे मामलों में ईटीपी के प्रचालक को इस खंड के अंतर्गत यथा निर्धारित पंजीकरण संसूचन अपेक्षाओं से छूट दी जाएगी।

3. अपशिष्ट जल के शोधन हेतु विस्तारित उपयोगकर्ता उत्तरदायित्व (ईयूआर) प्रमाणपत्र :-

(1) ईटीपी/सीईटीपी, औद्योगिक अपशिष्ट जल के अलावा शोधित अपशिष्ट जल हेतु ईयूआर प्रमाण-पत्रों, जिन्हें थोक उपयोगकर्ताओं द्वारा खरीदा जा सकता है, को तैयार करने से पहले केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करेंगे;

(2) ईटीपी/सीईटीपी के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से औद्योगिक अपशिष्ट जल के अलावा शोधित अपशिष्ट जल के संबंध में ईयूआर प्रमाण-पत्रों, जिन्हें ईयूरो दायित्वों को पूरा करने के लिए इससे संबद्ध जल के थोक उपयोगकर्ताओं द्वारा खरीदा जाएगा, को तैयार करना अधिदेशित किया गया है;

(3) एसपीसीबी, केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर ईयूआर प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत करेगा;

(4) अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों के लिए विस्तारित उपयोगकर्ता उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्र का आकलन करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाएगा:

विस्तारित उपयोगकर्ता उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्र (लीटर) = संसाधित करने हेतु प्राप्त अपशिष्ट जल की मात्रा (लीटर)

टिप्पणी : प्रसंस्करण के लिए प्राप्त अपशिष्ट जल की मात्रा के आधार पर विस्तारित उपयोगकर्ता जिम्मेदारी प्रमाण पत्र तैयार किए जाएंगे

(5) किसी विशेष वर्ष में ईटीपी/सीईटीपी सुविधा द्वारा तैयार किए गए विस्तारित उपयोगकर्ता उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र, उसी वर्ष के लिए थोक उपयोगकर्ताओं के दायित्वों को पूरा करने के लिए मान्य होंगे।

अध्याय V

अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों, ईटीपी, सीईटीपी, मल गाद शोधन संयंत्रों सहित गाद/मल गाद हथालन इकाइयों के लिए सामान्य दायित्व

(1) गाद/मल गाद में भारी धातुओं, रोगजनकों, कार्बनिक पदार्थों और अन्य संदूषकों की उपस्थिति सहित इसका संघटन अभिनिर्धारित करने के लिए गाद/मल गाद का नियमित परीक्षण और विश्लेषण किया जाना चाहिए। इससे गाद को उचित शोधन और निपटान विधियों के लिए वर्गीकृत करने में मदद मिलती है।

(2) गाद/मल गाद को इसकी खतरनाक या गैर-खतरनाक प्रकृति के आधार पर खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 और अन्य संगत दिशानिर्देशों के अनुरूप वर्गीकृत करें।

(3) रोगज़नक़ के स्तरों, मात्रा और गंध को कम करने के लिए गाद के हथालन, निपटान या पुन:उपयोग के लिए गाद को सुरक्षित बनाते हुए एनारोबिक पाचन, खाद, ताप शुष्कता, या रासायनिक स्थिरीकरण जैसी उपयुक्त गाद/मल गाद शोधन प्रक्रियाओं को नियोजित करें।

(4) सुनिश्चित करें कि गाद/मल गाद को इसके पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने, हानिकारक पदार्थों के निक्षालन को रोकने तथा मृदा और जल निकायों के संदूषण का जोखिम कम करने के लिए स्थिर किया जाए।

(5) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और अन्य विनियामक निकायों द्वारा निर्दिष्ट अनुसार कृषिगत उपयोग संबंधी गुणवत्ता मानकों को पूरा किया जाना सुनिश्चित करते हुए मृदा कंडीशनर या जैविक खाद, जहां लागू हो, के रूप में शोधित गाद/मल गाद के उपयोग को बढ़ावा देना।

(6) ऐसे मामलों, जिनमें पुन:उपयोग व्यवहार्य नहीं है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और दिशानिर्देशों के अनुपालन में निर्दिष्ट लैंडफिल में गाद/मल गाद का निपटान यह सुनिश्चित करते हुए करें कि यह पर्यावरण या जन स्वास्थ्य के लिए कोई जोखिम पैदा न करे।

(7) उत्सर्जित, शोधित और निपटाए गए गाद की गुणवत्ता और मात्रा पर नज़र रखने सहित गाद/मल गाद प्रबंधन पद्धतियों की नियमित निगरानी को लागू करना।

(8) उपयोग की जाने वाली शोधन विधियों, मानकों के अनुपालन और गैर-अनुपालन की किसी भी घटना का विवरण देते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को नियमित रिपोर्टें प्रस्तुत करना।

(9) गाद/मल गाद प्रबंधन के संबंध में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा सीपीसीबी और एसपीसीबी के दिशानिर्देशों में यथा उल्लिखित संगत मानकों और विनियमों का अनुपालन करना।

(10) सीपीसीबी और/या एसपीसीबी जैसे विनियामक प्राधिकरणों से गाद/मल गाद शोधन और निपटान के लिए आवश्यक अनुमतियां या अनुमोदन प्राप्त करना।

(11) प्रक्रिया इष्टतमीकरण एवं जल संरक्षण के माध्यम से गाद/मल गाद के उत्सर्जन को कम करने संबंधी उपायों को क्रियान्वित करना।

(12) गाद/मल गाद की मात्रा को कम करने के लिए निर्जलीकरण या शुष्कीकरण जैसी तकनीकों को नियोजित करना, जिससे निपटान सुविधाओं पर भार और परिवहन लागत कम हो।

(13) उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) एवं प्रशिक्षण प्रदान करके और व्यावसायिक सुरक्षा मानकों का अनुपालन करते हुए गाद/मल गाद प्रबंधन में लगे कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

(14) गाद/मल गाद में मौजूद हानिकारक रोगजनकों या रसायनों के संपर्क में आने से बचने के लिए कामगारों की नियमित स्वास्थ्य जांच और निगरानी करना।

(15) गाद/मल गाद प्रबंधन पद्धतियों और उनके लाभों तथा गंध, स्वास्थ्य जोखिमों और पर्यावरणीय प्रभावों से संबंधित चिंताओं के निराकरण के बारे में स्थानीय समुदाय को सूचित और शिक्षित करना।

(16) गाद/मल माद शोधन की विधियों और परिणामों के बारे में जनता और हितधारकों को जानकारी उपलब्ध कराने सहित गाद प्रबंधन प्रचालनों में पारदर्शिता बनाए रखना।

(17) गाद/मल गाद प्रबंधन में सर्वोत्तम पद्धतियों और नवाचारों को साझा करने के लिए अन्य उद्योगों, अनुसंधान संस्थानों और अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ सहयोग करना।

(18) गाद/मल गाद के शोधन कार्य में लगी अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों, मल गाद शोधन संयंत्रों, ईटीपी/सीईटीपी के अलावा सभी संस्थाएं केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत होंगी तथा प्राप्त एवं संसाधित गाद/मल गाद और शोधित सह-उत्पाद के संबंध में केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर वार्षिक विवरणियां दाखिल करेंगी।

अध्याय VI

कार्यान्वयन कार्यढांचा

1. केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल :–

(1) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन नियमों के प्रवृत्त होने के छह महीने के भीतर इन नियमों के तहत सभी बाध्य संस्थाओं के पंजीकरण के साथ-साथ वार्षिक विविरणी दाखिल करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली स्थापित करेगा। यह प्रणाली इन नियमों के प्रवृत्त होने के छह माह के भीतर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एसपीसीबी द्वारा पंजीकरण और वार्षिक विवरणियां दाखिल की जानी भी सुनिश्चित करेगी।

(2) इसमें अपशिष्ट जल के पंजीकृत उत्सर्जक और अपशिष्ट जल और/या गाद/मल गाद के संग्रहण, शोधन/पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग में शामिल संस्थाओं की संपरीक्षा के बारे में विवरण भी प्रदर्शित होना चाहिए।

(3) यह प्रणाली एक ऐसा तंत्र सुनिश्चित करेगी जिसमें थोक उपयोगकर्ताओं के साथ-साथ गैर-बाध्य संस्थाओं के विस्तारित उपयोगकर्ता उत्तरदायित्व संबंधी बाध्यताओं के अनुसार अपशिष्ट जल का आयतन संतुलन प्रदर्शित हो। इसमें अपशिष्ट जल और/या गाद/मल गाद के संग्रहण, शोधन और शोधित अपशिष्ट जल और/या शोधित गाद/मल गाद के पुन: उपयोग/उपयोग में शामिल बाध्य संस्थाओं की संपरीक्षा संबंधी विवरण भी प्रदर्शित होना चाहिए।

(4) सीपीसीबी द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार इस वेब पोर्टल के माध्यम से सेवाएं उवलब्ध करवाने के लिए सीपीसीबी इन नियमों के तहत बाध्य संस्थाओं से शुल्क प्रभारित कर सकता है।

(5) सीपीसीबी के ऑनलाइन पोर्टल पर मासिक आधार पर अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों/मल गाद शोधन संयंत्रों/ ईटीपी/सीईटीपी सुविधाओं से प्राप्त ब्यौरा पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाएगा।

2. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रभारित करना:- (1) अधिसूचित किए जाने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार इन नियमों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने वाले व्यक्तियों पर प्रदूषक भुगतान सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए पर्यावरणी क्षतिपूर्ति भी प्रभारित की जाएगी:-

(क) इन नियमों के अंतर्गत अनिवार्य पंजीकरण के बिना कार्यकलाप संचालित करने वाली संस्थाएं;

(ख) इन नियमों के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं द्वारा गलत सूचना प्रदान करना/तथ्यों को जानबूझकर छिपाना;

(ग) इन नियमों के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं द्वारा जाली/छेड़छाड़ किए गए दस्तावेज़ प्रस्तुत करना;

(घ) अपशिष्ट जल/शोधित अपशिष्ट जल का उचित प्रबंधन न करने के संबंध में संग्रहण, शोधन और पुनः उपयोग में संलग्न संस्थाएं।

(2) अध्याय VI के नियम 4 के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गठित कार्यान्वयन समिति, इन नियमों के अंतर्गत उल्लंघन करने या अनुपालन न करने की स्थिति में अपशिष्ट जल और/या गाद/ मल गाद के संग्रहण, शोधन और

शोधित अपशिष्ट जल और/या शोधित गाद/ मल गाद के पुनः प्रयोग/उपयोग में बाध्य संस्थाओं पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रभारित करने और एकत्र करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करेगी।

(3) इन नियमों के अंतर्गत निर्धारित विस्तारित उपयोगकर्ता उत्तरदायित्व संबंधी लक्ष्यों, उत्तरदायित्वों और दायित्वों को पूरा न करने के संबंध में संचालन करने वाले बड़े उपयोगकर्ताओं पर एसपीसीबी द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रभारित की जाएगी।

(4) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इन नियमों के तहत निर्धारित अपने उत्तरदायित्वों और दायित्वों को पूरा न करने के संबंध में अपशिष्ट जल और/या गाद / मल गाद के संग्रह, पुनर्चक्रण/शोधन और पुनः उपयोग में शामिल संस्थाओं पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रभारित की जाएगी। यदि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उचित समय में कार्रवाई नहीं करता है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश जारी करेगा।

(5) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के अंतर्गत एकत्रित धनराशि को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक अलग खाते में रखा जाएगा। एकत्रित धनराशि का उपयोग एकत्र न किए गए और संशोधित या अप्रयुक्त अपशिष्ट जल और/या गाद/ मल गाद के संग्रहण, शोधन और पुनः उपयोग में किया जाएगा, जिसके विरुद्ध पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित जाती है। अपशिष्ट जल/ मल गाद प्रबंधन के लिए निधियों के उपयोग के तौर-तरीकों की अनुशंसा कार्यान्वयन समिति द्वारा की जाएगी और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(6) (क) यदि कोई व्यक्ति विस्तारित उपयोगकर्ता उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए नियमों के अंतर्गत अपेक्षित सूचना गलत प्रदान करता है, किसी भी तरीके से झूठे या जाली विस्तारित उपयोगकर्ता उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों का उपयोग करता है या उपयोग करवाता है, जानबूझकर इन नियमों के अंतर्गत दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करता है या सत्यापन और लेखा परीक्षा कार्यवाही में सहयोग करने में विफल रहता है; तो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15, 15 क, 15 ख, 15 ग, 15 घ, 15 ड. तथा 15 च के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

(ख) यदि बाध्यता वाले निकाय बाध्यता के वर्ष के तीन वर्ष बाद भी अपने ईयूआर दायित्व को पूरा नहीं करते हैं, तो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15, 15 क, 15 ख, 15 ग, 15 घ, 15 ड. और 15 च के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

(ग) इन नियमों के किसी अन्य प्रावधान के उल्लंघन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15, 15 क, 15 ख, 15 ग, 15 घ, 15 ड. तथा 15 च के तहत कार्रवाई की जा सकेगी।

(घ) यह कार्रवाई इस नियमों के तहत अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त होगी। इसके अलावा, किसी अन्य प्रयोज्य कानून के प्रासंगिक उपबधों के तहत भी कार्रवाई की जा सकेगी।

3. केन्द्रीय स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन हेतु समिति:- (1) इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उपाय सुझाने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी।

(2) समिति इन नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी तथा कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपेक्षित उपाय भी करेगी।

(3) इस समिति को ऑनलाइन केंद्रीकृत पोर्टल तैयार करने और संचालन करने संबंधी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करने का कार्य भी सौंपा जाएगा ।

(4) नियम के तहत गठित कार्यान्वयन समिति द्वारा रिकवरी लक्ष्य की समीक्षा कम से कम हर चार वर्ष में एक बार की जा सकती है, ताकि तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति तथा अपशिष्ट प्रबंधन में उभरती नई प्रौद्योगिकियों के आलोक में पुनर्प्राप्त अपशिष्ट जल के साथ-साथ गाद के न्यूनतम स्तरों की फिर से समीक्षा की जा सके। समिति इस संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सिफारिश करेगी।

(5) समिति में संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, सभी एसपीसीबी, विशेषज्ञ संस्थानों जैसे राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान और हितधारकों जैसे कि बाध्य संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले संघों, शोधन सुविधा प्रदाताओं और समिति के अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित किसी भी अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

4. राज्य स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समिति:- (1) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी, जो सीपीसीबी को इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करेगी।

(2) समिति इन नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी तथा राज्य स्तर पर कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपेक्षित उपाय भी करेगी।

(3) समिति में संबंधित राज्य विभागों, सभी एसपीसीबी, विशेषज्ञ संस्थानों जैसे राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान और हितधारकों जैसे कि बाध्य संस्थाओं, शोधन सुविधा प्रदाताओं और समिति के अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित किसी भी अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

5. वार्षिक रिपोर्ट :- (1) प्रत्येक पंजीकृत बड़ा उपयोगकर्ता (प्रपत्र 3), अपशिष्ट जल शोधन सुविधा (प्रपत्र 4 के अनुसार त्रैमासिक रिपोर्ट) और मल गाद शोधन केंद्र एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे प्रत्येक वर्ष 30 जून तक संबंधित स्थानीय निकाय और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ऑनलाइन प्रस्तुत करेगा।

(2) प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय और जिला स्तर पर पंचायत क्रमशः शहरी विकास विभाग और ग्रामीण विकास विभाग को तथा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रत्येक वर्ष 30 जून तक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके ऑनलाइन प्रस्तुत करेगी।

(3) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला स्तर पर शहरी स्थानीय निकाय और पंचायत द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की स्वयं या किसी नामित एजेंसी के माध्यम से लेखापरीक्षा कराएगा और ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट की प्रति संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।

(4) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक इन नियमों के कार्यान्वयन पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ऑनलाइन प्रस्तुत करेगा।

(5) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन नियमों के कार्यान्वयन पर एक समेकित वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त को या उससे पूर्व अपनी सिफारिशों के साथ केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

अध्याय VII

भूमिका और उत्तरदायित्व

1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भूमिका:- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देश में इन नियमों की समग्र निगरानी और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में निम्नलिखित को शामिल करके एक केंद्रीय निगरानी समिति का गठन करेगा, जिसमें संयुक्त सचिव या सलाहकार के स्तर के अधिकारी शामिल होंगे, नामत:

(i) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(ii) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

(iii) पंचायती राज मंत्रालय

(iv) ग्रामीण विकास विभाग

(v) उर्वरक विभाग

(vi) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

(vii) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग,

(viii) व्यय विभाग

(ix) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

(x) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(xi) आवर्तन के आधार पर तीन राज्य प्रदूषण नियंत्रण

(xii) आवर्तन के आधार पर तीन नगर आयुक्त

(xiii) तीन सीईओ जिला पंचायत, आवर्तन के आधार स्थानीय निकाय (यूएलबी/पीआरआई)

(xiv) दो शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान/विश्वविद्यालय

(xv) दो उद्योग संघ

2. आवासन और शहरी कार्य के मंत्रालय की भूमिका:-

(1) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ समन्वय करेगा,

(क) मंत्रालय द्वारा तरल अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी कार्यों में सुधार के साथ-साथ वित्त पोषित तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के कार्य-निष्पादन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और स्थानीय निकायों द्वारा उठाए गए उपायों की समय-समय पर वर्ष में कम से कम एक बार समीक्षा करना तथा सुधारात्मक उपायों को सुगम बनाना;

(ख) स्केल ऑफ इकोनॉमी को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण परिप्रेक्ष्य और शहरी-ग्रामीण संबंधों सहित इन नियमों में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अपशिष्ट जल के साथ-साथ गाद/ मल गाद प्रबंधन पर राज्य नीति और कार्यनीति तैयार करना;

(ग) 31 मार्च 2026 तक इन दिशानिर्देशों में निहित प्रावधानों के आधार पर अपशिष्ट जल के साथ-साथ गाद / मल गाद प्रबंधन पर राज्य नीति और कार्यनीति तैयार करना और अपलोड करना ;

(घ) शहरी क्षेत्रों में इन नियमों के अंतर्गत प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में शहरी मामलों से निपटने वाले विभाग को नोडल विभाग और नगर निगम मामलों से निपटने वाले विभाग को सह-नोडल विभाग के रूप में नामित किया जाएगा;

(ङ) अपशिष्ट जल प्रबंधन के साथ-साथ गाद / मल गाद प्रबंधन में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना और राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और स्थानीय निकायों को जानकारी प्रदान करना;

(च) स्थानीय निकायों और अन्य हितधारकों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करना;

(छ) इन नियमों के अंतर्गत समय-सीमा और मानकों को पूरा करने में सुविधा प्रदान करने के लिए अपशिष्ट जल प्रबंधन के साथ-साथ गाद / मल गाद प्रबंधन पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और स्थानीय निकायों को तकनीकी दिशा-निर्देश और परियोजना वित्त प्रदान करना;

(ज) यूएलबी/अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र संचालकों/ मल गाद प्रबंधन संचालकों को अपशिष्ट जल शोधन केंद्रों को गादप्रसंस्करण केंद्रों के साथ जोड़ने या पुन:स्थापित करने या परिपत्र अर्थव्यवस्था के सिद्धांत को अपनाने में गाद प्रसंस्करण केंद्रों के साथ संपर्क स्थापित करने में सुविधा प्रदान करना;

(झ) मल गाद प्रबंधन केंद्रों से निकलने वाले उप-उत्पादों के उपयोग के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रभावी कार्यनीति तैयार करना ;

(ञ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शहरी विकास विभाग के साथ शोधित गाद / मल गाद के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त कार्यनीति तैयार करना;

(ट) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर अपशिष्ट जल और गाद / मल गाद प्रबंधन में लगे कार्मिकों का उपयुक्त क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण करना;

(ठ) शहरी स्थानीय निकायों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सफल मॉडलों का प्रसार करना।

(ड) जनता में गाद से निकलने वाले उप-उत्पादों के पुनः उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रभावी कार्यनीति विकसित करना;

(ढ) मल गाद प्रबंधन संचालकों द्वारा लैंडफिल में गाद /मल गाद डालने पर, सीपीसीबी द्वारा तैयार दिशा-निर्देशों के अनुसार, जुर्माना अधिसूचित करने के लिए यूएलबी को सुविधा प्रदान करना ;

(ण) मल गाद शोधन सुविधा के संचालन और रखरखाव को ध्यान में रखते हुए उपयोगकर्ता शुल्क के लिए दिशानिर्देश तैयार करना, जो दीर्घकालिक स्थिरता और सुनिश्चित सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए

लगाया जाएगा, साथ ही साथ यूएलबी द्वारा उप-नियमों में अधिसूचित किए जाने वाले उपयुक्त जुर्माने के लिए भी;

(त) शहरी स्थानीय निकायों द्वारा शोधित प्रयुक्त जल का उपयोग गैर-पेय प्रयोजनों जैसे शौचालयों की सफाई, बागवानी, कृषि प्रयोजनों, बागवानी प्रयोजनों, औद्योगिक प्रयोजनों, नगरपालिका प्रयोजनों जैसे धूल नियंत्रण, सड़क धुलाई, निर्माण गतिविधि आदि तथा सीपीसीबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए सुगम बनाना:

(थ) यूएलबी द्वारा उपयोग के लिए अपशिष्ट जल शोधन केंद्रों / मल गाद शोधन केंद्रों की विभिन्न क्षमताओं के लिए मॉडल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के साथ मॉडल निविदा दस्तावेज, चित्र और अनुमान तैयार करना और साझा करना;

(द) मल गाद शोधन केंद्रों के संचालन और रखरखाव के लिए खरीद प्रक्रिया, वित्तपोषण, साथ ही सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश तैयार करना;

(ध) एसबीएम, स्मार्ट सिटी आदि जैसे मौजूदा मिशनों में अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग में चक्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा को शामिल करना/मुख्यधारा में लाना और परियोजनाएं शुरू करना।

3. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की भूमिका: -

(1) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ समन्वय करेगा,

(क) जल प्रबंधन और मल गाद प्रबंधन कार्यों में सुधार के साथ-साथ विभाग द्वारा वित्त पोषित अपशिष्ट जल प्रबंधन और मल गाद प्रबंधन परियोजनाओं के निष्पादन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और स्थानीय निकायों द्वारा उठाए गए उपायों की समय-समय पर वर्ष में कम से कम एक बार समीक्षा करना और सुधारात्मक उपायों को सुगम बनाना;

(ख) अर्थव्यवस्था के पैमाने को प्राप्त करने के लिए शहरी परिप्रेक्ष्य और शहरी-ग्रामीण संबंधों सहित इन नियमों में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट जल के साथ-साथ मल गाद प्रबंधन पर राज्य नीति और कार्यनीति के निर्माण की सुविधा प्रदान करना;

(ग) 31 मार्च 2026 तक इन नियमों के अंतर्गत निहित प्रावधानों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट जल के साथ-साथ मल गाद प्रबंधन पर राज्य की नीतियों और कार्यनीतियों को सुगम बनाना और अपलोड करना;

(घ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में ग्रामीण स्वच्छता से संबंधित विभाग को नोडल विभाग और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित विभाग को सह-नोडल विभाग के रूप में नामित किया जाएगा;

(ङ) अपशिष्ट जल प्रबंधन के साथ-साथ मल गाद प्रबंधन में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और स्थानीय निकायों को जानकारी प्रदान करना;

(च) स्थानीय निकायों और अन्य हितधारकों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करना;

(छ) इन नियमों के अंतर्गत समय-सीमा और मानकों को पूरा करने में सुविधा प्रदान करने के लिए अपशिष्ट जल प्रबंधन के साथ-साथ मल गाद प्रबंधन पर राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और स्थानीय निकायों को तकनीकी दिशानिर्देश और वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(ज) सीपीसीबी द्वारा तैयार दिशा-निर्देशों के अनुसार, अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र संचालकों/ मल गाद प्रबंधन संचालकों द्वारा लैंडफिल में गाद /मल गाद डालने पर जुर्माना अधिसूचित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुविधा प्रदान करना;

(झ) पीआरआई/अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र संचालकों/ मल गाद प्रबंधन संचालकों को अपशिष्ट जल शोधन केंद्रों को गाद प्रसंस्करण केंद्रों के साथ जोड़ने या पुन:स्थापित करने या परिपत्र अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को अपनाने में गाद प्रसंस्करण केंद्रों के साथ संबंध स्थापित करने में सुविधा प्रदान करना;

(ञ) मल गाद प्रबंधन सुविधा से निकलने वाले उप-उत्पादों के उपयोग पर जागरूकता पैदा करने के लिए प्रभावी कार्यनीति तैयार करना ;

(ट) राज्य ग्रामीण स्वच्छता विभाग के साथ शोधित गाद के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त कार्यनीति विकसित करना;

(ठ) राज्य/पीआरआई स्तर पर गाद प्रबंधन में लगे कर्मियों का उपयुक्त क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण करना;

(ड) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सफल मॉडलों को पंचायती राज संस्थाओं तक प्रसारित करना;

(ढ) जनता में गाद से निकलने वाले उप-उत्पादों के पुनः उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रभावी कार्यनीति विकसित करना;

(ण) दीर्घकालिक स्थिरता और सुनिश्चित सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए अपशिष्ट जल/ मल गाद प्रबंधन के संचालन और रखरखाव को ध्यान में रखते हुए उपयोगकर्ता शुल्क के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना।

(त) सीपीसीबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, शौचालय की सफाई, बागवानी, कृषि प्रयोजनों, बागवानी प्रयोजनों, औद्योगिक प्रयोजनों, धूल नियंत्रण, सड़क धुलाई, निर्माण गतिविधि आदि जैसे गैर-पेय प्रयोजनों और जल निकायों के पुनरुद्धार सहित अन्य प्रयोजनों के लिए पीआरआई द्वारा शोधित प्रयुक्त जल के उपयोग को सुगम बनाना।

(थ) मल गाद शोधन केंद्रों की विभिन्न क्षमताओं के लिए मॉडल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के साथ मॉडल निविदा दस्तावेज, चित्र और अनुमान तैयार करना और साझा करना ।

(द) मल गाद शोधन केंद्रों के संचालन और रखरखाव के लिए खरीद प्रक्रिया, वित्तपोषण, साथ ही सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश तैयार करने में सुविधा प्रदान करना ;

(ध) एसबीएम जैसे मौजूदा मिशनों में अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग में चक्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा को शामिल करना/मुख्यधारा में लाना तथा परियोजनाएं शुरू करना।

4. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की भूमिका: -

(1) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग,

(क) जैविक खाद/मृदा कंडीशनर के रूप में उपयोग के लिए गाद /मल गाद के लिए उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत मानकों के विकास को सुविधाजनक बनाना;

(ख) कृषि भूमि पर गाद /मल गाद से उत्पन्न जैविक खाद/मृदा कंडीशनर के अनुप्रयोग के लिए दिशानिर्देश तैयार करना;

(ग) अपशिष्ट जल शोधन केंद्रों /मल गाद शोधन केंद्रों द्वारा उत्पादित जैविक खाद/मृदा कंडीशनर की गुणवत्ता जांच के लिए दिशानिर्देश तैयार करना;

(घ) राज्य कृषि विभागों के साथ मिलकर स्वयं अथवा तीसरे पक्ष के माध्यम से खाद परीक्षण केंद्रों के विकास को बढ़ावा देना।

5. उर्वरक विभाग की भूमिका :-

(1) उर्वरक विभाग,

(क) मल गाद शोधन केंद्रों से उप-उत्पादों को जैविक खाद/मृदा कंडीशनर के रूप में उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना ;

(ख) मल गाद शोधन केंद्रों से जैविक खाद/मृदा कंडीशनर के लिए बाजार विकास सहायता का विस्तार करना ।

6. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की भूमिका:-

(1) सभी संबंधित राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन,

(क) अपशिष्ट जल संग्रहण और परिवहन नेटवर्क और/या शोधन केंद्रों के निर्माण के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण हेतु उपाय करना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि स्थानीय निकायों द्वारा एकत्रित शुल्क का उपयोग अपशिष्ट जल संग्रहण, शोधन, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग आदि के साथ-साथ मल गाद प्रबंधन से संबंधित अवसंरचना की स्थापना, संचालन और रखरखाव में किया जाए;

(ग) पुनः उपयोग के लिए शोधित सीवेज की स्वीकार्यता में सुधार लाने के लिए गतिविधियाँ शुरू करना, जिसमें सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों के लिए दिशा-निर्देश और रूपरेखा तैयार करना और उसका प्रसार करना शामिल है;

(घ) एसटीपी/ईटीपी/सीईटीपी को कार्यान्वित/उन्नत करना तथा जल निकासी नेटवर्क के कवरेज में सुधार करना और मौजूदा एसटीपी की कनेक्टिविटी के साथ-साथ विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल शोधन केंद्रों के माध्यम से 100% शोधन क्षमता को पूरा करना और अपशिष्ट जल शोधन केंद्रों /मल गाद शोधन केंद्रों के उचित संचालन एवं रखरखाव को सुनिश्चित करना;

(ङ) अपशिष्ट जल /गाद /मल गाद शोधन और पुनः उपयोग/ उप-उत्पादों के प्रयोग में चक्रीय अर्थव्यवस्था पर एक राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन करना ;

(च) उद्योग विशिष्ट व्यवसाय मॉडल सहित राज्य अपशिष्ट जल /गाद /मल गाद शोधन / पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग /उप-उत्पादों के उपयोग की नीति तैयार करना;

(छ) राज्य स्तरीय अपशिष्ट जल/गाद / मल गाद शोधन / पुनर्चक्रण केन्द्र की स्थापना करना एवं पुनः उपयोग/उपोत्पाद निधि का उपयोग;

(ज) आवासीय सोसायटियों और पानी के अन्य बड़े उपयोगकर्ताओं को विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल शोधन सुविधाएं उपलब्ध कराने और शोधित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना;

(झ) सुनिश्चित करना कि स्थानीय निकायों के सभी अपशिष्ट जल/ मल गाद शोधन सुविधाएं एसपीसीबी पोर्टल पर उपलब्ध हों;

(ञ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाली अपशिष्ट जल प्रबंधन सुविधा के साथ-साथ मल गाद शोधन केंद्र को मान्यता/पुरस्कार देना;

(ट) प्रत्येक वर्ष जून के दूसरे सप्ताह में अपशिष्ट जल शोधन केंद्रों / मल गाद शोधन केंद्रों के संचालन एवं रखरखाव की समीक्षा के लिए एक सप्ताह का अभियान आयोजित करना;

(ठ) एसटीपी/सीईटीपी/ईटीपी/ मल गाद प्रबंधन केंद्रों के लिए पीपीपी मोड मॉडल को बढ़ावा देना और विभिन्न क्षेत्रों में शोधित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के साथ-साथ अपशिष्ट जल शोधन केंद्रों / मल गाद शोधन केंद्रों से प्राप्त उप-उत्पादों का उपयोग करना।

7. शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं/ ग्राम पंचायतों की भूमिका:- (1) सभी स्थानीय निकाय,

(क) अनुसूची-I के अनुसार, राज्य नीति और कार्यनीति की अधिसूचना की तिथि से तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर राज्य नीति और कार्यनीति के अनुसार तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कार्य योजना तैयार करना और उसकी एक प्रति राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के संबंधित विभागों या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अधिकृत एजेंसी को प्रस्तुत करना तथा इसे ईजीएस के ऑनलाइन पोर्टल और सीपीसीबी के केंद्रीकृत पोर्टल पर अपलोड करना; कार्य योजना में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित तत्व शामिल होंगे:

(i) अपशिष्ट जल उत्पादन

(ii) विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल शोधन सुविधा सहित अपशिष्ट जल शोधन सुविधा से उत्पन्न गाद

(iii) मल गाद प्रबंधन उप-योजना जिसमें उत्पादन, संग्रहण और परिवहन अवसंरचना, पर्यावरण की दृष्टि से उचित शोधन अवसंरचना शामिल है

(iv) समयसीमा के साथ अपेक्षित तरल अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढांचा प्रदान करने के उपाय, यदि उत्पादन और शोधन क्षमताओं के बीच अंतर मौजूद है

(v) तरल अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना के संचालन में स्थिरता सुनिश्चित करने के उपाय, जिसमें उपयोगकर्ता शुल्क लगाना भी शामिल है

(vi) शोधित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के साथ-साथ अपशिष्ट जल शोधन केंद्रों / मल गाद शोधन केंद्रों के उप-उत्पादों के उपयोग को सुनिश्चित करने के उपाय

(ख) कार्ययोजना को स्थानीय निकाय की वेबसाइट तथा केन्द्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना;

(ग) अपशिष्ट जल के संग्रहण और परिवहन नेटवर्क के रखरखाव के साथ-साथ अपशिष्ट जल शोधन केंद्रों के रखरखाव के लिए मानसून से पहले एक सप्ताह तक चलने वाले अभियान सहित जागरूकता अभियान, स्वच्छता अभियान और अन्य समुदाय-आधारित गतिविधियों का आयोजन करेगा और प्रत्येक वर्ष 30 जून तक इस संबंध में एसपीसीबी को रिटर्न दाखिल करेगा;

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि नालियों/जल निकासी नेटवर्क से गाद निकालने से निकलने वाली गाद का उपयोग/निपटान पर्यावरण की दृष्टि से उचित तरीके से सीपीसीबी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाए। स्थानीय निकाय इस संबंध में एसपीसीबी को वार्षिक रिटर्न दाखिल करेगा।

(ङ.) सीपीसीबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए उपयुक्त प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए अपशिष्ट जल/मल गादके इष्टतम पुनर्चक्रण/शोधन और उपयोग के लिए स्वयं या निजी क्षेत्र की भागीदारी से या किसी एजेंसी के माध्यम से अपशिष्ट जल प्रबंधन केंद्रों / मल गादप्रबंधन केंद्रों और संबंधित अवसंरचना के निर्माण, संचालन और रखरखाव को सुविधाजनक बनाना/कार्य करना;

(च) वार्षिक आधार पर गाद /मल उत्पादन सहित वर्तमान और भविष्य के अपशिष्ट जल उत्पादन का आकलन करना और उसे प्रतिवर्ष 30 जून तक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना।

(छ) कृषि उपयोगों को छोड़कर अधिकार क्षेत्र में जल की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं का आकलन करेगा और क्षेत्रीय मांग सहित प्रतिवर्ष 30 जून तक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेगा;

(ज) अपशिष्ट जल/मल गाद प्रबंधन के लिए डेटा रिपोर्टिंग और निगरानी तंत्र स्थापित करना;

(झ) अपशिष्ट जल शोधन (केन्द्रीकृत एवं विकेन्द्रीकृत दोनों)/ मल गाद शोधन केंद्रों की निगरानी सुनिश्चित करना;

(ञ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अनुमोदन के बाद स्थानीय निकाय के उपनियमों या उपयुक्त विनियमन में अधिसूचित अनुसार उपयोगकर्ता शुल्क लगाना;

(ट) अपशिष्ट जल प्रबंधन केंद्रों /मल गाद प्रबंधन केंद्रों की जियो-टैगिंग सुनिश्चित करना;

(ठ) अनुपचारित घटकों के शोधन/प्रसंस्करण के लिए विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल प्रबंधन केंद्रों / मल गाद प्रबंधन केंद्रों को निकटतम शोधन केंद्रों से जोड़ना;

(ड) सर्वेक्षण और डाटाबेस के निर्माण के माध्यम से मौजूदा शौचालयों और सेप्टिक टैंकों का आकलन करना, प्रत्येक घर के लिए शौचालयों, सेप्टिक टैंकों, सोख गड्ढों के विवरण को उचित रूप से दर्शाते हुए डाटाबेस बनाना, सेप्टिक टैंक की सफाई के बाद मोबाइल एप्लिकेशन या रिपोर्टिंग सिस्टम के माध्यम से केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर घर के विवरण को उचित रूप से अपडेट करना, सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए 3 साल के बाद घरों को स्वचालित अनुस्मारक भेजना;

(ढ) प्रत्येक अपशिष्ट जल शोधन सुविधा/सीईटीपी/ईटीपी/ मल गाद प्रबंधन सुविधा को एक शैक्षणिक संस्थान से जोड़ना;

(ण) अनुसूची-I के अनुसार ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र विकसित करेगा तथा प्राप्त, निपटाए गए और लंबित शिकायतों के संबंध में केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर वार्षिक रूप से रिपोर्ट करेगा;

(त) जीपीएस के उपयोग के माध्यम से तात्कालिक समय की निगरानी के लिए अपशिष्ट जल प्रबंधन/मल गाद शोधन में डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग, कुशल और जवाबदेह डी-स्लजिंग संचालन सुनिश्चित करने के लिए सामान्य नियंत्रण केंद्रों के माध्यम से केंद्रीकृत ट्रैकिंग, जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग और निगरानी प्रणाली, ग्राहक और ऑपरेटर हस्ताक्षर कैप्चर के माध्यम से डी-स्लजिंग और सत्यापन जांच पर डेटा का सटीक कैप्चर, अनुसूचित और मांग पर डी-स्लजिंग को कवर करने के लिए कागज रहित प्रारूप में वास्तविक समय की निगरानी और दैनिक संचालन की रिकॉर्डिंग के लिए वेब सक्षम निगरानी प्रणाली , डी-स्लजिंग पर स्वचालित रिपोर्ट, भुगतान को मॉनिटरिंग ऐप से जोड़ना, ग्राहकों को ऑनलाइन

सहायता प्रदान करने के लिए ग्राहक अनुरोध ऐप, जिसमें सेवा अनुरोधों की रिकॉर्डिंग, शिकायत निवारण और आवश्यकतानुसार तकनीकी सहायता शामिल है, प्रक्रिया श्रृंखला में वास्तविक समय डेटा कैप्चर करने में सहायता करना तथा न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ प्रसंस्करण में सहायता करना।

2. जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में, इन नियमों के तहत पंजीकरण और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का अनुपालन जिला स्तरीय पंचायती राज संस्था द्वारा किया जाएगा।

8. राजस्व विभाग की भूमिका:-

(1) बायोगैस, बिजली बनाने के लिए संयंत्रों/मशीनों के साथ-साथ गाद जल निकासी उपकरणों पर सीमा शुल्क/जीएसटी में छूट।

मल गाद शोधन केंद्रों के वित्तपोषण के लिए दिशानिर्देश तैयार करना ।

9. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की भूमिका :-

1) गाद से उत्पादित बायोगैस की खरीद को प्रोत्साहित करना ।

(2) तेल एवं गैस कम्पनियों द्वारा बायोगैस खरीदने के लिए अनिवार्य रूप से दिशानिर्देश तैयार करना।

10. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिका:–

(1) अपशिष्ट जल के साथ-साथ गाद / मल गाद के संग्रहण, पुनर्चक्रण/शोधन और पुनः उपयोग की पर्यावरण की दृष्टि से उचित प्रक्रियाओं के लिए दिशानिर्देश और मानक जारी करना।

(2) अपशिष्ट जल/गाद / मल गाद के उपोत्पादों के पुनर्चक्रण/शोधन और पुनः उपयोग के संबंध में प्रौद्योगिकियों और मानकों के बारे में दिशानिर्देश जारी करना।

(3) नालियों/जल निकासी नेटवर्क से गाद निकालने से प्राप्त गाद के पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश जारी करना।

(4) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से प्रतिवर्ष प्राप्त आंकड़ों को संकलित एवं प्रकाशित करना।

(5) इन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सीपीसीबी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक क्रियान्वयन समिति गठित की जाएगी तथा इसे सुदृढ़ बनाने के लिए सिफारिशें की जाएंगी। समिति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट तथा सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए छह महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

(6) तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता और संभाव्यता के लिए, विशेष रूप से अपशिष्ट जल की पुनर्प्राप्ति के संबंध में, अपशिष्ट जल के शोधन से संबंधित प्रौद्योगिकियों की समीक्षा करना।

(7) इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए स्वयं अथवा किसी तीसरे पक्ष की सहायता से एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रणाली विकसित करना।

(8) प्रदूषित अपशिष्ट जल के निर्वहन को प्रतिबंधित करने के साथ-साथ अपशिष्ट जल शोधन केंद्रों /ईटीपी/सीईटीपी/मल गाद के निपटान के कड़े कार्यान्वयन के लिए मौजूदा तंत्र को मजबूत करना;

(9) सीपीसीबी और एसपीसीबी से अलग एक स्वतंत्र तंत्र स्थापित करके उत्पादन (गुणवत्ता / मात्रा), पुन: उपयोग और सुरक्षित निपटान सहित अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली की निगरानी को मजबूत करना।

(10) विभिन्न हितधारकों की क्षमता निर्माण के लिए अपशिष्ट जल शोधन केंद्रों / ईटीपी / सीईटीपी /मल गाद शोधन सुविधा का संचालन और रखरखाव सहित प्रशिक्षण सामग्री और मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करके केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना।

(11) अपशिष्ट जल/ मल गाद प्रबंधन के संचालन और रखरखाव को ध्यान में रखते हुए उपयोगकर्ता शुल्क के लिए दिशानिर्देश तैयार करें ।

(12) इन नियमों का पालन न करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए दिशानिर्देश तैयार करना।

(13) गाद/ मल गाद पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग नीति के लिए दिशानिर्देश तैयार करना ।

(14) अपशिष्ट जल शोधन सुविधा/ मल गाद शोधन सुविधा द्वारा उत्पादित जैविक खाद का परीक्षण स्वयं या तीसरे पक्ष के माध्यम से जैविक खाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सुनिश्चित करना।

(15) यह सुनिश्चित करना कि सुविधा संचालकों द्वारा शोधित अपशिष्ट जल तथा जैविक खाद के संबंध में मासिक आधार पर परीक्षण रिपोर्ट केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड की जाए।

(16) सोखने वाले गड्ढों/सेप्टिक टैंकों से गाद हटाने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करें। इन दिशा-निर्देशों में गाद हटाने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएँ शामिल होंगी, जिसमें यांत्रिक उपकरणों का उपयोग, गाद हटाने की आवृत्ति, परिवहन प्रोटोकॉल, उपकरणों की सर्विसिंग, सभी टैंकों का रिकॉर्ड रखना शामिल हो सकता है।

(17) जल निकायों में जल की गुणवत्ता के बारे में रिपोर्टिंग मॉड्यूल विकसित करना, जिसकी रिपोर्ट ऐसे जल निकायों पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले संबंधित हितधारकों द्वारा की जाएगी तथा केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाएगी।

(18) शोधित गाद और अपशिष्ट जल के लिए नियमित निगरानी ढांचे और परीक्षण प्रोटोकॉल के लिए दिशानिर्देश तैयार करना।

(19) अपशिष्ट जल शोधन केंद्रों /ईटीपी/सीईटीपी/ मल गाद शोधन केंद्रों के संचालकों पर लैंडफिल निपटान शुल्क लगाने के लिए दिशानिर्देश जारी करना ।

इन नियमों के अंतर्गत आवश्यकतानुसार प्रपत्रों को संशोधित करना तथा जहां निर्धारित न हो वहां प्रपत्र निर्धारित करना।

(20) इन नियमों के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश जारी करना।

(21) अपशिष्ट जल/मल-जल शोधन संयंत्रों की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए दिशानिर्देश तैयार करना, जिसमें सभी संस्थानों, सरकारी कार्यालयों, निजी एजेंसियों, बस स्टैंडों, कार्यालयों और स्कूलों को समय-समय पर अपने सेप्टिक टैंक खाली करने और मल-जल को एफएसटीपी या सह-शोधन संयंत्र में भेजने के लिए अनिवार्य करके मल-जल अपशिष्ट की कैसी और कितनी मात्रा में मिलने की फ्रीक्वेंसी शामिल हो सकती है, कम शुल्क पर अपशिष्ट को हटाने की सेवाएं प्रदान करके घरों को तीन साल के अंतराल पर अपने सेप्टिक टैंक खाली करने के लिए प्रोत्साहित करना, एफएसटीपी तक अपशिष्ट के पहुंचने के लिए भौतिक बाधाओं को हटाना, यह सुनिश्चित करके कि संयंत्रों तक पहुंच मार्ग साफ और अच्छी तरह से पक्के हैं, नए एफएसटीपी इतनी दूरी पर नहीं होने चाहिए कि निजी ऑपरेटरों के लिए अपशिष्ट को हटाने का कार्य आर्थिक रूप से अव्यवहारिक हो जाए;

(22) अपशिष्ट जल/मल-जल अपशिष्ट प्रबंधन के संस्थागत और प्रशासनिक पहलुओं के लिए दिशानिर्देश तैयार करना, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रबंधन प्रणाली, रिकॉर्ड रखने, रिपोर्टिंग (एमआईएस), निगरानी और फीडबैक प्रणाली, मल-जल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए राजस्व के स्रोतों का विनियमन भी शामिल हो सकते हैं।

(23) अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण संबंधी प्रौद्योगिकी संकलन तैयार करना।

(24) एएमआरयूटी और एनएमसीजी तथा संबंधित हितधारकों के साथ संपर्क स्थापित करना ।

(25) इन नियमों के अंतर्गत सभी पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करना और अन्य अनुपालन सीपीसीबी के ऑनलाइन पोर्टल पर किए जाएंगे। सभी प्रासंगिक जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होगी।

(26) केंद्रीकृत और विकेन्द्रीकृत दोनों अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों, ईटीपी/सीईटीपी, मल-जल अपशिष्ट, अपशिष्ट सफाईकर्ता और परिवहन ऑपरेटरों, मल-जल अपशिष्ट शोधन संयंत्रों, इसके उपयोग के लिए मल-जल, कचरें/मल-जल अपशिष्ट के शोधन/प्रसंस्करण में लगे संस्थाओं की संपरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश तैयार करना।

11. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिका : - (1) केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बाध्यकर संस्थाओं को जल के थोक उपयोगकर्ताओं को फॉर्म 1(ख) और अपशिष्ट जल शोधन सुविधा के संचालकों को फॉर्म 2(ख) द्वारा पंजीकृत करना। यह पंजीकरण पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने के दो सप्ताह के अन्तर्गत किया जाएगा।

(2) सीपीसीबी द्वारा विकसित दिशानिर्देशों के अनुसार पंजीकरण के लिए आवेदनों की जांच के साथ-साथ रिटर्न की जांच के लिए शुल्क लेना।

(3) ईयूआर प्रमाणपत्र और पुनः उपयोग उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत करना।

(4) सी.पी.सी.बी. द्वारा विकसित दिशा-निर्देशों के अनुसार अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों/ई.टी.पी./सी.ई.टी.पी./मल-जल शोधन संयंत्रों के संचालकों पर लैंडफिल निपटान शुल्क लगाया जाएगा। इस एकत्रित शुल्क को लैंडफिल पर शोधित मल-जल के उपयोग और/या पर्यावरण की दृष्टि से उचित प्रबंधन के लिए संबंधित स्थानीय निकाय को दिया जाएगा।

(5) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अपशिष्ट जल शोधन सुविधाएं/ईटीपी/सीईटीपी इन नियमों के तहत निर्धारित अपशिष्ट जल की न्यूनतम वसूली लक्ष्य का अनुपालन करें;

(6) जल के थोक उपयोगकर्ताओं की विस्तारित उपयोगकर्ता उत्तरदायित्व योजना और पंजीकरण विवरण को संबंधित स्थानीय निकायों के साथ साझा करना।

(7) सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद अनुसूची II के अनुसार विस्तारित उपयोगकर्ता उत्तरदायित्वों का पालन न करने की स्थिति में पंजीकरण को निलंबित और/या रद्द करना, और/या पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाना।

(8) पंजीकृत संस्थाओं द्वारा इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

(9) सुनिश्चित करना कि जब तक कि इन नियमों के तहत निलंबित और/या रद्द न किया गया है। पंजीकरण तब तक ही किया गया है और यदि दो सप्ताह के भीतर आपत्ति नहीं की जाती है तो पंजीकरण/नवीनीकरण जारी माना जाएगा।

(10) पंजीकृत संस्थाओं द्वारा निरीक्षण और आवधिक संपरीक्षा के माध्यम से स्वयं या किसी नामित एजेंसी के माध्यम से अनुपालन का सत्यापन करना। उल्लंघनों के लिए की जाने वाली कार्रवाई और विस्तारित उपयोगकर्ता उत्तरदायित्वों सहित इन नियमों के तहत दायित्वों की पूर्ति न करने के लिए इन नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(11) इन नियमों के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं के डेटा की संपरीक्षा स्वयं या किसी नामित एजेंसी द्वारा, माल और सेवा कर नेटवर्क पोर्टल से सूचना का प्रयोग करके किया जाना।

(12) पंजीकृत इकाई द्वारा इन नियमों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में थोक उपयोगकर्ताओं के पंजीकरण को निलंबित और/या रद्द करना, और/या पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाना। बाध्यकर संस्थाओं के पंजीकरण को निलंबित या रद्द करने के संबंध में एसपीसीबी के आदेशों के खिलाफ फॉर्म 5 के माध्यम से की गई अपील सीपीसीबी के पास है और अपील प्रस्तुत किए जाने के बाद पैंतालीस दिनों के भीतर इसका निपटारा किया जाएगा।

(11) वार्षिक आधार पर अपने विस्तारित उपयोगकर्ता उत्तरदायित्वों को पूरा न करने वाली संस्थाओं की सूची तैयार करें और उसे प्रकाशित करें। अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण में शामिल संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत तिमाही रिपोर्ट संकलित करें और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजें तथा ऑनलाइन प्रकाशित करें।

(12) इन नियमों के अंतर्गत दायित्वों की पूर्ति में शामिल संबद्ध हितधारकों के बीच नियमित संवाद सुनिश्चित करना।

(13) इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में प्रत्येक वर्ष 30 जून तक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(14) ओसीईएमएस के माध्यम से जल निकायों के प्रत्येक खंड पर जल गुणवत्ता की निगरानी करना, जहां अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र/ईटीपी/सीईटीपी अपशिष्ट निर्वहन करते हैं या नदी निकायों/जल निकायों में सीधे निर्वहन किया जाता है एवं जिसे अगले वर्ष के 30 जून तक वार्षिक रूप से केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर प्रकाशित किया जाना चाहिए।

(15) भूजल पम्पिंग या अपशिष्ट जल/मल-जल अपशिष्ट की खुले क्षेत्र में निकासी के मामले में स्थानीय निकाय द्वारा द्विवार्षिक आधार पर मृदा, भूजल और सतही जल की गुणवत्ता की निगरानी के संबंध में स्व-रिपोर्टिंग का सत्यापन करना।

(16) थोक उपयोगकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी के साथ आईईसी गतिविधियों के माध्यम से पुन: उपयोग के लिए शोधित अपशिष्ट जल की स्वीकार्य सीमा में सुधार के लिए गतिविधियाँ चलाना।

(17) मल-जल की अंधाधुंध डंपिंग पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति लागू करना।

18) जल शोधन संयंत्रों के साथ-साथ मल-जल शोधन संयंत्रों का प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक स्वयं अथवा पैनलबद्ध एजेंसियों के माध्यम से संपरीक्षा कराना।

(19) जल शोधन संयंत्रों के साथ-साथ मल-जल शोधन संयंत्रों की संपरीक्षा रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर तक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर प्रकाशित करना।

(20) सुनिश्चित करें कि अपशिष्ट जल/मल-जल अपशिष्ट शोधन संयंत्रों का रखरखाव कुशल पेशेवरों द्वारा किया जाता है, और यह भी सुनिश्चित करें कि प्रमाणित पेशेवरों द्वारा अपशिष्ट जल शोधन विवरण तथा ऐसे शोधित जल के उपयोग किया जाता है।

(21) अपशिष्ट जल/मल-जल अपशिष्ट शोधन संयंत्रों की जियो-टैगिंग सुनिश्चित करना।

(22) अपशिष्ट जल/मल-जल अपशिष्ट शोधन संयंत्रों की स्थापना के साथ-साथ संचालन और रखरखाव में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए थर्ड पार्टी के तकनीकी रूप से सक्षम साझेदारों/सलाहकारों को नामित करना।

(23) इन नियमों के अंतर्गत सभी पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करना तथा अन्य अनुपालन, जो भी लागू हों, केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर किए जाएंगे। सभी प्रासंगिक जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होगी।

अनुसूची-I

[अध्याय II नियम 4(ख), अध्याय III, नियम 4(घ), नियम 4(ट), अध्याय VII नियम 7(1)(ण)]

अनुपालन की समय सीमा

क्र. सं.	जनसंख्या	समय-सीमा
	शहरी क्षेत्र	
1	दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर	31 मार्च, 2025
2	5-10 लाख	31 मार्च, 2026
3	1-5 लाख	31 मार्च, 2027
4	सभी शहरी क्षेत्र	31 मार्च, 2028
	ग्रामीण क्षेत्र	
1	20000 और उससे अधिक	31 मार्च, 2026
2	10000-20000	31 मार्च, 2027
3	5000-10000	31 मार्च, 2028
4	1000-5000	31 मार्च, 2029
5	सभी ग्रामीण क्षेत्र	31 मार्च, 2030

अनुसूची-II

[अध्याय IV नियम 1(थ), अध्याय VII नियम 11(7)]

अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए अभिज्ञात उद्योगों की सूची

(i) ताप विद्युत संयंत्र

(ii) लुगदी एवं कागज

(iii) कपड़ा उद्योग

(iv) लोहा एवं इस्पात उद्योग

प्रपत्र 1(क)

[जल के थोक उपयोगकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन] [नियम 2(क) देखें]

1.	उपयोगकर्ता का नाम	
2.	थोक उपयोगकर्ता का पंजीकृत पता, वेबसाइट का पता और संपर्क विवरण	
3.	अधिकृत व्यक्ति(यों) का नाम और पूरा पता, ईमेल, लैंडलाइन टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर सहित	
4.	जीएसटी सं.	
5.	टीआईएन सं.	
6.	अनुप्रयोग के उद्देश्य से प्रयुक्त जल के प्रकार तथा मात्रा (आयतन में)	

सामान्य नियम एवं शर्तें:

(i) पंजीकृत इकाई को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा;

(ii) अनुमोदित विस्तारित उपयोगकर्ता उत्तरदायित्व प्रपत्र में किसी भी परिवर्तन की सूचना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दी जानी चाहिए।

स्थान :

तारीख :

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर :

*****

प्रपत्र 1(ख)

[राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपयोगकर्ता को पंजीकरण प्रदान करने का प्रारूप] [नियम 11(1) देखें]

संदर्भ : पंजीकरण के लिए आपका आवेदन क्रमांक

दिनांक

पंजीकरण संख्या: ……………

मेसर्स ----------------- को तरल अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2024 के प्रावधानों के अनुरूप अपशिष्ट जल के सृजक के रूप में पंजीकरण प्रदान किया जाता है। तरल अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2024 के प्रावधान का कोई भी उल्लंघन पर्यावरण क्षतिपूर्ति और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के दंडात्मक प्रावधान को लागू करेगा।

(सदस्य सचिव)

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

तारीख :

स्थान :

प्रपत्र 1 (ग)

[थोक उपयोगकर्ता द्वारा विस्तारित उपयोगकर्ता उत्तरदायित्व योजना प्रस्तुत करने का प्रारूप] [नियम 2(झ), 11(3) देखें]

1.	उपयोगकर्ता का नाम	
2.	थोक उपयोगकर्ता का पंजीकृत पता, वेबसाइट का पता और संपर्क विवरण	
3.	अधिकृत व्यक्ति(यों) का नाम और पूरा पता, ईमेल, लैंडलाइन दूरभाष नंबर और मोबाइल नंबर	
4.	जीएसटी सं.	
5.	टीआईएन सं.	
6.	अनुप्रयोग के उद्देश्य से प्रयुक्त जल के प्रकार तथा मात्रा (आयतन में)	

तारीख :

स्थान :

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर :

प्रपत्र 2(क)

[पंजीकरण प्रदान करने/पंजीकरण के नवीकरण के लिए तरल अपशिष्ट शोधन सुविधा के मालिक द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन] [नियम 3(क) देखें]

	मालिक का नाम	
	पंजीकृत पता और वेबसाइट का पता	
	फ़ोन नंबर (लैंडलाइन और मोबाइल)	
	ईमेल आईडी	
	अधिकृत व्यक्ति(यों) का नाम	
	अधिकृत व्यक्ति(यों) का ईमेल आईडी	
	अधिकृत व्यक्ति मोबाइल नं.	
	जीएसटी नं.	

	सहमति वैधता	क. वायु अधिनियम, 1981 के तहत; ....तक वैध ख. जल अधिनियम, 1974 के तहत; ....तक वैध
	परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2016 के नियम 6 के तहत प्राधिकरण की वैधता	दिनांक ....तक वैध -
	जिला उद्योग केंद्र के साथ पंजीकरण के प्रमाणीकरण की वैधता	दिनांक ....तक वैध -
	पुनर्चक्रण इकाई(ओं) की क्षमता (एमटीए) में	क. संस्थापित ख. परिचालित (पिछले तीन वर्षों का विवरण)

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख:

प्रपत्र 2(ख)

[राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा तरल अपशिष्ट शोधन सुविधा के मालिक को पंजीकरण प्रदान करने/पंजीकरण के नवीकरण का प्रारूप] [नियम 11 (1) देखें]

संदर्भ: दिनांक..........के पंजीकरण के लिए आपका आवेदन संख्या

पंजीकरण संख्या: ……………

मैसर्स ----------------- को जल अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के प्रावधानों के अनुरूप अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण के लिए पंजीकरण प्रदान किया जाता है।

पंजीकरण जारी होने की तारीख से .... वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा।

तरल अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2024 के प्रावधान का कोई भी उल्लंघन पर्यावरण क्षतिपूर्ति और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के दंडात्मक प्रावधान को लागू करेगा।

(सदस्य सचिव)

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

तारीख:

स्थान:

प्रपत्र 3

[थोक उपयोगकर्ता द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष के 30 जून तक वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत किया जाना है] [नियम 2(ड), 6(1) देखें]

1.	उपयोगकर्ता का नाम	
2.	उपयोगकर्ता का पंजीकृत पता, वेबसाइट का पता और सम्पर्क करने का विवरण	
3.	अधिकृत व्यक्ति(यों) का नाम और पूरा पता, ईमेल, लैंडलाइन दूरभाष नंबर और मोबाइल नंबर	
4.	जिस वित्तीय वर्ष के लिए रिटर्न दाखिल किया जा रहा है, उस दौरान उपयोग किए गए जल की मात्रा का विवरण	
5.	अनुप्रयोग के उद्देश्य से प्रयुक्त जल के प्रकार तथा आयतन में मात्रा	
6.	विस्तारित उपयोगकर्ता उत्तरदायित्व दायित्व(यों) का विवरण तथा एकत्रित एवं शोधित अपशिष्ट जल जिसके लिए रिटर्न दाखिल किया जा रहा है	
7.	विस्तारित उपयोगकर्ता उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों का विवरण	
8.	शोधित जल के पुनः उपयोग/बिक्री का विवरण	
9.	शोधित जल की पुनर्प्राप्ति का विवरण	

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर:

स्थान:

तारीख:

प्रपत्र 4

[तरल अपशिष्ट शोधन संयंत्रों द्वारा तिमाही रिटर्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को तिमाही के अंतिम महीने की समाप्ति तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए]

1.	मालिक का नाम			
2.	पंजीकृत पता			
3.	ईमेल आईडी			
4.	दूरभाष			
5.	अधिकृत व्यक्ति(व्यक्तियों) का नाम			
6.	जीएसटी संख्या			
7.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ पंजीकरण संख्या			
8.	शोधन/प्रसंस्करण की क्षमता (एमटीए या प्रासंगिक इकाई)	क. संस्थापित ख. परिचालित (पिछले तीन वर्षों का विवरण)		
9.	थोक उपयोगकर्ता(ओं) सहित विभिन्न संस्थाओं से एकत्रित अपशिष्ट जल का विवरण	क्र. सं.	पानी का प्रकार	उन संस्थाओं का विवरण जिनसे पुनर्चक्रण के लिए जल एकत्र किया जाता है
		1		
		2		
10.	शोधित अपशिष्ट जल का विवरण			
11.	सृजित/प्राप्त और उपयोग किए गए /निपटान किए गए/बेचे गए अपशिष्ट जल/ मल-जल अपशिष्ट का विवरण			
12	विस्तारित उपयोगकर्ता उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र विवरण	उपयोगकर्ता-वार जारी किए गए प्रमाणपत्रों की संख्या		

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख:

प्रपत्र 5

[अपील का प्रपत्र] [नियम 11(9) देखें]

*(यहां नाम एवं प्राधिकरण का पदनाम बताएं)

पहले*
……
……………………..

तरल अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2024 के **नियम के उप-नियम या नियम के उप-नियम** के तहत अपीलीय प्राधिकरण गठित किया जाएगा ।

श्री..................
……
…………..का अपील ज्ञापन

(अपीलकर्ता)

बनाम

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड -(प्रतिवादी)

प्रबंधन नियम, 2024 के नियम _____ के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पारित आदेश संख्या _____________ के खिलाफ।

निम्नानुसार :

तरल अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2024 के तहत।

1) अपीलकर्ता को नीचे उल्लिखित इकाई के संबंध में पंजीकरण आदेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन पंजीकरण प्रदान किया गया है:

(क) संस्था का नाम :

(ख) पता :

(ग) सीआईएन संख्या :

संबंधित पंजीकरण आदेश की एक प्रति यहां संलग्न है।

2) इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं:

(यहां मामले के तथ्यों का संक्षेप में उल्लेख किया गया है)

3) अपीलकर्ता ने इस अपील के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित आधारों पर विश्वास किया है:-

(यहां उन आधारों का उल्लेख करें जिन के आधार पर अपील की गई है)

1.

2.

3.

4) उपरोक्त वर्णित बातों के आलोक में, अपीलकर्ता ने सादर प्रार्थना की है कि

(क) लगाई गई अनुचित शर्त(शर्तों).......... को रद्द माना जाना चाहिए या यदि वह उचित प्रतीत होती है तो उसे/इसे अन्य शर्तों के लिए गठित किया जाना चाहिए

या

(ख) अनुचित शर्त (शर्तों)................... में निम्नलिखित तरीके से परिवर्तन किया जाना चाहिए (यहां उस तरीके का उल्लेख करें जिस तरीके से शर्त(शर्तों) पर आपत्ति की गई है)।

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं ……………………………………………… (अपीलकर्ता का नाम) …………………………………………….. उपरोक्त अपील ज्ञापन में/या/विधिवत प्राधिकृत एजेंट द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि इसमें जो कुछ भी बताया गया है वह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है तथा इसमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

व्यवसाय

पता

तारीख:

---

*जो लागू न हो उसे काट दें।

[फा. सं. 12/122/2022- एचएसएम]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2024

S.O. 4341(E).— The following draft of the rules, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sections 3, 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986)

Whereas the Government proposes to introduce following draft rules to address the management of the liquid waste as a whole and each of its aspects individually. The aspects are: Liquid waste minimization; managing the collection of liquid waste; treatment of liquid waste; reuse/utilization of treated wastewater or sludge/faecal sludge; discharge/disposal of the remaining treated wastewater or sludge/faecal sludge.

Whereas it is hereby published for the information of the public likely to be affected thereby; and the notice is hereby given that the said draft notification shall be taken in to consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of this notification as published in the gazette of India are made available to public;

Objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification, if any may be addressed, within the period so specified, to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, New Delhi- 110 003 or electronically at e-mail addressed: sohsmd-mef@gov.in

The objections and suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified shall be considered by the Central Government.

Draft Rules

Chapter I

1. Short title and commencement:- (1) These rules may be called Liquid Waste Management Rules, 2024;

(2) They shall come into force from 01 October, 2025.

2. Application:- (1)These rules shall apply to every urban body as well as rural local body and all public authorities and entities responsible for the generation and management of wastewater, sludge from wastewater treatment facilities and faecal sludge, including all entities within their jurisdictions whether being controlled and managed by the government, private sector or in Public Private Partnership (PPP) viz. special notified areas including industrial areas/townships, special economic zones (SEZs), food parks, and areas under the control of Indian Railways including railway stations, railway tracks and land parcels adjacent to railway tracks, airports, airbases, ports and harbours, defence establishments, public and private establishments, State and Central government organizations, places of pilgrims, religious and historical importance, all land owners public or private, individual or body corporate, in possession of land parcels, and every domestic, institutional, commercial and any other non-residential liquid waste generator including bulk user of water.

(2) The obligations provided under other rules and regulations shall get supplemented with the obligations provided under these rules.

3. Definitions:- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) "**authorisation**" means the permission given by the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, as the case may be, to the operator of a facility or a local body, or any other agency responsible for processing and disposal of liquid waste;

(b) "**biochemical oxygen demand**" or "BOD" means the rate at which organisms use the oxygen in water or wastewater while stabilizing decomposable organic matter under aerobic conditions;

(c) "**blackwater**" means waste from a liquid flushing toilet, urinal;

(d) "**bulk user of water**" means and includes buildings occupied by the Central government departments or undertakings, State government departments or undertakings, local bodies, public sector undertakings or private companies, hospitals, nursing homes, schools, colleges, universities, other educational institutions, hostels, hotels, markets, places of worship, stadia and sports complexes or any other private or public commercial or institutional establishments or residential societies having an average water use exceeding 5000 litres per day;

(e) "**commercial unit**" means a structure that is not a residential unit but which has sewage producing fixtures such as sinks, baths, showers, toilets, urinals, dish- and clothes-washers or floor drains for receiving liquid waste including but not limited to only these;

(f) "**desludging**" means mechanized desludging;

(g) "**disinfected**" or "**disinfection**" means the use of any process designed to effectively kill most micro-organisms contained in liquid waste including essentially all pathogenic (disease causing) organisms, as indicated by the reduction of the E. coli concentration to a specific level; these processes include, but are not limited to, suitable oxidizing agents such as chlorine, ozone and ultraviolet light;

(h) "**disposal system**" means a generally recognized system for disposing of the discharge from a liquid waste treatment unit and includes, but is not limited to, seepage pits, drain fields, evapotranspiration systems, and sand mounds;

(i) "**effluent**" means liquid industrial refuse;

(j) "**extended user responsibility**" means the responsibility of user for environmentally sound management of water which includes but not limited to treatment, reuse, and safe disposal of the wastewater generated;

(k) "**faecal sludge**", including "**septage**" means semi–solids that accumulate in onsite sanitation systems (OSSs) e.g. pit latrines, septic tanks;

(l) "**greywater**" means untreated household wastewater excluding water from a liquid flushing toilet and/or urinal and includes wastewater from bathtubs, showers, washbasins, kitchen sinks, dishwashers, clothes washing machines, laundry tubs;

(m) "**liquid waste**" means any liquid/wastewater and associated sludge, including faecal sludge, which is discharged into the environment in such a volume, composition and manner likely to cause an alteration of quality of the environment;

(n) "**liquid waste generator**" means and includes every person or group of persons, every residential premises and non-residential establishments, which generate liquid waste;

(o) "**liquid waste minimization**" means minimization of liquid waste at its source to minimize the quantity as well as pollutants required to be treated and utilised/disposed of;

(p) "**local body**" for the purpose of these rules means and includes the municipal corporation, nagar nigam, municipal council, nagarpalika, municipal board, nagar panchayat and town panchayat, census towns, notified areas and notified industrial townships, Panchayati Raj Institutions with whatever name they are called in different States and Union Territories of India;

(q) "**off-site water**" means the domestic water supply is from a private water supply source that is neither within nor outside the premises within 100 meters of the property line of the premises; or from a public water supply source that is not within the premises;

(r) "**on-site liquid waste system**" means a liquid waste system located on-site where the liquid waste is generated;

(s) "**residential unit**" means a structure that is a residential unit which has sewage producing fixtures such as sinks, baths, showers, toilets, urinals, dish- and clothes-washers or floor drains for receiving liquid waste including but not limited to only these;

(t) "**resuse responsibility**" means the obligation on the bulk users and industries under Schedule II with respect to minimum reuse of treated water;

(u) "**seepage pit**" means a type of absorption system that uses a vertical, underground receptacle so constructed as to allow the disposal of liquid wastewater by soil absorption through the sidewalls; the maximum horizontal dimension shall not exceed the vertical dimension;

(v) "**septic tank**" means a liquid waste treatment unit designed to provide primary treatment and anaerobic treatment prior to utilization/disposal;

(w) "**sludge**" means semi-solids accumulated in wastewater stabilization ponds and other liquid waste treatment systems after reaching their full capacity;

(x) "**State Pollution Control Board"** means the State Pollution Control Board constituted under Section 4 of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and includes in relation to Union territory, the Pollution Control Committee

(y) "**storm water management**" means both the quantitative and qualitative management of storm water and the functions associated with planning, designing, constructing, operating, maintaining and financing of storm water management systems;

(z) "**user fee**" means a fee imposed by the local body/an authorized agency on any liquid waste generator to cover full or part cost for liquid waste collection, transportation, processing and utilization/disposal services;

(aa) "**wastewate**r" means blackwater or greywater or effluent.

(2) Words and expressions used herein but not defined, but defined in the Environment (Protection) Act, 1986, the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act, 1977 and the Air (prevention and Control of Pollution) Act, 1981 shall have the same meaning as assigned to them in the respective Acts.

4. Liquid waste management:- Liquid waste management includes the environmentally sound management of the following:

(a) Wastewater;

(b) Sludge generated during treatment of wastewater as well as faecal sludge;

(c) Reuse/utilization/ disposal of treated wastewater or sludge/faecal sludge.

Chapter II

Environmentally sound management of wastewater including its reuse

1. Duties of wastewater generator:- (1) Every wastewater generator shall,

(a) dispose wastewater generated, other than from industries, in drainage systems provided by local body or an agency, authorized by the local body, if any;

(b) not dispose wastewater generated on open land or in water body in a manner to adversely affect environmental quality;

(c) pay such user fee as notified in the byelaws or appropriate regulation of the local body after approval of the State / Union Territory Government.

2. Duties of bulk user of water:- (1) Every bulk user of water, other than industries having water consumption of more than 5000 litres per day or pollution load of more than 10 kg per day in terms of BOD;

(a) shall have to register, through Form 1(A) on the centralized online portal. The certificate of registration shall specify conditions required to be fulfilled for registration to remain valid. Any change in the information provided during registration and the conditions specified in the registration shall be notified to the local body;

(b) shall have Extended User Responsibility (EUR) obligation for wastewater generated based on water consumed to:

(i) ensure treatment of wastewater generated;

(ii) reuse treated wastewater for designated uses as per targets given in **Table 1;**

(c) shall set up and operate on site decentralized wastewater treatment facility of requisite capacity and using appropriate technologies as per the guidance/advisory/ manuals developed by MoHUA/DDWS/CPCB for treatment of wastewater generated for any new facilities/ premises constructed after coming into force of these rules. In case, where the bulk user, is not able to set up on site decentralized wastewater treatment facility of requisite capacity and using appropriate technologies, for such facilities, it shall obtain exemption for corresponding quantity of wastewater from appropriate local body (within that city) or concerned authority, in order to fulfill the Extended User Responsibility obligation by purchasing EUR certificates from registered wastewater treatment facilities;

(d) may set up and operate on site decentralized wastewater treatment facility of requisite capacity and using appropriate technologies as per the guidance/advisory/ manuals developed by MoHUA/DDWS/CPCB for treatment of wastewater generated for any facility existing before the coming in force of these rules, which shall be mandatory, provided they are obligated under the others rule and regulation. In case, where the bulk user, is not able to set up on site decentralized wastewater treatment facility of requisite capacity and using appropriate technologies for such facilities, it shall obtain the Extended User Responsibility obligation by purchasing EUR certificates from registered wastewater treatment facilities provided the facility is linked to drainage network which is linked with wastewater treatment facility.

(e) shall procure EUR certificate from registered wastewater treatment facilities and/ or ETPs/ CETPs if applicable;

(f) shall establish dual piping in any newly constructed facilities/ premises after these rules come into force ;

(g) shall have to establish and maintain the wastewater transportation system to the point it gets connected to public drainage system or on site decentralized wastewater treatment plant, as applicable;

(h) each new bulk user shall pay fee, as notified in the byelaws or appropriate regulation of the local body after approval State / Union Territory Government, to the local body for the development of sewage

network as per MoHUA/DDWS guidelines which shall be used by the local bodies for the construction of sewage collection and transportation network;

(i) shall prepare an Extended User Responsibility plan as per Form 1(C) to be submitted to SPCB and to the concerned local body;

(j) shall have the obligation with respect to the minimum reuse of treated wastewater as per the Table 1 for new bulk users and Table 2 for existing bulk users. The assessment of the minimum reuse of the treated water shall be in respect of the total freshwater consumption. However, in case of facilities/ premises not having on-site decentralized wastewater treatment facilities, such obligation will be subject to availability of treated wastewater;

TABLE 1

S.No.	**Category of bulk user**	**Minimum reuse of the treated wastewater (percentage of water consumed)**			
		2027-28	**2028-29**	**2029-30**	**2030-31 and onwards**
1.	Residential Societies	20	30	40	50
2.	Institutional/Commercial/ Establishments viz government offices/ private offices	20	20	40	40

TABLE 2

S.No.	**Category of bulk user**	**Minimum reuse of the treated wastewater (percentage of water consumed)**			
		2027-28	**2028-29**	**2029-30**	**2030-31 and onwards**
1.	Residential Societies	10	15	20	25
2.	Institutional/Commercial/ Establishments viz government offices/ private offices	10	10	20	20

(k) shall procure Reuse Responsibility Certificate from registered wastewater treatment facilities or CETPs, in case the obligation with respect to the minimum reuse of treated wastewater is not met through decentralized wastewater treatment facility and/or ETP;

(l) shall provide by 7th of every month quantitative data on the operation of on site decentralized wastewater treatment facility of the preceding month, including water consumed, wastewater generated, wastewater treated, reuse/sale of treated wastewater, treated wastewater discharged, sludge and/ or organic manure/soil conditioner/ biogas generated after treatment of wastewater and other relevant details as per guidelines/manuals prepared by MoHUA/DDWS/CPCB, on the centralized online portal;

(m) shall file annual returns, by 30th June of every year as per Form 3, in respect of on-site decentralized wastewater treatment facility to SPCB, for the quantity of fresh water consumed, wastewater generated, wastewater treated, reuse/sale of treated wastewater along with details of users of treated wastewater in the preceding financial year. It will contain information on the quantity of sludge generated, treated sludge/organic manure/soil conditioner/biogas and the use of treated sludge/organic manure/soil

conditioner/biogas with details of users of treated sludge/organic manure/soil conditioner /biogas and other relevant details on the centralized online portal;

(n) shall file annual returns to SPCB in respect of EUR obligation on the centralized online portal. The details of the registered wastewater treatment facilities from where the Extended User Responsibility certificates have been procured shall be provided;

(o) shall not deal with any other entity not having registration mandated under these rules.

3. Duties of operators of wastewater treatment facilities:- (1) Every operator of wastewater treatment facility:

(a) shall register itself as per Form 2(A), prior to generating EUR certificate, for treated wastewater and faecal sludge treatment through the centralized online portal;

(b) shall generate Extended User Responsibility certificates only to the obligated entities (bulk user of water) associated with it;

(c) shall provide by 7th of every month quantitative data on the operation of wastewater treatment facility of the preceding month, through the centralized online portal including wastewater treated, reuse of treated wastewater, treated wastewater discharged, and other relevant details;

(d) shall provide by 7th of every month, quantitative data on the sludge and/ or organic manure/soil conditioner/ biogas generated after treatment of wastewater, use of treated sludge/organic manure/soil conditioner/ biogas through the centralized online portal including details of users of treated sludge/organic manure/ biogas, quality of sludge and/or organic manure/ soil conditioner, and other relevant details;

(e) shall on a monthly basis provide the quantitative data, on its website which shall be available in the public domain, on the operation of wastewater treatment facility of the preceding month including wastewater treated, recovery of treated wastewater, reuse of treated wastewater, treated wastewater discharged, sludge and/ or organic manure/soil conditioner/biogas generated after treatment of wastewater, use of treated sludge/organic manure/soil conditioner/biogas, details of users of treated sludge/organic manure/ soil conditioner/ biogas, quality of sludge and/or organic manure/ soil conditioner and other relevant details;

(f) shall also monitor the quality of treated water as well as of all the water bodies where treated water is discharged by itself or through the agency authorized by it; and the same shall be reported on a monthly basis on the centralized online portal;

(g) shall ensure the qualitative testing of organic manure/soil conditioner/ any other byproduct generated after treatment of wastewater by the agencies/ laboratories/ testing centers authorized for this purpose by DAFW or the concerned Department, on a monthly basis and the same shall be reported on the centralized online portal;

(h) shall file annual returns by 30th June of every year in respect of wastewater treatment facility to SPCB, for the quantity of fresh water consumed, wastewater generated, wastewater treated, recovery of treated wastewater**,** reuse/sale of treated wastewater along with details of users of treated wastewater in the preceding financial year. It will contain information on the quantity of sludge generated, treated sludge/organic manure/soil conditioner/ biogas / any other by product and the use of treated sludge/organic manure/soil conditioner/ biogas/ any other by product with details of users of treated sludge/organic manure/ biogas/ any other by product and other relevant details, on the centralized online portal;

(i) shall file quarterly as well as annual returns to SPCB in respect of EUR certificates on the centralized online portal. The details of Extended User Responsibility certificates issued along with the details of entities associated with it procuring these EUR certificates shall be provided;

(j) shall generate Reuse Responsibility Certificate through the centralized online portal which shall be procured by the industries/bulk users;

(k) shall register themselves on the centralized online portal prior to generation of Reuse Responsibility Certificate for the industries;

(2) shall ensure minimum recovery target of wastewater as given in the Table 3 below.

TABLE 3

Recovery target for the year (%)		
2027-28	**2028-29**	**2029-30 and onwards**
55	60	65

Note for the purpose of this sub-rule:

Recovery of minimum percentage target means percentage of total volume of all wastewater recovered for reuse for various utilities such as cooling towers, boilers, or for gardening, sanitation, and irrigation.

Minimum recovery target is subject to the percentage of sludge content in the wastewater. In case as deemed appropriate/ required, the recovery target for the year may be reduced by a value equivalent to that of the percentage of sludge content in the wastewater.

(3) If bulk users of water and operators of decentralized wastewater treatment facilities are same entities, in such cases operator of wastewater treatment facility shall be exempted from registration and reporting requirements as laid under this section.

4. Duties of local body including public wastewater management authorities: - (1) Local body including public wastewater management authorities:

(a) shall be responsible for environmentally sound management of wastewater including collection, treatment, reuse and utilization/disposal by itself or through authorized agenc(ies), as required, following guidelines issued by MoHUA/DDWS and standards prescribed by CPCB, where applicable;

(b) shall prepare an action plan for environmentally sound management of wastewater in their jurisdiction including collection, treatment, reuse and utilization/disposal as per **Schedule-I** of these rules, taking into account areas where drainage network had already been provided and/or unsewered areas, as applicable;

(c) shall ensure that there is no release of untreated wastewater on open land or in water body in a manner to adversely affect environmental quality;

(d) may engage one or more authorized entities to undertake the installation, operation and maintenance of the wastewater/drainage system;

(e) shall ensure that wastewater treatment plant(s) established and operated by itself or by an agency authorized by the local body, is registered with concerned SPCB through online portal;

(f) shall ensure that all wastewater treatment facilities whether established and operated by itself or by an agency authorized by the local body, are geo-tagged and located on GIS map;

(g) shall ensure that the applicable guidelines and standards prescribed by CPCB are adhered to by the wastewater treatment facility established and operated by itself or through its authorized agency;

(h) shall also monitor the water quality of all the water bodies where treated water is discharged by itself or through the agency authorized by it; and the same shall be reported on a monthly basis on the centralized online portal;

(i) shall ensure that wastewater treatment facilities under its jurisdiction recover the treated wastewater such that it can be used for the process again, or for various utilities such as cooling towers, boilers, or for gardening, sanitation, and irrigation;

(j) shall file annual returns to SPCB by 30th June of every year, in regard to the wastewater generated in its jurisdiction, projection of wastewater generation for following five years, coverage of drainage network and gap, wastewater treated, wastewater reused/sold, sludge generated, treated and reused/sold, recovery of waste water after treatment, details of EUR certificates procured by obligated entities, and other relevant details on the centralized online portal. The annual return shall include wastewater treatment plant-

wise information. In case, where the wastewater treatment plant is established and operated by an agency authorized by the local body, in such cases, agency authorized by the local body, shall file quarterly return in the format prescribed the local body, by 30th of the next month after completion of every quarter.

(2) Each local body for implementing provisions of these rules shall levy user fee as notified in its byelaws or regulations after approval of State / UT Government.

(3) Each local body including urban local body, Gram Panchayat, designated authority of appropriate Government handling wastewater treatment shall make provision of levy of fine or penalty for contravention of the above as notified in its byelaws or regulations after approval of State / UT Government.

5. Extended User Responsibility (EUR) Certificate for treatment of wastewater:- (1) Wastewater treatment facility(ies) shall register themselves on the centralized online portal prior to generation of EUR certificates for treated municipal wastewater and faecal sludge treatment;

(2) Only registered wastewater treatment facilities and/ or ETPs/CETPs are mandated to generate EUR certificate for treated wastewater through the centralized online portal which shall be procured by bulk users of water for fulfilment of EUR obligations;

(3) Registered wastewater treatment plants are mandated to generate EUR certificate only for those obligated entities which are associated with it;

(4) SPCB shall authorize for the issuance of EUR certificates on the centralized online portal;

(5) The following formula shall be used to estimate the Extended User Responsibility certificates for wastewater treatment plants:

Extended User Responsibility certificates (litres) = Quantity of wastewater received for processing (litres)

Note: Extended User Responsibility certificates for recyclers shall be generated based on volume of wastewater received for processing.

(6) All such transactions shall be recorded and submitted by the wastewater treatment facility on the centralized online portal at the time of filing quarterly as well as annual returns;

(7) Extended User Responsibility certificates generated by the wastewater treatment facility in a particular year shall be valid for meeting the obligations of bulk users for the same year;

(8) In case of a new entity obligated for wastewater treatment and reuse in the subsequent years after the publication of these rules, the Extended User Responsibility targets shall be applicable based on the declaration made in this regard;

(9) Fee to be levied for generation of EUR by wastewater treatment facilities shall be finalized as per guidelines issued by CPCB in this regard;

(10) Fee charged by wastewater treatment facilities for generation of each EUR certificate(s) to be shared with concerned local body & SPCB towards development and maintenance of sewage collection infrastructure by the local body, or audit of wastewater treatment facilities by SPCB, etc., in accordance with the guidelines issued by CPCB in this regard;

(11) The cost of EUR certificate shall be 50% of the environmental compensation in case of non-compliance of the obligation by the obligated entity.

Chapter III

Environmentally sound management of faecal sludge

1. Duties of user of Onsite Sanitation System including septic tank, lined/unlined tank, twin pit, single pit: - (1) User of Onsite Sanitation System:

(a) shall desludge septic tank as per directions issued by local body taking into account the guidelines issued MoHUA or DDWS in this regard. Septic tanks may be emptied and cleaned regularly, typically every 3 to 5 years, depending on usage, to prevent overflow, blockages, or environmental contamination;

(b) shall utilize desludging services provided by the local body or any service provider registered for desludging and transportation to registered faecal sludge treatment facility or wastewater treatment facility;

(c) shall ensure that faecal sludge is not disposed on open land or in water body;

(d) shall pay fees prescribed by the local body, as per the guidelines developed by CPCB in consultation with MoHUA & DDWS, for desludging, transportation as well as treatment of faecal sludge;

(e) should avoid flushing harmful chemicals, non-biodegradable items, oils, or fats into the septic tank, as these can disrupt the bacterial action necessary for the breakdown of waste, reduce the tank's efficiency, and cause environmental harm;

(f) shall ensure that the septic tank is accessible for maintenance without posing risks to workers, and that it has safe, secure covers to prevent accidents or unauthorized access;

(g) shall adhere to guidelines regarding septic tank design, installation, and maintenance standards. This includes ensuring that septic systems are properly constructed and located to avoid contamination of water sources;

(h) should carry out inspection of septic tanks for leaks, cracks, or any signs of malfunction is crucial. Users should ensure that repairs are conducted promptly to prevent contamination of groundwater or surface water;

(i) should practice efficient water use to reduce the load on the septic system, which helps in maintaining its effectiveness and prolonging its operational lifespan.

2. **Duties of operator of desludging services:-** (1) The operator of the desludging services,

(a) shall have to register on the centralized online portal. The certificate of registration shall specify conditions required to be fulfilled for registration to remain valid. Any change in the information provided during registration and the conditions specified in the registration shall be notified to the local body;

(b) shall ensure mechanized desludging, use of PPE kits and transportation of faecal sludge is done in an environmentally sound manner;

(c) shall establish and maintain faecal sludge transportation system to the point it gets connected to registered faecal sludge treatment facility or wastewater treatment facility;

(d) shall get fees from user of Onsite Sanitation System for desludging, transportation and treatment of faecal sludge and provide a share to registered faecal sludge treatment facility or wastewater treatment facility where the faecal sludge is transported as well as to the local body and SPCB, as prescribed by the local bodies as per the guidelines;

(e) shall provide by 7th of every month quantitative data on the operation of services in the preceding month, including number of on site sanitation facilities desludged, quantity of faecal sludge desludged and transported, details of registered faecal sludge treatment facility or wastewater treatment facility where the faecal sludge is transported, and other relevant details on the centralized online portal;

(f) shall file annual returns to SPCB by 30th June of every year, in respect of number of on site sanitation facilities desludged, quantity of faecal sludge desludged and transported, details of registered faecal sludge treatment facility or wastewater treatment facility where the faecal sludge is transported, and other relevant details on the centralized online portal.

3. **Duties of operator of faecal sludge treatment facilities:** (1) The operator of faecal sludge treatment facilities shall;-

(a) shall have to register on the centralized online portal. The certificate of registration shall specify conditions required to be fulfilled for registration to remain valid. Any change in the information provided during registration and the conditions specified in the registration shall be notified to the local body;

(b) shall ensure that their facility is in accordance with the standards or guidelines prescribed by the Central Pollution Control Board;

(c) shall ensure that it carries out any activity in accordance with the guidelines prescribed by Central Pollution Control Board;

(d) shall ensure that the faecal sludge is treated as per relevant guidelines;

(e) shall ensure that hazardous waste generated from any activity of the entity is managed as per the provisions under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016;

(f) shall ensure that their facilities are geo tagged;

(g) shall provide by 7th of every month quantitative data on the operation of faecal sludge treatment facility of the preceding month, regarding quantity of faecal sludge received, quantity of faecal sludge treated including generation of organic manure/soil conditioner/ biogas/ other products if any, and other relevant details on the centralized online portal;

(h) shall on a monthly basis provide the quantitative data, on its website which shall be available in the public domain, on the operation of onsite sanitation system of the preceding month including sludge and/ or organic manure/soil conditioner/ biogas generated after treatment of wastewater, use/sale of treated sludge/organic manure/soil conditioner/ biogas, details of users of treated sludge/organic manure/ biogas, quality of sludge and/or organic manure/ soil conditioner and other relevant details;

(i) shall file annual returns by 30th June of every year in respect of the operation of faecal sludge treatment facility of the preceding month to SPCB, for quantity of faecal sludge received, quantity of faecal sludge treated including generation of organic manure/soil conditioner/ biogas/ other products if any, and other relevant details on the centralized online portal;

(j) shall get the fees collected by the desludging service provider as prescribed by the local bodies as per the guidelines in this regard;

(k) shall not deal with any other entity not having registration mandated under these rules;

(l) shall ensure the qualitative testing of organic manure/soil conditioner/ other products if any generated after treatment of faecal sludge by the agencies/ laboratories/ testing centers authorized for this purpose by DAFW or other concerned Department, on a monthly basis.

4. Duties of local body:- (1) Each local body,

(a) shall be responsible for environmentally sound management faecal sludge by itself or through authorized agency, as required, following guidelines developed by MoHUA/DDWS and standards prescribed by CPCB, as applicable;

(b) may engage operators of desludging service providers as well as faecal sludge treatment facilities on an exclusive basis as well as in as many numbers that may ensure economic feasibility of such operators;

(c) shall ensure that there is no release of untreated faecal sludge on land or in water body;

(d) shall develop an action plan for environmentally sound management of faecal sludge generated in the area under their jurisdiction including collection, treatment, and utilizations/ disposal as per **Schedule** I, following guidelines issued by MoHUA/ DDWS, as applicable;

(e) shall, for the purpose of developing the action plan for environmentally sound management of faecal sludge, as appropriate and applicable, carry out a study to estimate quantity of faecal sludge being generated especially from households and people not connected to sewage network and projection, type and size of OSS used by the households such as septic tank, lined/unlined tank, twin pit, single pit, size of the OSS, frequency of desludging, and current disposal of sludge and the supernatant liquor, and characteristics of faecal sludge, choice of treatment and disposal methods, infrastructure in place for collection, treatment, and disposal and gap. The characterization of faecal sludge should consider various parameters, including pH, solids concentration, chemical oxygen demand (COD), biochemical oxygen demand (BOD), and pathogens. The guidelines issued by MoHUA/DDWS and standards prescribed by CPCB, as applicable, shall be followed while developing the action plan;

(f) shall ensure that only registered desludging service provider or the local body itself undertakes desludging operation in the area under their jurisdiction;

(g) shall ensure that only registered faecal sludge treatment facilities or the local body itself undertakes treatment of faecal sludge in the area under their jurisdiction;

(h) shall ensure that desludging vehicles of all desludging service providers including those of the local body have GPS tracking system installed along with flow monitoring meter to monitor discharge rate along with location of discharge of faecal sludge;

(i) shall ensure that collected faecal sludge is transported for treatment only at registered faecal sludge treatment facility;

(j) shall make provision, as appropriate and practicable, for handling requests of citizens for regular desludging on onsite sanitation systems using IT based tools as per **Schedule-I**;

(k) shall develop monitoring framework for ensuring collection, transport, treatment and disposal of faecal sludge in an environmentally sound manner, using IT based tools as appropriate as per **Schedule-I**;

(l) shall file annual returns to SPCB by 30th June of every year in regard to the faecal sludge generated in its jurisdiction, projection of faecal sludge generation, coverage of faecal sludge management network and gap, faecal sludge treated including generation of organic manure/soil conditioner/ biogas/ other products if any, and other relevant details on the centralized online portal. The annual return shall include faecal sludge treatment facility-wise information. In case, where the faecal sludge treatment facility is established and operated by an agency authorized by the local body, in such cases, agency authorized by the local body, shall file quarterly return by 30th of the next month after completion of every quarter;

(m) shall make provision of levy of fine or penalty for contravention of the above in relevant byelaws or regulations;

Chapter IV

Treatment and reuse of wastewater by industry

1. Duties of Industries:- (1) Industries having water consumption of more than 5000 LPD or pollution load above 10 kg per day in terms of BOD:

(a) shall have to register on the centralized online portal. The certificate of registration shall specify conditions required to be fulfilled for registration to remain valid. Any change in the information provided during registration and the conditions specified in the registration shall be notified to the local body;

(b) shall comply with the effluent discharge standards set by the Central Pollution Control Board (CPCB) and State Pollution Control Boards (SPCBs), as outlined in the Environment Protection Act, 1986, and the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974;

(c) shall adhere to limits on pollutants such as pH, suspended solids, biochemical oxygen demand (BOD), chemical oxygen demand (COD), heavy metals, and specific toxic substances depending on the industry type;

(d) shall install and properly maintain ETP(s) or make use of Common Effluent Treatment facilities (CETPs) to treat industrial effluents to prescribed standards before utilization/ discharge;

(e) shall adopt Zero Liquid Discharge systems, where applicable or mandated under law or treat wastewater as per extant regulations; ensuring that no liquid effluent is discharged outside the industrial premises, particularly in water-scarce areas or as mandated by regulations for certain high-polluting industries;

(f) shall minimize freshwater intake and reduce environmental discharge loads through reuse of treated effluent/ wastewater within industrial processes. Industries should explore closed-loop systems and water conservation technologies;

(g) shall obtain and adhere to Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the respective SPCBs, ensuring that all effluent management activities align with the specific conditions laid down in these consents;

(h) shall adopt cleaner production techniques, process modifications, and advanced treatment technologies to reduce effluent volume and pollutant load;

(i) shall undertake regular training and capacity building for staff on effluent management best practices, technology use, and compliance requirements;

(j) shall develop and implement an emergency response plan for accidental releases or failures of effluent management systems, including notification procedures, containment measures, and corrective actions;

(k) shall disclose relevant information about effluent management practices and compliance status;

(l) may ensure adequate financial resources are allocated for the installation, operation, maintenance, and upgrade of effluent treatment and monitoring systems;

(m) shall reuse treated waste water in water intensive operations as per the prescribed guidelines;

(n) shall provide by 7th of every month, quantitative data on the operation of ETP in respect of water consumed, wastewater generated, wastewater treated, reuse/sale of treated wastewater, quality of treated water discharged, sludge and/ or organic manure/soil conditioner/ biogas generated after treatment of wastewater and other relevant details on the centralized online portal;

(o) shall file annual returns by 30th June of every year to SPCB in respect of ETP, for water consumed, wastewater generated, wastewater treated, reuse/sale of treated wastewater, quality of treated water discharged, sludge and/ or organic manure/soil conditioner/ biogas generated after treatment of wastewater, and other relevant details on the centralized online portal;

(p) shall provide by 7th of every month, quantitative data in respect of water consumed, wastewater generated, wastewater sent to CETP for treatment, and other relevant details on the centralized online portal, in case the industry does not have ETP;

(q) Industries given in **Schedule-II** shall have the obligation with respect to the minimum reuse of treated wastewater as per the Table 4 below. The assessment of the minimum use of the treated water shall be in respect of the total fresh water consumption. The reuse target also includes use of treated industrial effluent by the industry, subject to the certification by SPCB concerned;

TABLE 4

S.No.		**Minimum use of the treated wastewater**			
		2027-28	**2028-29**	**2029-30**	**2030-31 and onwards**
1.	Industrial units	60	70	80	90

(r) shall procure Reuse Responsibility Certificate from registered wastewater treatment facilities or CETPs, in case the obligation with respect to the minimum reuse of treated wastewater is not met through decentralized wastewater treatment facility and/or ETP;

(s) shall comply with the guidelines for reuse of treated wastewater as well as for recovery of wastewater, developed by CPCB in this regard;

(t) shall not deal with any other entity not having registration mandated under these rules.

(2) Industries located in Over-exploited, Critical and Semi-critical areas as per CGWB report on “National Compilation on Dynamic Ground Water Resources of India, 2022” shall proactively take measures for reuse of treated wastewater.

2. Duties of operator of ETP/CETP:- (1) Each ETP/CETP operator,

(a) shall regularly monitor the quality of treated effluents using in-house facilities or third-party laboratories accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL);

(b) shall submit regular reports on effluent quality to the SPCBs, including data on pollutants as specified by consent conditions. Online monitoring systems may also be mandated for continuous real-time data submission;

(c) shall ensure proper handling, treatment, and utilization/ disposal of sludge generated ensuring that it is not released untreated into the environment. The sludge should be disposed of in accordance with hazardous waste management regulations, as per the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016;

(d) shall ensure for minimum recovery of wastewater including as mentioned in the Table 5 below;

TABLE 5

Recovery target for the year (%)		
2027-28	**2028-29**	**2029-30 and onwards**
70	80	90

Note for the purpose of this sub-rule:

Recovery of minimum percentage target means percentage of total volume of all wastewater recovered for reuse for various utilities such as cooling towers, boilers, or for gardening, sanitation, and irrigation.

Minimum recovery target is subject to the percentage of sludge content in the wastewater. In case as deemed appropriate/ required, the recovery target for the year may be reduced by a value equivalent to that of the percentage of sludge content in the wastewater.

(e) can receive wastewater other than wastewater from industries;

(f) shall generate Reuse Responsibility Certificates through the centralized online portal which shall be procured by the industries and/or bulk users;

(g) can generate EUR certificate for bulk users only to the extent of wastewater received other than wastewater from industries;

(h) shall provide by 7th of every month, quantitative data on the operation of ETP/CETP of the preceding month, including wastewater received along with its source, wastewater treated, reuse/sale of treated wastewater, treated wastewater discharged, recovery of treated wastewater, and other relevant details on the centralized online portal;

(i) shall provide by 7th of every month, preceding month's quantitative data on the sludge and/ or organic manure/soil conditioner/ biogas generated after treatment of wastewater, use of treated sludge/organic manure/soil conditioner/ biogas including details of users of treated sludge/organic manure/ biogas, quality of sludge and/or organic manure/ soil conditioner, and other relevant details on the centralized online portal;

(j) shall on a monthly basis provide the quantitative data, on its website which shall be available in the public domain, on the operation of wastewater treatment facility of the preceding month including wastewater treated, reuse/sale of treated wastewater, treated wastewater discharged, sludge and/ or organic manure/soil conditioner/ biogas generated after treatment of wastewater, use of treated sludge/organic manure/soil conditioner/ biogas, details of users of treated sludge/organic manure/ biogas, quality of sludge and/or organic manure/ soil conditioner and other relevant details;

(k) shall also monitor the water quality of treated water as well as of all the water bodies where treated water is discharged by itself or through the agency authorized by it; and the same shall be reported on a monthly basis on the centralized online portal;

(l) shall ensure the qualitative testing of organic manure/soil conditioner/ biogas any other product generated after treatment of wastewater by the agencies/ laboratories/ testing centers authorized for this purpose by DAFW or the concerned Department, on a monthly basis and the same shall be reported on the centralized online portal;

(m) shall file annual returns by 30th June of every year to SPCB in respect of ETP/CETP, for the wastewater received along with its source, wastewater treated, reuse/sale of treated wastewater, treated wastewater discharged, and other relevant details; in the preceding financial year. It will contain information on the quantity of sludge generated, treated sludge/organic manure/soil conditioner/ biogas/ any other product and the use of treated sludge/organic manure/soil conditioner/ biogas/ any other product with details of users of treated sludge/organic manure/ biogas, and other relevant details on the centralized online portal;

(n) shall file annual returns to SPCB in respect of EUR certificate as well as Reuse Responsibility Certificate, as applicable, on the centralized online portal. The details of Extended User Responsibility certificates issued along with the details of entities within its city of operation procuring these EUR certificates shall be provided.

(2) If, industries having water consumption of more than 5000 LPD or pollution load of more than 10 kg per day in terms of BOD, themselves are the operators of ETPs, in such cases operator of ETP shall be exempted from registration reporting requirements as laid under this section.

3. Extended User Responsibility (EUR) Certificate for treatment of wastewater:- (1) ETPs/CETPs shall register themselves on the centralized online portal prior to generation of EUR certificates for treated wastewater other than industrial wastewater that may be procured by bulk users;

(2) ETPs/CETPs are mandated to generate EUR certificate for treated wastewater other than industrial wastewater through the centralized online portal which shall be procured by bulk users of water, associated with it, for fulfilment of EUR obligations;

(3) SPCB shall authorize for the issuance of EUR certificates on the centralized online portal;

(4) The following formula shall be used to estimate the Extended User Responsibility certificates for wastewater treatment plants:

Extended User Responsibility certificates (litres) = Quantity of wastewater received for processing (litres)

Note: Extended User Responsibility certificates shall be generated based on volume of wastewater received for processing

(5) Extended User Responsibility certificates generated by ETP/CETP facility in a particular year shall be valid for meeting the obligations of bulk users for the same year.

Chapter V

General Obligations for sludge/ faecal sludge handling entities including wastewater treatment facilities, ETPs, CETPs, faecal sludge treatment facilities

(1) Regular testing and analysis of sludge/ faecal sludge to be done to determine its composition, including the presence of heavy metals, pathogens, organic matter, and other contaminants. This helps classify the sludge for appropriate treatment and disposal methods.

(2) Categorize sludge/ faecal sludge based on its hazardous or non-hazardous nature, aligning with the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, and other relevant guidelines.

(3) Employ suitable sludge/ faecal sludge treatment processes such as anaerobic digestion, composting, thermal drying, or chemical stabilization to reduce pathogen levels, volume, and odour, making the sludge safer for handling, disposal, or reuse.

(4) Ensure that sludge/ faecal sludge is stabilized to minimize its environmental impact, prevent leaching of harmful substances, and reduce the risk of contamination to soil and water bodies.

(5) Promote use treated sludge/ faecal sludge as soil conditioner or organic manure where applicable, ensuring it meets the quality standards for agricultural use as specified by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and other regulatory bodies.

(6) In cases where reuse is not feasible, dispose sludge/ faecal sludge in designated landfills that comply with Solid Waste Management Rules, 2016 and guidelines, ensuring that it does not pose a risk to the environment or public health.

(7) Implement routine monitoring of sludge/ faecal sludge management practices, including tracking the quality and quantity of sludge generated, treated, and disposed of.

(8) Submit regular reports to the State Pollution Control Boards (SPCBs) or Central Pollution Control Board (CPCB) detailing the treatment methods used, compliance with standards, and any incidents of non-compliance.

(9) Comply with relevant standards and regulations such as those outlined in the Environment Protection Act, 1986, Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, and guidelines from CPCB and SPCBs on sludge/ faecal sludge management.

(10) Secure necessary permits or approvals for sludge/ faecal sludge treatment and disposal from regulatory authorities such as CPCB and/or SPCB.

(11) Implement measures to reduce the generation of sludge/ faecal sludge through process optimization, water conservation.

(12) Employ techniques such as dewatering or drying to reduce the volume of sludge/ faecal sludge, thereby easing the load on disposal facilities and minimizing transportation costs.

(13) Ensure the safety of workers involved in sludge/ faecal sludge management by providing appropriate personal protective equipment (PPE), training, and adherence to occupational safety standards.

(14) Regular health checks and monitoring of workers to prevent exposure to harmful pathogens or chemicals present in sludge/ faecal sludge.

(15) Inform and educate the local community about sludge/ faecal sludge management practices and their benefits, addressing concerns related to odours, health risks, and environmental impacts.

(16) Maintain transparency in sludge management operations, including making information available to the public and stakeholders about the methods and results of sludge/ faecal sludge treatment.

(17) Collaborating with other industries, research institutions, and international bodies to share best practices and innovations in sludge/ faecal sludge management.

(18) All entities, other than wastewater treatment facilities, faecal sludge treatment facilities, ETPs/CETPs, which are engaged in treatment of sludge/ faecal sludge shall be registered on centralized online portal and shall file annual returns on the centralized online portal regarding the sludge/ faecal sludge received, processed, and the treated by product sold.

Chapter VI

Implementation framework

1. Centralised Online Portal:– (1) Central Pollution Control Board shall establish an online system for the registration as well as for filing annual returns of all obligated entities under these rules within six months of commencement of these rules. The system shall also ensure registration as well as for filing annual returns by SPCBs for liquid waste management in the State/UT within six months of commencement of these rules.

(2) It shall also reflect the details regarding the audit of the registered generators of waste water and entities involved in collection, treatment/ recycling and reuse of wastewater and/or sludge/faecal sludge.

(3) The system shall ensure a mechanism wherein the volume balance of wastewater as per Extended User Responsibility obligations of bulk users as well as non-obligated entities is reflected. It shall also reflect the details regarding the audit of the obligated entities involved in collection, treatment of wastewater and/or sludge/faecal sludge and reuse/utilisation of treated wastewater and/or treated sludge/faecal sludge.

(4) The CPCB may charge fees from obligated entities under these rules for provision of services through the web portal as per the guidelines prepared by CPCB.

(5) The details received from wastewater treatment facilities/ faecal sludge treatment facilities/ ETP/CETP facilities on a monthly basis on the online portal of CPCB shall be made available in the public domain.

2. Imposition of Environmental Compensation:- (1) The Environmental Compensation shall also be levied based upon polluter pays principle on persons who are not complying with the provisions of these rules, as per guidelines to be notified, for the following activities:-

(a) Entities carrying out activities without registration as mandated under these rules;

(b) Providing false information /wilful concealment of material facts by the entities registered under these rules;

(c) Submission of forged/manipulated documents by the entities registered under these rules;

(d) Entities engaged in collection, treatment and reuse in respect to not following sound handling of wastewater/treated wastewater.

(2) Implementation Committee constituted by Central Pollution Control Board under rule 4 of Chapter VI shall prepare guidelines for imposition and collection of environment compensation from obligated entities in collection, treatment of wastewater and/or sludge/faecal sludge and reuse/utilisation of treated wastewater and/or treated sludge/faecal sludge in case of violation or non compliance under these rules.

(3) The environment compensation shall be levied by SPCB on bulk users operating with respect to non-fulfilment of their Extended User Responsibility targets, responsibilities and obligations set out under these rules.

(4) The environment compensation shall be levied by respective State Pollution Control Board on entities involved in collection, recycling/treatment and reuse of wastewater and/or sludge/faecal sludge with respect to non-fulfillment of their responsibilities and obligations set out under these rules. In case, the State Pollution Control Board does not take action in reasonable time, the Central Pollution Control Board shall issue directions to the State Pollution Control Board.

(5) The funds collected under environmental compensation shall be kept in a separate account by State Pollution Control Board. The funds collected shall be utilized in collection, treatment and reuse of uncollected and non-treated or unused wastewater and/or sludge/faecal sludge against which the environmental compensation is levied. Modalities for utilization of the funds for wastewater/faecal sludge management would be recommended by the Implementation Committee and approved by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(6) (a) In case any person, provides incorrect information required under the rules for obtaining extended user responsibility certificates, uses or causes to be used false or forged extended user responsibility certificates in any manner, willfully violates the directions given under these rules or fails to cooperate in the verification and audit proceedings; action under Sections 15, 15A, 15B, 15C, 15D, 15E and 15F of the Environment (Protection) Act, 1986 may be taken.

(b) In case, obligated entity does not fulfil their EUR obligation even three years after the year of obligation, action under Sections 15, 15A, 15B, 15C, 15D, 15E and 15F of the Environment (Protection) Act, 1986 may be taken

(c) Action under Sections 15, 15A, 15B, 15C, 15D, 15E and 15F of the Environment (Protection) Act, 1986 may also be taken for violation of any other provisions of these rules.

(d) This action shall be in addition to the environmental compensation levied under these rules. Besides, action under relevant provisions of any other applicable law, shall also be taken.

3. Committee for Effective Implementation at Central level:– (1) A committee shall be constituted by the Central Pollution Control Board under chairpersonship of Chairman, Central Pollution Control Board to recommend measures to Ministry of Environment, Forest and Climate Change for effective implementation of these rules.

(2) The committee shall monitor the implementation of these rules and also take such measures as required for removal of difficulties.

(3) The committee shall also be tasked with the guiding and supervision of the development and operation of the online centralised portal.

(4) The recovery target may be reviewed by the committee of Implementation constituted under rule, at least once every four years to revisit the minimum levels of recovered waste water as well as sludge in light of technical and scientific progress and emerging new technologies in waste management. The committee would recommend to Ministry of Environment, Forest and Climate Change in this regard.

(5) The committee shall comprise of representatives from concerned Central Ministries/Departments, all SPCBs, expert institutions such as National Environmental Engineering Research Institute and stakeholders such as associations representing obligated entities, treatment facility providers and any other stakeholders as invited by the chair of the committee.

4. Committee for Effective Implementation at State level:– (1) A committee shall be constituted by the State Pollution Control Board under chairpersonship of Chairman, State Pollution Control Board to recommend measures to CPCB for effective implementation of these rules.

(2) The committee shall monitor the implementation of these rules and also take such measures as required for removal of difficulties at the state level.

(3) The committee shall comprise of representatives from concerned State Departments, all SPCBs, expert institutions such as National Environmental Engineering Research Institute and stakeholders such as obligated entities, treatment facility providers and any other stakeholders as invited by the chair of the committee.

5. Annual Reports:- (1) Every registered bulk user (Form 3), wastewater treatment facility (quarterly report as per Form 4) and faecal sludge treatment facility shall prepare and submit online an annual report to the local body concerned and the State Pollution Control Board concerned by the 30th June of every year.

(2) Every urban local body and Panchayat at District Level shall prepare and submit online an annual report to the Urban Development Department and to Rural Development Department, respectively, and also to the State Pollution Control Board concerned by the 30th June every year.

(3) The State Pollution Control Board concerned shall cause the report submitted by the urban local body and Panchayat at District level to be audited by itself or through a designated agency and copy of the report of such audit and the annual report shall be made available on website of State Pollution Control Board concerned.

(4) The State Pollution Control Board shall prepare and submit online an annual report to the Central Pollution Control Board on the implementation of these rules by the 31st July of every year.

(5) The Central Pollution Control Board shall prepare a consolidated annual report on the implementation of these rules and submit to the Central Government along with its recommendations on or before the 31st August of every year.

Chapter VII

Role and Responsibilities

1. Role of Ministry of Environment, Forest and Climate Change:- The Ministry of Environment, Forest and Climate Change shall be responsible for overall monitoring and implementation of these rules in the country. It shall constitute a Central Monitoring Committee under the Chairpersonship of Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change comprising officer[s] not below the rank of Joint Secretary or Advisor from the following namely,

(i) Ministry of Housing and Urban Affairs

(ii) Department of Drinking Water and Sanitation

(iii) Ministry of Panchayati Raj

(iv) Department of Rural Development

(v) Department of Fertilizers

(vi) Department of Agriculture and Farmers Welfare

(vii) Department of Water Resources, River Development, and Ganga Rejuvenation,

(viii) Department of Expenditure

(ix) Ministry of Petroleum and Natural Gas

(x) Central Pollution Control Board

(xi) Three State Pollution Control Boards by rotation

(xii) Three Municipal Commissioners by rotation

(xiii) Three CEOs District Panchayat, by rotation Local bodies (ULBs/PRIs)

(xiv) Two Academic/ Research Institutes/ Universities

(xv) Two industry associations

2. Role of Ministry of Housing and Urban Affairs:- (1) Ministry of Housing and Urban Affairs shall coordinate with State Governments and Union Territory Administrations to,

(a) Review the measures taken by the States / UTs and local bodies, periodically, for improving liquid waste management practices as well as execution of liquid waste management projects funded by the Ministry, at least once in a year, and facilitate corrective measures;

(b) Formulate state policy and strategy on wastewater as well as sludge/faecal sludge management taking into account of the provisions contained in these rules including rural perspective and urban-rural linkages to achieve scale of economy;

(c) Prepare and upload the state policy and strategy on wastewater as well as sludge/faecal sludge management based on the provisions contained in these guidelines by 31 March 2026;

(d) Shall designate the Department dealing with urban affairs in the State / UT as nodal department and the Department dealing with municipal affairs as co-nodal department for the implementation of provisions under these rules in urban areas;

(e) Promote research and development in wastewater management as well as sludge/faecal sludge management and disseminate information to States, UTs and local bodies;

(f) Undertake training and capacity building of local bodies and other stakeholders;

(g) Provide technical guidelines and project finance to States, UTs and local bodies on wastewater management as well as sludge/faecal sludge management to facilitate meeting timelines and standards under these rules;

(h) Facilitate ULBs / wastewater treatment plant operators/ faecal sludge management operators, to have or to retrofit wastewater treatments facilities with sludge processing facilities or to establish linkages with sludge processing facilities in adopting principle of circular economy;

(i) Formulate effective strategies for awareness generation on the use of by-products, out of sludge, from wastewater treatments facilities or faecal sludge management facilities;

(j) Develop suitable strategies to achieve the objectives of recycle & reuse of treated sludge/ faecal sludge with State/ UT Urban Development Department;

(k) Undertake suitable capacity building and training of personnel engaged in wastewater and sludge/ faecal sludge management at State/ UTs and ULB level;

(l) Disseminate national and international successful models to ULBs.

(m) Develop effective strategy for awareness creation on reuse of by-products out of sludge to public;

(n) Facilitate ULB to notify fine, as per the guidelines prepared by CPCB, for dumping of sludge/ faecal sludge into the landfill by wastewater treatment facility operators/faecal sludge management operators;

(o) Formulate guidelines for user fees, taking into consideration of operation and maintenance of waste water/faecal sludge treatment facility, to be levied for ensuring long term sustainability and assured service delivery, as well as for suitable fine to be notified by ULBs in the bye-laws;

(p) Facilitate use of treated used water by ULBs for the purposes, including non-potable purposes like flushing toilets, gardening, agricultural purposes, horticulture purposes, industrial purposes, municipal purposes like dust mitigation, road washing, construction activity etc., and water body rejuvenation as per guidelines of CPCB:

(q) Prepare and share the model tender documents, drawings, and estimates with model Detailed Project Reports (DPRs) for different capacities of waste water treatment facilities/faecal sludge treatment facilities, for use by the ULB;

(r) Prepare the guidelines for procurement process, financing, as well as engagement of service providers, for operation and maintenance of waste water treatment facilities/ faecal sludge treatment facilities;

(s) Incorporate/ mainstream the concept of circular economy in waste water recycling & reuse in existing missions such as SBM, Smart City etc. and take up projects.

3. Role of Department of Drinking Water and Sanitation:- (1) Department of Drinking Water and Sanitation shall coordinate with State Governments and Union Territory Administrations to,

(a) Review the measures taken by the States/UTs and local bodies, periodically, for improving wastewater management and faecal sludge management practices as well as execution of wastewater management and faecal sludge management projects funded by the Department, at least once in a year, and facilitate corrective measures;

(b) Facilitate formulation of state policy and strategy on waste water as well as faecal sludge management in rural areas taking into account the provisions contained in these rules including urban perspective and urban-rural linkages to achieve scale of economy;

(c) Facilitate and upload state policies and strategies on wastewater as well as faecal sludge management in rural areas based on the provisions contained under these rules by 31 March 2026;

(d) Designate the Department dealing with rural sanitation in the State/UT as nodal department and the department dealing with Panchayati Raj institutions as co-nodal department for implementation of provisions under these rules in rural areas;

(e) Promote research and development in wastewater management as well as faecal sludge management and disseminate information to States/UTs and local bodies;

(f) Undertake training and capacity building of local bodies and other stakeholders;

(g) Provide technical guidelines and financial assistance to States, Union territories and local bodies on wastewater management as well as faecal sludge management to facilitate meeting timelines and standards under these rules;

(h) Facilitate State/UTs to notify fine, as per the guidelines prepared by CPCB, for dumping of sludge/faecal sludge in landfill by wastewater treatment plant operators/faecal sludge management operator;

(i) Facilitate PRIs/ wastewater treatment plant operators/faecal sludge management operators, to have or to retrofit wastewater treatment facilities with sludge processing facilities or to establish linkages with sludge processing facilities in adopting principles of circular economy;

(j) Formulate effective strategy for awareness generation on the use of by-products out of sludge from wastewater treatment facilities or faecal sludge management facility;

(k) Develop suitable strategies to achieve the objectives of recycle & reuse of treated sludge with State Rral Sanitation Department;

(l) Undertake suitable capacity building and training of personnel engaged in sludge management at State/PRI level;

(m) Disseminate national and international successful models to PRIs;

(n) Develop effective strategy for awareness creation on reuse of by-products out of sludge to public;

(o) Facilitate guidelines for user fees, taking into consideration of operation and maintenance of wastewater/faecal sludge management to be levied, for ensuring long term sustainability and assured service delivery.

(p) Facilitate use of treated used water by PRIs for the purposes, including non-potable purposes like flushing toilets, gardening, agricultural purposes, horticulture purposes, industrial purposes, municipal purposes like dust mitigation, road washing, construction activity, etc. and water body rejuvenation as per guidelines of CPCB.

(q) Prepare and share the model tender documents, drawings, and estimates with model Detailed Project Reports (DPRs) for different capacities of wastewater treatment facilities/faecal sludge treatment facilities, for use by PRIs.

(r) Facilitate the preparation of the guideline for procurement process, financing, as well as engagement of service providers for operation and maintenance of wastewater treatment facilities/ faecal sludge treatment facilities;

(s) Incorporate/ mainstream the concept of circular economy in wastewater recycling & reuse in existing missions such as SBM, etc. and take up projects.

4. Role of Department of Agriculture and Farmers Welfare:- (1) The Department of Agriculture and Farmers Welfare to,

(a) Facilitate development of standards under Fertilizer Control Order for sludge/faecal sludge for use as organic manure/soil conditioner;

(b) Prepare guidelines for application of organic manure/ soil conditioner generated out of sludge/ faecal sludge on agricultural land;

(c) Develop guidelines for quality checks of organic manure/ soil conditioner produced by waste water treatment facilities/faecal sludge treatment facilities;

(d) Engage with State agricultural departments to promote developing compost testing facilities, by itself or through third parties.

5. Role of Department of Fertilizers:- (1) The Department of Fertilizers to,

(a) Incentivise by-products from wastewater treatment facilities/faecal sludge treatment facilities to be used as organic manure/soil conditioner;

(b) Extend market development assistance to organic manure/soil conditioner from wastewater treatment facilities/faecal sludge treatment facilities.

6. Role of State/ UT government:- (1) All the respective State Governments and Union Territory Administrations to,

(a) Take measures for viability gap funding for the laying of wastewater collection and transportation network and/or treatment facilities;

(b) Ensure that the fee collected by local bodies are used in installation, operation and maintenance of infrastructure related to wastewater collection, treatment, recycling, reuse, etc. as well as faecal sludge management;

(c) Undertake activities for improving acceptability of treated sewage for reuse including preparation and dissemination of guidelines and framework for Information, Education and Communication (IEC) activities;

(d) Implement/ Upgrade STPs/ETPs/CETPs and improve coverage of drainage network and connectivity of existing STPs as well as through decentralized wastewater treatment facilities to meet the

100% treatment capacity and ensure proper O&M of the wastewater treatment facilities/faecal sludge treatment facilities;

(e) Set up a State level Steering Committee on circular economy in wastewater/sludge/faecal sludge treatment & reuse/use of by products;

(f) Prepare State Waste water/ sludge/faecal sludge treatment/ recycling & reuse/use of by products policy including industry specific business models;

(g) Set up a State level waste water/sludge/faecal sludge treatment/ recycling & reuse/use of by products Fund;

(h) Incentivize residential societies and other bulk users of water to have decentralized wastewater treatment facilities and for reuse of treated wastewater;

(i) Ensure local bodies have all waste water /faecal sludge treatment facilities get onboarded on SPCB portal;

(j) Recognise/ award acknowledging the best performing wastewater management facility as well as faecal sludge treatment facility in the State/UT, both in urban as well as rural areas;

(k) Organise a one week campaign annually to review O&M of wastewater treatment facilities/faecal sludge treatment facilities, in second week of June, each year;

(l) Promote PPP mode models for STPs/CETPs/ETPs/faecal sludge management facilities and reuse of treated wastewater in different sectors as well as use of by products from the waste water treatment facilities/ faecal sludge treatment facilities.

7. Role of ULBs and PRIs/GPs:- (1) All the local bodies shall,

(a) Prepare action plan for liquid waste management as per state policy and strategy on liquid waste management, as per Schedule I, from the date of notification of state policy and strategy and submit a copy to respective departments of State Government or Union Territory Administration or agency authorized by the State Government or Union Territory Administration as well as upload it on online portal of eGS and centralized portal of CPCB; The action plan shall inter alia cover the following elements:

(i) Wastewater generation

(ii) Sludge generated from wastewater treatment facility including decentralized wastewater treatment facility

(iii) Faecal sludge management sub-plan including generation, collection and transport infrastructure, environmentally sound treatment infrastructure

(iv) Measures for providing requisite liquid waste management infrastructure with timelines, if gap exists between generation and treatment capacities

(v) Measures for ensuring sustainability in operation of liquid waste management infrastructure, including through levy of user fee

(vi) Measures for ensuring reuse of treated waste water as well as use of by products of wastewater treatment facilities/faecal sludge treatment facilities

(b) Upload the action plan on the website of the local body and also on the centralized online portal;

(c) shall organize awareness campaigns, cleanliness drives and other community-based activities, including a week long campaign before monsoon, for the maintenance of collection and transportation network of wastewater as well as the maintenance of wastewater treatment facilities and shall file return to SPCB in this regard by 30th June of every year;

(d) shall ensure that the silt removed from desilting of drains/drainage network is utilized/disposed in an environmentally sound manner as per the guidelines issued by CPCB. The local body shall file annual returns to SPCB in this regard.

(e) facilitate/undertake construction, operation and maintenance of wastewater management facilities/faecal sludge management facilities and associated infrastructure on their own or with private sector participation or through any agency for optimum recycling/treatment and utilisation of waste water/faecal sludge adopting suitable technology adhering to the guidelines issued by CPCB;

(f) assess the current and future waste water generation including sludge/ faecal generation, on an annual basis and upload on the centralized online portal by 30 June annually.

(g) assess the present and future requirements of water in the jurisdiction excluding for agricultural uses and shall upload on the centralized online portal by 30 June annually, including of sectoral demand;

(h) Establish data reporting and monitoring mechanism for waste water/faecal sludge management;

(i) Ensure monitoring of waste water treatment (both centralized and decentralized) /faecal sludge treatment facilities;

(j) Levy user fee as notified in the byelaws or appropriate regulation of the local body after approval State / Union Territory Government;

(k) ensure geo-tagging of wastewater management facilities/faecal sludge management facilities;

(l) Link decentralized wastewater management facilities/faecal sludge management facilities to the nearest treatment facilities for treatment/processing of untreated components;

(m) Assess existing toilets and septic tanks through surveys and creation of database, create database for each household properly depicting details on toilets, septic tanks, soak pits details, update of household properly on centralized online portal through mobile application or reporting systems once the septic tank is cleaned, automatic reminder sent to the households after 3 years to clean the septic tank;

(n) Link each wastewater treatment facilities/CETP/ ETP/faecal sludge management facility with one academic institution;

(o) develop online grievance redressal mechanism as per Schedule-I and shall report about it annually on the centralized online portal regarding the complaints received, resolved, and pending;

(p) Use digital technologies in waste water management/faecal sludge treatment for real time monitoring through GPS usage, centralized tracking through common control centers to ensure efficient and accountable desludging operations, GPS based vehicle tracking and monitoring systems, accurate capture of data on desludging and validation checks through customer and operator signature capture, web enabled monitoring system for real-time monitoring and recording of daily operations in a paperless format to cover scheduled and on demand desludging, automatic reports on desludging, linking of payments to the monitoring app, customer requisition apps to provide customers with online assistance, including recording service requests, grievance redressal and technical assistance as needed, monitoring platforms to help with real-time data capture across the process chain and help processing the same with minimum human intervention.

2. In respect of rural areas of the District, the registration and reporting requirements compliances under these rules shall be done by District level Panchayati Raj Institution

8. Role of Department of Revenue:- (1) Exemption in Customs/GST on plants/ machinery to make biogas, electricity as well as sludge dewatering equipment.

(2) Formulate guidelines to finance wastewater/faecal sludge treatment facilities.

9. Role of Ministry of Petroleum and Natural Gas:- (1) Incentivise buying of biogas produced from sludge.

(2) Develop guidelines for buying of biogas by oil and gas companies on a mandatory basis.

10. Role of Central Pollution Control Board:– (1) Issue guidelines and standards for environmentally sound procedures of collection, recycling/treatment and reuse of wastewater as well as sludge/ faecal sludge.

(2) Issue guidelines about technologies and standards with regard to recycling/treatment and reuse of waste water/by products of sludge/ faecal sludge.

(3) Issue guidelines for environmental sound management of silt obtained from desilting of drains/drainage network.

(4) Compile and publish the data received every year from the State Pollution Control Boards.

(5) Constitute an implementation committee under the chairmanship of Chairman, CPCB for the effective implementation of these rules and make recommendations for making it robust. The Committee shall meet at least once in six months to submit its report and recommendations to Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(6) Carry out review of technologies related to treatment of waste water for techno-economic viability and feasibility specifically including with respect to recovery of waste water.

(7) Develop a centralized online system on its own, or through engagement of a third party, for effective implementation of these rules.

(8) Strengthen existing mechanism for stringent implementation of restricting discharge of polluted waste water as well as disposal of sludge from wastewater treatment facilities/ETPs/CETPs/faecal sludge;

(9) Strengthen monitoring of wastewater management system including generation (quality/ quantity), reuse and safe disposal by setting up an independent mechanism apart from CPCB and SPCBs.

(10) Develop and upload on centralised online portal training materials and standard operating procedures including for operation and maintenance of wastewater treatment facilities / ETPs/CETPs/faecal sludge treatment facility for capacity building of various stakeholders.

(11) Prepare guidelines for user fees taking into consideration operation and maintenance of waste water/faecal sludge management.

(12) Prepare guidelines for the environmental compensation for non-compliance of these rules.

(13) Prepare guidelines for sludge/faecal sludge recycle & reuse policy.

(14) Ensure testing of organic manure produced by waste water treatment facility/ faecal sludge treatment facility to ensure quality of organic manure by itself or through third party.

(15) Ensure the test reports to be uploaded on the centralized online portal in respect of the treated waste water as well as organic manure on monthly basis by the facility operators.

(16) Prepare guidelines for desludging of soak pits/septic tanks. These guidelines shall include the SOPs for deluding which may include use of mechanical devices, desludging frequency, transportation protocols, servicing of equipment, record keeping of all tanks.

(17) Develop the reporting modules regarding the quality of water in water bodies to be reported by concerned stakeholders having the jurisdiction over such water bodies and ensure reporting on the centralized online portal.

(18) Develop guideline for regular monitoring framework and testing protocol for treated sludge and wastewater.

(19) Issue guidelines for imposition of landfill disposal fee on the operators of wastewater treatment facilities/ ETPs/CETPs/ faecal sludge treatment facilities.

Modify forms within these rules as required and prescribe forms where it is not prescribed.

(20) Issue guidelines for implementation of various provisions of these rules.

(21) Prepare guidelines for long term sustainability of wastewater /faecal sludge treatment facilities which may include frequency for receipt of faecal sludge in quantity and quality through mandate on all institutions, government offices, private agencies, bus stands, offices and schools to empty their septic tanks on a periodic basis, and send the sludge to the FSTP or co-treatment plant, incentivise households to empty their septic tanks at a three year interval, by providing desludging services at a reduced fee, remove physical roadblocks for sludge to reach the FSTPs, by ensuring access roads to the plants are clear and well-paved, new FSTPs should not be at a distance that makes desludging operations financially unviable for private operators;

(22) Prepare guidelines for institutional and governance aspects wastewater/faecal sludge management which may inter-alia include regulations for such management system, record-keeping, reporting (MIS), monitoring and feedback systems, sources of revenues for faecal sludge management.

(23) Prepare technology compendium on wastewater recycling.

(24) Establish linkage with AMRUT and NMCG, and relevant stakeholders.

(25) All the registrations, filing of returns, and other compliances shall be made on the online portal of CPCB as applicable, under these rules. All relevant information shall be in public domain.

(26) Develop guidelines for audit of wastewater treatment facilities both centralized and decentralized, ETPs/CETPs, faecal sludge, desludging and transportation operators, faecal sludge treatment facilities, entities engaged in treatment / processing of sludge/ faecal sludge for its utilization.

11. Role of State Pollution Control Board: – (1) Register obligated entities, through Form 1(B) for bulk users of water and Form 2(B) for operators of wastewater treatment facility, via centralized online portal. The registration shall be done within two weeks from the submission of a completed application.

(2) Charge fee for processing of applications for registration as well as for processing of returns as per the guidelines developed by CPCB.

(3) Shall authorize for issuance of EUR certificates and Reuse Responsibility Certificates.

(4) Shall impose landfill disposal fee on the operators of wastewater treatment facilities/ ETPs/CETPs/ faecal sludge treatment facilities as per the guidelines developed by CPCB. The fee collected will be given to the concerned local body for the utilization and/or environmentally sound management of the treated sludge at the landfill.

(5) Shall ensure that wastewater treatment facilities/ETPs/CETPs under its jurisdiction comply with the minimum recovery target of wastewater as prescribed under these rules;

(6) Share Extended User Responsibility plan of the bulk users and registration details of bulk users of waters with concerned local bodies.

(7) Suspend and/or cancel the registration, and/or impose environmental compensation, in case of non-compliance of Extended User Responsibility obligations as per Schedule II after giving reasonable opportunity of being heard.

(8) Ensure compliance of these rules by registered entities.

(9) Ensure that registration is done unless otherwise suspended and/or cancelled under these rules and registration/renewal would be deemed to be issued if not objected within two weeks.

(10) Verify compliance by registered entities through inspection and periodic audit by itself or through a designated agency. The actions against violations and for non-fulfilment of obligations under these rules including Extended User Responsibility obligations shall be as per these rules.

(11) Carry out audit of data, including using information from Goods and Services Tax Network portal, by itself or a designated agency, of the registered entities under these rules.

(12) Suspend and/or cancel the registration of bulk users, and/or impose environmental compensation in case of violation of these rules by the registered entity. Appeal made against the orders of SPCB regarding suspension or cancellation of registration of obligated entities, through Form 5, lies with the CPCB and will be disposed of within forty-five days after the submission of the appeal.

(13) Bring out a list of entities not fulfilled their Extended User Responsibility obligations on annual basis and publish the same. Compile and forward the quarterly reports submitted by entities involved or recycling of waste water to Central Pollution Control Board and publish online.

(14) Ensure a regular dialogue between relevant stakeholders involved in the fulfilment of obligations under these rules.

(15) Submit annual report to Central Pollution Control Board by 30th June every year, regarding effective implementation of these rules.

(16) Monitor water quality at each of stretch of the water bodies where wastewater treatment facilities/ETP/ CETP discharges or direct discharges in river bodies/water bodies through OCEMS which shall be published on the centralized online portal annually by 30 June of the succeeding year.

(17) Verification of self-reporting regarding monitoring of the soil, ground water and surface water quality on bi annual basis by the local body in case of ground water pumping or open area drainage of waste water/ faecal sludge.

(18) Carry out activities for improving acceptability of treated wastewater for reuse through IEC activities with active engagement of bulk users.

(19) Impose environmental compensation on indiscriminate dumping of sludge.

(20) Carry out audit of water treatment facilities as well as faecal sludge treatment facilities every year by 30 September every year by itself or through empanelled agencies.

(21) Publish the audit reports of water treatment facilities as well as faecal sludge treatment facilities by 31 December every year on centralized online portal.

(22) Ensure wastewater/ faecal sludge treatment facilities are maintained by skilled professionals, and also certified professionals to provide wastewater treatment details, use of such treated water.

(23) Ensure geo-tagging of wastewater / faecal sludge treatment facilities.

(24) Designate third party technically sound partners/ advisors for providing technical assistance in establishment as well as operation and maintenance of wastewater / faecal sludge treatment facilities.

(25) Under these rules, all the registrations, filing of returns, and other compliances shall be made on the centralized online portal as applicable. All relevant information shall be in public domain.

SCHEDULE-I

[Chapter II, Rule 4(b), Chapter III, Rule 4(d), Rule 4(k), Chapter VII Rule 7(1)(o)]

Timelines for compliance

S. No.	**Population**	**Time line**
	Urban areas	
1	million plus cities	31 March 2025
2	5-10 lakh	31 March,2026
3	1-5 lakh	31 March 2027
4	all urban areas	31 March 2028
	Rural areas	
1	20000 and above	31 March 2026
2	10000-20000	31 March,2027
3	5000-10000	31 March 2028
4	1000-5000	31 March 2029
5	all rural areas	31 March 2030

SCHEDULE-II

[Chapter IV Rule 1(q), Chapter VII Rule 11(7)]

List of industries identified for reuse of wastewater

(i) Thermal Power plants
(ii) Pulp and Paper
(iii) Textile Industry
(iv) Iron and Steel industry

Form 1(A)

[Application to be submitted by bulk user of water] [See rule 2(a)]

1.	Name of user	
2.	Registered address of bulk user, website address and contact details	
3.	Name of the authorized person(s) and full address with e-mail, landline telephone number and mobile number	
4.	GST No.	
5.	TIN No.	
6.	Type(s) of water used with application purpose along with the quantities (in volume)	

General Terms and Conditions:

(a) The registered entity shall comply with provisions of the Environment (Protection) Act 1986 and the rules made thereunder;

(b) Any change in the approved Extended User Responsibility form should be informed to Central Pollution Control Board.

Place:

Date:

Signature of the authorized person:

****

Form 1(B)

[Format for grant of registration to user by State Pollution Control Board] [See rule 11(1)]

Ref.: Your application number for registration

dt.

Registration No.:…………….

M/s----------------- is hereby granted registration as generator of wastewater in line with provisions under Liquid Waste Management Rules, 2024. Any violation of the provision(s) of the Liquid Waste Management Rules, 2024 will attract Environmental Compensation and the penal provision of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).

(Member Secretary)

State Pollution Control Board

Date:

Place:

Form 1 (C)

[Format for submission of Extended User Responsibility plan by the bulk user] [See rule 2(i), 11(3)]

1.	Name of user	
2.	Registered address of bulk user, website address and contact details	
3.	Name of the authorized person(s) and full address with e-mail, landline telephone number and mobile number	
4.	GST No.	
5.	TIN No.	

6.	Type(s) of water used with application purpose along with the quantities (in volume)	

Date:

Place:

Signature of the authorized person:

Form 2(A)

[**Application to be submitted by owner of liquid waste treatment facility for grant of registration/renewal of registration] [See Rules 3(a)]**

	Name of the owner	
	Registered address and website address	
	Phone No.(landline and mobile)	
	Email ID	
	Authorized person(s) Name	
	Authorized person(s) Email ID	
	Authorized person Mobile No.	
	GST No.	
	Consent Validity	a. Under Air Act, 1981; Valid up to – b. Under Water Act, 1974; Valid up to –
	Validity of Authorisation under rule 6 of the Hazardous Waste (Management and Handling) Rules, 2016	Valid up to -
	Validity of certification of registration with District Industries Centre	Valid up to –
	Capacity of recycling unit(s) in (MTA)	a. Installed b. Operating(details of last three years)

Signature of the authorized person

Place:

Date:

Form 2(B)

[Format for grant of registration/renewal of registration to owner of liquid waste treatment facility by State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees] [See Rule 11 (1)]

Ref.: Your application number for registration dt.

Registration No.:…………….

M/s----------------- is hereby granted registration for recycling of wastewater in line with provisions under Water Waste Management Rules, 2022.

The registration shall be valid for a period of years from date of issue.

Any violation of the provision(s) of the Liquid Waste Management Rules, 2024 will attract environmental compensation and the penal provision of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).

(Member Secretary)

State Pollution Control Board

Date:

Place:

Form 3

[Annual returns to be submitted by bulk user by 30th day of June of the following financial year] [See rule 2(m), 6(1)]

1.	Name of user	
2.	Registered address of user, website address and contact details	
3.	Name of the authorized person(s) and full address with e-mail, landline telephone number and mobile number	
4.	Details of volume of water used during the financial year of which the return is being filed	
5.	Type(s) of water used with application purpose along with the quantities in volume	
6.	Details of Extended User Responsibility obligation(s) and the wastewater collected and treated for which the return is being filed	
7.	Details of Extended User Responsibility certificates	
8.	Details of reuse/sale of treated water	
9.	Details of recovery of treated water	

Signature of the authorized person:

Place:

Date:

Form 4

[Quarterly return to be submitted by liquid waste treatment facility to State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees by end of the month succeeding the end of the quarter]

1.	Name of the owner			
2.	Registered address			
3.	Email Id			
4.	Phone No.			
5.	Name of authorized person (s)			
6.	GST Number			
7.	Registration No. With State Pollution Control Board			
8.	Capacity of treatment/processing in (MTA or relevant unit)	a. Installed b. Operating(details of last three years)		
9.	Details of wastewater collected from different entities including bulk user(s)	S. No.	Type of Water	Details of entities from whom the water is collected for recycling
		1		
		2		
10.	Details of wastewater treated			
11.	Details of sludge/faecal sludge generated/received and utilized/ disposed/sold			
12	Extended User Responsibility certificate details	No. of certificates issued user-wise		

Signature of the authorized person

Place:

Date:

Form 5

[Form of appeal] [See rule 11(9)]

*(Here mention the name & designation of the authority)

Before* --

Appellate Authority constituted under **sub-rule -- of rule -- or sub-rule - of rule --** of the Liquid Waste Management Rules, 2024.

Memorandum of appeal of Shri --

(Appellant)

Vs

The State Pollution Control Board -(Respondent)

The appeal of Shri ____________________, resident of ____________________________, District ________, State ______ against the order No._____________ dated __________ passed by the Central Pollution Control Board / State Pollution Control Board under rule _____of the Liquid Waste Management Rules, 2024.

as follows:

Under rule of the Liquid Waste Management Rules, 2024.

(a) The appellant has been granted registration subject to the conditions mentioned in the registration order in respect of the entity__________________ noted below:

- Name of the entity:
- Address:
- CIN Number.:

A copy of the registration order in question is attached here to.

(b) The facts of the case are as under:

(here briefly mention the facts of the case)

(c) The grounds on which the appellant relies the purpose of this appeal are as below:-

(here mention the grounds on which appeal is made)

1.

2.

3.

(d) In the light of what is stated above, the appellant respectfully prayed that

(i) the unreasonable condition(s) imposed should be treated as annulled or it/they should be constituted for such other conditions is it appears to be reasonable

or

(ii) the unreasonable condition(s) -------------------------------------- should be varied on the following manner (here mention the manner in which the condition(s) objected).

Signature of the Applicant

Verification

I ....(appellant's name)........... in the above Memorandum of appeal/or/duly authorized agent do/ does hereby declare that what it stated therein is true to the best of my knowledge and belief and nothing has been hidden thereunder.

Name (in Block letters)

Occupation

Address

Date:

---

*Strike out what is not applicable.

[F. No-12/122/2022-HSM]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.